Dr. Mrs. Gulista Khatoon, M.Com, M.Ed, Ph.D (Education) was working as an Asst.Prof. in the Department of Education of Dr. C. V. Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur, since last 6 years. She also took additional responsibility as a Faculty Co-ordinator of Commerce Department in same University for last 3 years. She has published **07** Research papers in national and international journal and 18 papers were presented in national and international seminar and conferences. She has guided 16 M.Ed. scholars and 4 M.Com. scholars (Distance Education).

₹ 495/-

Dr. Pramod Kumar Naik, after completing his master degree in education and B.Ed from Kurukshetra University, Haryana, he completed his M.phil and Ph.D in education from Sambalpur University, Odisha. He has 25 years of teaching experience at U.G., P.G, M.Phil, Ph.D (Course Work) level in different Colleges and University of Odisha and Chhattisgarh. Dr. Pramod Kumar Naik used his knowledge of the subject and his teaching experience acquired during these years, while writing this book. This book can be effectively used in teaching programmes both by students, research scholars and teachers. Dr.Naik has published **70** Research Paper in National/International journal, published **04** Books named **Advanced Educational Psychology, Parenting, Organizational Effectiveness, Job Satisfaction** and ***बालिका सशक्तिकरण*** *(Girls Empowerment)* **03** Guide Books in Education. In **06** Edited Books **07** Chapters has been Published. Participated in Orientation and Refresher Course. He has delivered a number of Guest Lecturer in National seminars, International seminars, Orientation and Refresher Course and Colleges. He has guided **38** M.Ed. scholars, **23** M.Phil scholars and **05** Ph.D scholars are Awarded under his supervision, now **05** Ph.D scholars are doing their research work under his supervision. He is the member of different board and committies of Dr.C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.), Subject Experts of Pt.Ravi Shankar Shukla University, Raipur (C.G.) and also the member of Editorial Board of **04** Research Journal.

Now Dr. Pramod Kumar Naik is a Professor & Dean (Education), Research Director, AIU Co-ordinator of Dr. C. V. Raman University, Kargi Road Kota, Bilaspur (C.G.). His API Score calculated by the university is **525.**

₹ 495/-

ISBN 978-93-85876-37-0

APH PUBLISHING CORPORATION
4435-36/7, Ansari Road, Darya Ganj,
New Delhi 110002 Email: aphbooks@gmail.com

बालिका सशक्तिकरण

Dr. Mrs. Gulista Khatoon, Dr. Pramod Kumar Naik

APH

बालिका सशक्तिकरण

GIRLS EMPOWERMENT

Dr. Mrs. Gulista Khatoon
Dr. Pramod Kumar Naik

व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है समाज ही उसके लिए उस प्रकार का परिवेश प्रदान करता है जिसमें रहकर वह अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। यदि सामाजिक परिवेश उपयुक्त नहीं है तो निश्चित ही उसके व्यक्तित्व में कई प्रकार की कमी का आधिक्य मात्रा सामाजिक सितियों के कारण होता हैं। बालक अपने जन्म के साथ कुछ मूलभूत प्रवृत्तियों एवं शक्तियों को लेकर उत्पन्न होता है किन्तु बालक के सामाजिक परिवेश के कारण ही उसमें वैयक्तिक भिन्नतायें उत्पन्न हो जाती है यहॉ हमारा तात्पर्य बुद्धि या लिगिंय भिन्नताओं से नहीं है बल्कि उसकी अभिक्षमता, अभिरुचि और व्यक्तित्व से है निश्चित रुप से इनकी भिन्नतायें उसकी पारिवारिक वातावरण आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक परिवेश के कारण होती है। ये सभी तत्व किषोरियों के सषक्तिकरण पर अपना प्रभाव डालते है।

ISBN 978-93-85876-37-0

बालिका सशक्तिकरण
GIRLS EMPOWERMENT

बालिका सशक्तिकरण
GIRLS EMPOWERMENT

Dr. Mrs. Gulista Khatoon
Dr. Pramod Kumar Naik

A.P.H. PUBLISHING CORPORATION
4435–36/7, ANSARI ROAD, DARYA GANJ,
NEW DELHI-110002

Published by
S.B. Nangia
A.P.H. Publishing Corporation
4435–36/7, Ansari Road, Darya Ganj,
New Delhi-110002
Phone: 011-23274050
e-mail: aphbooks@gmail.com

© Authors

Typeset by
Ideal Publishing Solutions
C-90, J.D. Cambridge School,
West Vinod Nagar, Delhi-110092
www.ipsbooks.com

Printed at
BALAJI OFFSET
Navin Shahdara, Delhi-110032

प्राक्कथन

व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है समाज ही उसके लिए उस प्रकार का परिवेश प्रदान करता है जिसमें रहकर वह अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। यदि सामाजिक परिवेश उपयुक्त नहीं है तो निश्चित ही उसके व्यक्तित्व में कई प्रकार की कमी का आधिक्य मात्रा सामाजिक सितियों के कारण होता हैं। बालक अपने जन्म के साथ कुछ मूलभूत प्रवृत्तियों एवं शक्तियों को लेकर उत्पन्न होता है किन्तु बालक के सामाजिक परिवेश के कारण ही उसमें वैयक्तिक भिन्नतायें उत्पन्न हो जाती है यहॉ हमारा तात्पर्य बुद्धि या लिगिंय भिन्नताओं से नहीं है बल्कि उसकी अभिक्षमता, अभिरुचि और व्यक्त्तिव से है निश्चित रुप से इनकी भिन्नतायें उसकी पारिवारिक वातावरण आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक परिवेश के कारण होती है। ये सभी तत्व क्रिाोरियों के स्राक्तिकरण पर अपना प्रभाव डालते है।

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा ग्रामीण तथा शहरी ‘‘मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के प्रभाव का अध्ययन’’ नारी/किशोरियों के बदलते रूप और भूमिका को चित्रित करने का एक प्रयास किया गया जिसमें भारतीय समाज में भाषाओं रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक व्यवहार में विविधता, जाति और वर्ग पर आधारित एक अनुक्रम और तरह-तरह के धर्म और संप्रदाय वाले समाज में, यह आसान नहीं है कि इन सभी विभिन्न धागों को अलग-अलग एक साथ पहचान में हमारे उद्देश्य बहुत ही सहज थे। हमने बदलते राजनीतिक आर्थिक परिदृश्य में उन मूल्यों को जो गैर-बराबरी को वैधानिकता प्रदान करती है के संदर्भ में भारतीय नारी की लैंगिक समानता हासिल करने तथा शहरी व ग्रामीण दिशा में यात्राा का एक निष्कर्ष रूप प्रस्तुत

करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत कार्य विशेष तौर पर बुद्धिजीवियों को ही नहीं, बल्कि सामान्य पाठकों को नारी की समाज में परिस्थितियों को समझने के इच्छुक है को संबोधित है। क्यों, शिक्षा और आर्थिक प्रगति के बावजूद, लैंगिक आधार पर भेदभाव और अत्याचार के प्रमाण है? नारियों एवं वृहत्तर समाज द्व ारा स्थिति में परिवर्तन के लिए एक प्रयास है जिसमें संपूर्ण महिला जगत चाहे वह किसी भी समाज, जाति, धर्म, सम्प्रदाय और संस्कृति से जुड़ी हो चाहे वह किसी भी क्षेत्र विशेष कि हो उन्हें एक सशक्त, जागरूक बालिका/महिला बनाने का एक प्रयास मात्र है।

Dr. Mrs. Gulista Khatoon

आभार-सुमन

शोध कार्य एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ ।

प्रस्तुत शोध कार्य की कल्पना तब तक साकार नहीं हो पाती जब तक मेरे निर्देशक **डॉ. पी. के. नायक** द्वारा शोध पंजीयन से लेकर शोध प्रस्तुत करने तक प्रतिक्षण मार्गदर्शनं मिला।

इसी क्रम में मैं डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय के कुलपति **डॉ. श्रीमती सुरेखा ठक्कर,** समकुलपति **डॉ. आर. पी. दुबे,** कुलसचिव **श्री शैलेष पाण्डेय** तथा मैं परम् पूज्य पिता **जमशेद खान** तथा परम् **पूज्या माता श्रीमती सलमा खातून** के प्रति श्रद्धानत् हूँ, जो मुझे आगे पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। मैं अपने बड़े भाई **आरिफ खान** और छोटे भाई **आसिफ खान,** को साथ ही साथ मैं अपने पति **श्री जावेद अख्तर खान,** का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने समय-समय पर पढ़ने के लिए और इस शोध कार्य को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन किया।

Dr. Mrs. Gulista Khatoon

CONTENTS

प्राक्कथन *v*

आभार-सुमन *vii*

अध्याय-1: पृष्ठभूमि, तथ्य एवं औचित्य **1**

1.1 प्रस्तावना 1

1.1.1 व्यक्तित्व का अर्थ 3

1.1.2 समायोजन का अर्थ 5

समायोजन की प्रविधियाँ 6

विद्यालय द्वारा समायोजन का विकास 9

1.1.3 सशक्तिकरण का अर्थ 10

अधिकार एवं स्वतंत्र अस्तित्व 10

स्वतंत्र अस्तित्व 11

स्वायत्तता एवं आत्मविश्वास/आत्मनिर्भरता 11

निर्णय प्रक्रिया 11

सामाजिक एवं विकासात्मक क्रियाकलापों में भागीदारी 12

क्षमता विकास 12

सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता 12

सूचना माध्यमों की उपयोगिता 13

उदारवादी नारीवाद 16

मार्क्सवादी नारीवाद 17

आमूल परिवर्तनकारी नारीवाद 17

लिंग प्रस्थिति संबंधी पूर्वाग्रह 20

विरोधाभासी ज्ञानगत अभिविन्यास 21

नारीवाद : भारतीय संदर्भ में 22

प्राचीन काल 25

परिवार में कन्या की परिस्थिति 26

शिक्षा 27

पत्नी के रूप में नारी 28

माता के रूप में नारी 28
पर्दा प्रथा एवं नारी स्वातंत्रय 29
उत्तराधिकार की व्यवस्था 29
सार्वजनिक जीवन में नारी 29
ऋग्वेद में ''समन'' शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है 30
मध्य काल 30
पर्दा प्रथा 31
सती प्रथा 32
वेश्यावृत्ति 32
आधुनिक काल 32
शिक्षा में छिपा है महिला सशक्तिकरण का रहस्य 37
भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति 39
महिलाओं की शैक्षिक उन्नयन हेतु साधन एवं प्रयास 40
दुर्गाबाई देशमुख समिति (1958 - 59) और महिला शिक्षा 40
हंसा मेहता समिति (1962) और महिला शिक्षा 41
कोठारी आयोग (1964-66) और महिला शिक्षा 41
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) और महिला समानता 42
छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 43
महिलाओं के हित में विशेष प्रावधान 44
महिलाओं के हितों की रक्षा से संबंधित न्याय दृष्टांत 46
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग 46
छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं विकास विभाग द्वारा संचालिज योजनाएँ 48
भारत में महिला कानून 50
महिलाओं की उपलब्धियाँ 51
1.2 अध्ययन का औचित्य 52
1.3 समस्या कथन 56
1.4 प्रयुक्त पदों कि परिभाषा 56
1.4.1 किशोरावस्था 56
1.4.2 व्यक्तित्व 57
अंतर्मुखी व्यक्तित्व 57
बहिर्मुखी व्यक्तित्व 57

1.4.3 समायोजन 58
सशक्तिकरण 58
1.5 अध्ययन का उद्देश्य 58
1.6 अध्ययन की परिकल्पना 59
1.7 अध्ययन का परिसीमन 60

अध्याय-2: संबंधित शोध साहित्य का अध्ययन 61

2.1 साहित्य की समीक्षा का अर्थ 61
2.2 साहित्य समीक्षा की आवश्यकता 62
2.3 साहित्य की समीक्षा का उददेश्य 63
2.4 संबंधित शोध साहित्यों का अध्ययन 63
2.4.1 व्यक्तित्व से संबंधित शोध साहित्य 63
2.4.2 समायोजन से संबंधित शोध साहित्य 68
2.4.3 सशक्तिकरण से संबंधित शोध साहित्य 72

अध्याय-3: शोध अभिकल्प 90

3.1 शोध अभिकल्प 90
3.2 शोध विधि 91
सर्वेक्षण विधि का अर्थ 92
3.3 जनसंख्या 92
3.4 न्यादर्श 94
न्यादर्श चयन की प्रविधि 96
उद्देशीय न्यादर्श 96
न्यादर्श के रूप में चयनित विद्यालयों की सूची 96
3.5 चर 99
1. स्वतंत्र चर - 99
2. आश्रित चर - 99
3.6 अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण 99
उपकरण का फलांकन 100

1. व्यक्तित्व परीक्षण (परिशिष्ट-I) 100
2. समायोजन परीक्षण (परिशिष्ट-II) 101
3. किशोरी बालिका सशक्तिकरण परीक्षण (परिशिष्ट-III) 103
3.7 अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधि 105
1. मध्यमान (डमंद) 105
2. प्रमाणिक विचलन (Standard Deviation) 105
3. प्रमाणिक त्रुटि विचलन (Standard Error of Difference between two means) 106
4. टी मूल्य परीक्षण (t-test) 106
5. सहसंबंध गुणांक (Co-Relation) 106
6. प्रसरण विश्लेषण (Analysis of variance) 107

अध्याय-4: प्रदत्तों का संकलन, विषलेशण एवं व्याख्या 108

अध्याय-5: निष्कर्ष एवं सुझाव 130

5.1 अध्ययन का निष्कर्ष 130
5.2 उपसंहार 132
5.3 सुझाव 136
5.4 भावी अध्ययन हेतु सुझाव 137

संदर्भ ग्रंथ सूची 139

ABOUT THE AUTHORS

Dr. Mrs. Gulista Khatoon, M.Com, M.Ed, Ph.D (Education) was working as an Asst.Prof. in the Department of Education of Dr.C.V.Raman University,Kargi Road, Kota, Bilaspur, since last 6 years. She also took additional responsibility as a Faculty Co-ordinator of Commerce Department in same University for last 3 years. She has published **07** Research papers in national and international journal and 18 papers were presented in national and international seminar and conferences. She has guided 16 M.Ed.scholars and 4 M.Com. scholars (Distance Education).

Dr. Pramod Kumar Naik, after completing his master degree in education and B.Ed from Kurukshetra University, Haryana, he completed his M.phil and Ph.D in education from Sambalpur University, Odisha. He has 25 years of teaching experience at U.G., P.G, M.Phil, Ph.D (Course Work) level in different Colleges and University of Odisha and Chhattisgarh. Dr. Pramod Kumar Naik used his knowledge of the subject and his teaching experience acquired during these years, while writing this book. This book can be effectively used in teaching programmes both by students, research scholars and teachers. Dr.Naik has published **70** Research Paper in National/International journal, published **04** Books named **Advanced Educational Psychology, Parenting, Organizational Effectiveness, Job Satisfaction** and **03** Guide Books in Education. In **06** Edited Books **07** Chapters has been Published. Participated in Orientation and Refresher Course. He has delivered a number of Guest Lecturer in National seminars, International seminars, Orientation and Refresher Course and Colleges. He has guided **38** M.Ed. scholars, **23** M.Phil scholars and **05** Ph.D scholars are Awarded

under his supervision, now **05** Ph.D scholars are doing their research work under his supervision. He is the member of different board and committies of Dr.C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.), Subject Experts of Pt.Ravi Shankar Shukla University, Raipur (C.G.) and also the member of Editorial Board of **04** Research Journal.

Now Dr. Pramod Kumar Naik is a Professor & Dean (Education), Research Director, AIU Co-ordinator of Dr. C. V. Raman University, Kargi Road Kota, Bilaspur (C.G.). His API Score calculated by the university is **525.**

अध्याय-1
पृष्ठभूमि, तथ्य एवं औचित्य

1.1 प्रस्तावना

शिक्षा का अर्थ ज्ञानार्जन के द्वारा संस्कारों तथा व्यवहारों का निर्माण करना है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य बालक में मानवीय गुणों का विकास करके उसे इस योग्य बनाना कि वह मानव संस्कृति व समाज को और अधिक सुंदर व सुदृढ़ बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। इससे व समाज का एक उत्तरदायी घटक एवं शब्द का प्रखर चरित्र सम्पन्न नागरिक बनकर समाज की सर्वांगीण उन्नति में अपनी शक्ति का उत्तरोत्तर प्रयोग करने की भावना से ओत-प्रोत होकर संस्कृति तथा सभ्यता का पुनर्जीवित एवं पुर्नस्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करके उसे तेजस्वी, बुद्धिमान, चरित्रवान, विद्वान तथा वीर बनाती है।

''शिक्षा से मेरा तात्पर्य है - बालक और मनुष्य के शरीर मस्तिष्क और आत्मा में पाये जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुन्मुखी विकास।''

- महात्मा गाँधी

गाँधीजी का विश्वास था कि शिक्षा के उद्देश्यों में चरित्र निर्माण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस संबंध में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है

''मैंने सदैव हृदय की संस्कृति अथवा चरित्र निर्माण को प्रथम स्थान दिया है तथा चरित्र निर्माण को शिक्षा का उचित आधार माना है।''

विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में नैतिक शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। नैतिक शिक्षा आदर्श नागरिक गुणों की जननी है। अलग-अलग आयु स्तरों पर बालक

के भीतर नैतिकता भी भिन्न-भिन्न स्तर की होती है। बालक बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक समाज के नैतिक मूल्यों के अंतर्गत अनेक मूल्य आते हैं जैसे उचित-अनुचित की भावना, आज्ञा पालन, सत्य-असत्य का ज्ञान, ईमानदारी, दया, सत्यवादिता, भक्ति, निष्पक्षता, आत्म नियंत्रण, आत्मविश्वास, उत्तरदायित्व सशक्तिकरण की भावना आदि। व्यक्ति के इन्हीं सामाजिक, नैतिक मूल्यों का योग चरित्र कहलाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष है।

नैतिक शिक्षा के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। यह शिक्षा बालक के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सभी पहलुओं का विकास करती है। व्यक्तित्व के विकास से न ही वैयक्तिकता का विकास होता है। व्यक्तित्व वह संगठन है, जो बालक अपने जीवन काल में निर्मित करता है। अपनी कलाओं, योग्यताओं, मनोवृत्तियों एवं अनुभवों के आधार पर व्यक्तित्व परिवर्तित होने वाला शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक जीवन के चारो ओर अनुभवों के कारण होती है। विद्यालय तथा पाठ्यक्रम भी बालकों के आदत संबंधी प्रत्युत्तरों पर प्रभाव डालता है।

बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक बालक को माता-पिता या घर के बड़ों की जरूरत होती है, जो उन्हें सत्य-असत्य का अंतर, ईमानदारी, दया, सहिष्णुता, समायोजन, सशक्त व उचित-अनुचित का अंतर बनाकर उत्तरदायित्व संस्कार दे सके। वर्तमान समय में शिक्षा प्राप्ति के स्थान विद्यालय है। शिक्षक व छात्राओं के मध्य अंतःक्रिया, मानसिक व भावनात्मक दोनों स्तरों पर होना चाहिए। विद्यालयों में शिक्षकों का यह कर्तव्य माना जाता है कि वे यह ध्यान रखे कि बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास हो रहा है या नहीं। संतुलित व्यक्तित्व के विकास के बिना बालक की शिक्षा अधूरी है।

विद्यालय छात्राओं के चरित्र एवं व्यक्तित्व निर्माण का प्रधान स्थल है। विद्यालय की सब बातों को बालक व बालिकाओं पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है जैसे - पाठ्यक्रम, अध्यापन, शिक्षक-छात्र संबंध, अनुशासन, छात्रों का आपसी संबंध एवं खेलकूद आदि। विद्यालय में अध्यापक सबसे प्रमुख व्यक्ति है, जो बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। परिवार, समाज, आर्थिक स्थितियाँ, माता-पिता स्थिति, सामाजिक वातावरण, विद्यालय का परिवेश, शिक्षक, शिक्षक-छात्र संबंध पाठ्यक्रम एवं अनुशासन आदि बहुत सी बातों का प्रभाव छात्र के व्यक्तित्व

पर पड़ता है। मान्यताएँ, आदर्श रीति-रिवाज, रहन-सहन की विधियाँ, धर्म-कर्म आदि की शैलियाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व की रचना करने में सहयोग देती है।

1.1.1 व्यक्तित्व का अर्थ

व्यक्ति या बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक गुणों का सुव्यवस्थित मिश्रण व्यक्तित्व कहलाता है। विकास के यह निरंतरता व्यक्ति के शैश्वावस्था से जीवन के अंत तक चलती रहती है। ऐसा समय कभी नहीं आता है, जब यह कहा जा सके कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास या पूर्ण निर्माण हो गया।

''व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की क्रिया में रहता है।''

- गैरिसन

''व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक बनावट का थोड़ा बहुत ऐसा स्थायी और स्थिर संग्रह है, जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है।''

एच.जे. आई. जैंक

व्यक्तित्व के प्रकार -

ये निम्न तीन प्रकार के होते हैं

- अंतर्मुखी व्यक्तित्व (Introvert personality)
- बहिर्मुखी व्यक्तित्व (Extrovert personality)
- उभयमुखी व्यक्तित्व (Ambivert personality)

अंतर्मुखी व्यक्तित्व

इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियाँ और अन्य चालक बाह्य रूप में न होकर आंतरिक रूप में होता है। इस व्यक्तित्व के मनुष्य दार्शनिक और विचारक भी होते हैं।

बहिर्मुखी व्यक्तित्व

इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले मनुष्य का झुकाव बाह्य तत्वों की ओर होता है। वे अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। वे

संसार के भौतिक और सामाजिक लक्ष्यों में विशेष रूचि रखते हैं। इस व्यक्तित्व के मनुष्य अधिकांश रूप में सामाजिक, राजनैतिक या व्यापारिक नेता होते हैं।

उभयमुखी व्यक्तित्व

ऐसे व्यक्तियों में अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण होते है, ऐसे व्यक्ति अच्छा बोलने वाले व लिखने वाले होने के साथ एकांत में कार्य करना भी पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं।

व्यक्तित्व की विशेषताएँ

व्यक्तित्व के निम्नलिखित विशेषताएँ होती है

- **आत्म-चेतना -** ऐसे व्यक्तियों में अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण होते है। ऐसे व्यक्ति अच्छा बोलने वाले व लिखने वाले होने के साथ एकांत में कार्य करना भी पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं।
- **सामाजिकता -** व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता है - सामाजिकता समाज में पृथक मानव और उसके व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। मानव में आत्म-चिंतन का विकास तभी होता है, जब समाज के अन्य व्यक्तियों के संपर्क आकर किया और अन्तःक्रिया करता है।
- **सामंजस्य -** व्यक्तित्व की तीसरी विशेषता है - सामंजस्य व्यक्ति को न केवल बाह्य वातावरण से प्रश्न अपने व स्वयं के आंतरिक जीवन से भी सामंजस्य करना पड़ता है। सामंजस्य करने के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व में विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है।
- **निर्देशित लक्ष्य-प्राप्ति -** व्यक्तित्व की चौथी विशेषता - निर्देशित लक्ष्य-प्राप्ति। मानव के व्यवहार का सदैव एक निश्चित उद्देश्य होता है और वह सदैव किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संचालित किया जाता है। उसके व्यवहार और लक्ष्यों से अवगत होकर हम उसके व्यक्तित्व को सहज की अनुमान लगा सकते हैं।
- **दृढ़-इच्छा शक्ति -** व्यक्तित्व की पांचवी विशेषता दृढ़-इच्छा शक्ति यही शक्ति व्यक्ति को जीवन की कठिनायों से संघर्ष करके अपने व्यक्तित्व को

उत्कृष्ट बनाने की क्षमता प्रदान करती है। इस शक्ति की निर्बलता उसके जीवन को अस्त-व्यस्त करके उसके व्यक्तित्व को विघटित कर देती है।

- **शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य -** व्यक्तित्व की छठवीं विशेषता है - शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य मनुष्य मनोशारीरिक (Psycho-physical) प्राणी है। अतः उसके अच्छे व्यक्तित्व के लिए अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का होना एक आवश्यक शर्त है।
- **एकता व एकीकरण -** व्यक्तित्व की सातवीं विशेषता है - एकता व एकीकरण। जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर का कोई अवयव अकेला कार्य नहीं करता है, उसी प्रकार व्यक्तित्व का कोई तत्व अकेला कार्य नहीं करता है। ये तत्व है - शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि। व्यक्तित्व के इन सभी तत्वों में एकता या एकीकरण होता है।
- **विकास की निरंतरता -** व्यक्तित्व का अंतिम किन्तु महत्वपूर्ण विशेषता है विकास की निरंतरता। व्यक्तित्व के विकास में कभी स्थिरता नहीं आती है। जैसे-जैसे व्यक्ति के कार्यों, विचारों, अनुभवों, स्थितियों आदि में परिवर्तन होता जाता है, वैसे-वैसे उसके व्यक्तित्व के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ऐसा समय कभी नहीं आता है, जब यह कहा जा सके कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास या पूर्ण निर्माण हो गया है।

विज्ञान और तकनीकी के विस्तार के साथ विवेक और बुद्धि का संकुचन होता जा रहा है। ज्ञान बढ़ रहा है और व्यक्तित्व का पतन हो रहा है। इस प्रकार ज्ञान और विवेक के बीच असंतुलन की स्थिति निर्मित हो गयी है। वर्तमान में विद्यार्थियों में नैतिक व मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठा घटती जा रही है। विद्यालयों में इसका प्रभाव बढ़ रहा है। देश के भावी नागरिक कुसंस्कारों, अनैतिक अपहरणों, मादक पदार्थों की लत, उदण्डता, अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, अपराधी एवं हर क्षेत्र में अपने आपको समायोजित न कर पाना आदि के शिकार होते जा रहे है।

1.1.2 समायोजन का अर्थ

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः वह अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए स्वयं ही सचेत रहता है। व्यक्ति अपने विकास में ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है जो उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक होती

है। जब व्यक्ति इन बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो यहि समायोजन है। अतः जब व्यक्ति अपने व्यवहार की गतिशीलता का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्म-पुष्टि के लिये करता है, तो इसे समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है।

अतः समायोजन से तात्पर्य है व्यक्तियों की अपनी आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के साथ संतुलन बनाये रखना है, व्यक्ति की इच्छाओं, संवेग, व्यवहार व आचरण एक-दूसरे के अनुकूल हो, व्यक्ति एवं वातावरण के मध्य प्रभावपूर्ण संतुलन की प्रक्रिया ही समायोजन कहलाती है।

''समायोजन वह अवस्था है, जिसमें एक ओर व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा दूसरी ओर समाज की मांग पूर्ण रूप से संतुष्ट होती है।''

- आइजीन्क (1957)

''समायोजन से तात्पर्य व्यक्ति की आंतरिक तथा बाह्य आवश्यकताओं एवं अभावों के मध्य सामंजस्य तथा संतोषप्रद संबंध कायम रखना है।''

- शेक (1969)

समायोजन का क्षेत्र - समायोजन के क्षेत्र निम्न है

- **शैक्षिक समायोजन -** कुसमायोजन बालकों में अधिगम की गति अत्यंत मंद होती है। वे कक्षा के अन्य बालकों के अधिगम की गति के साथ नहीं चल सकते तथा सामान्य बालकों को भी कुसमायोजित बालकों के साथ सीखने में कठिनाई होती है। अतः शिक्षा द्वारा बालकों के समायोजन में सहायता मिलती है।
- **संवेगात्मक समायोजन -** संवेगात्मक रूप से अस्थिर व्यक्ति को शिक्षा द्वारा उचित रूप से समायोजित करके उन्हें परिपक्व एवं भावात्मक रूप से स्थिर करने को दी संवेगात्मक समायोजन कहा जाता है।
- **सामाजिक समायोजन -** समाज में सुरक्षित रूप से समाजपरक नियमों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सोर्हाद्रपूर्ण जीवन की स्थापना सामाजिक समायोजन है।

समायोजन की प्रविधियाँ

समायोजन की प्रविधियाँ (Methods) निम्न हैं

1. प्रत्यक्ष विधियाँ (Direct Methods)
2. अप्रत्यक्ष विधियाँ (Indirect Methods)
3. क्षतिपरक विधियाँ (Compensatory)
4. आक्रामक विधियाँ (Aggressive)

1. **प्रत्यक्ष विधियाँ (Direct Methods) -** जब व्यक्ति चेतनावस्था में रहकर समायोजन को स्थापित करने के लिये प्रयत्न करता है, तो वह प्रत्यक्ष समायोजन के अंतर्गत माने जाते है। ये विधियाँ निम्न है

- **बाधाओं का समाधान -** व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने का चेतनात्मक प्रयत्न करते हैं। इस चेतनात्मक प्रयत्नों के अंतर्गत अभ्यास और लगन महत्वपूर्ण कार्य करते है।
- **अन्य मार्ग खोजना -** जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति में उत्पन्न विभिन्न बाधाओं को किसी कारणवश दूर नहीं कर पाता है तो किसी अन्य मार्ग या हल को खोजना पड़ता है। इस प्रकार उसका मानसिक तनाव कम हो जाता है और वह समायोजन स्थापित कर लेता है।
- **उद्देश्यों में परिवर्तन -** जब व्यक्ति अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता है न उत्पन्न बाधाओं पर विजय प्राप्त कर पाता है, तो वह उस उद्देश्य को त्यागकर समानांतर उद्देश्य को ग्रहण कर समायोजन स्थापित कर लेता है।
- **विश्लेषण एवं निर्णय -** विश्लेषण एवं निर्णय का प्रयोग सभी व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। जब मनुष्य परिस्थितियों में घिर जाता है, तो वह मानसिक संतुलन खो बैठता है। उसे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई उपाय या रास्ता खोजना पड़ता है। यह रास्ता परिस्थिति का सहि विश्लेषण और उचित निर्णय करने पर ही निर्भर होता है। इस प्रकार से व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होकर समायोजन स्थापित कर लेता है।

2. **अप्रत्यक्ष विधियाँ (Indirect Methods) -** मानसिक सामान्यता को बनाये रखने के लिए व्यक्ति को अचेतन क्रियाओं की भी सहायता लेनी पड़ती है। जिससे व्यक्ति अपना आत्मसम्मान की रक्षा करता है तथा अपना बचाव तब करता है जब वह चिंताग्रस्त व निराश होता है। अतः अप्रत्यक्ष विधियाँ निम्न है

- **शोधन -** शोधन अचेतन मन की वह मानसिक प्रक्रिया है, जिसके अंदर व्यक्ति की मूल प्रवृत्यात्मक शक्ति या संवेगात्मक शक्ति, इच्छाएँ या आवश्यकताएँ आदि को ऐसे कृत्रिम पक्ष की ओर मोड़ दिया जाता है, जिसे समाज की स्वीकृति प्राप्त है। जैसे - कवि कालिदास की प्रेम की भावना (प्रेमिका) में शोधन करके साहित्य प्रेम भावना के रूप में शोधन किया गया था।
- **पृथक्करण -** दैनिक जीवन में यह देखा गया है कि दुःख या कष्ट आने पर व्यक्ति स्वयं को उससे अलग कर लेता है। ऐसे व्यवहार को पलायनवादी व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। व्यवहार समाज, विरोधी या कानून विरोधी होते हैं और ऐसे लोग समायोजन स्थापित करने में सफल नहीं हो पाते।
- **प्रतिपगमन -** प्रतिपगमन की शक्ति तब देखने में आती है, जब व्यक्ति निराशा द्वारा उत्पन्न चिन्ता के कारण व्यवहार के प्रारंभिक अथवा आदिम रूपों में वापस चला जाता है जैसे परेशान व्यक्ति नशा का सहारा लेने लगता है।
- **निर्भरता -** जब व्यक्ति किसी कार्य में सभी प्रयत्नों के बावजूद असफल हो जाता है, तो वह स्वयं की समस्या को किसी योग्य व्यक्ति को सौंप देता है और उसके निर्देशों का पालन करके जीवन व्यतीत करने लगता है और अपनी मानसिक तनाव पर विजय प्राप्त कर लेता है।
- **दमन -** कुछ व्यक्ति चिंता को समाप्त करने के लिये दमन का प्रयोग करते है और उससे छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं।

3. **क्षतिपुरक विधियाँ (Compensatory Methods):** इस विधि की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीकों के प्रयोग में लाया जाता है। प्रत्यक्ष तरीका वह है, जब व्यक्ति असफल क्षेत्र में ही मेहनत और परिश्रम करके अपनी कमी को पूरा करता है और अप्रत्यक्ष तरीका वह है, जब व्यक्ति असफल क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में कुशलता एवं प्रवीणता को प्रदर्शित कर सुख प्राप्त करता है।
4. **आक्रामक विधियाँ (Aggressive Methods):** आक्रामक विधि को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से प्रयोग किया जाता है

- **प्रत्यक्ष -** आक्रामकता वह है, जिसमें व्यक्ति उसी व्यक्ति या वस्तु पर आक्रमण करता है, जो उसके असंतोष का कारण होता है।

- **अप्रत्यक्ष -** अप्रत्यक्ष आक्रामकता वह है, जिसमें व्यक्ति, असंतोषजनक परिस्थिति पर आक्रमण न करके अन्य ढंग से आक्रामक व्यवहार करके मानसिक तनाव को दूर करते है।

विद्यालय द्वारा समायोजन का विकास

निरंतर रहने वाली चिंता शारीरिक और मानसिक रूप से कष्टदायक होती है। इस प्रकार हम निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि किसी भी प्रकार की असफलता छात्रों में निराशा उत्पन्न करती है। निराशा के द्वारा मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है और मानसिक संघर्ष की निरंतरता 'तनाव' को उत्पन्न कर देती है। अतः छात्रों की समायोजन शक्ति समाप्त हो जाती है। प्रत्येक विद्यालय का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने छात्रों की समायोजनशीलता को बनाये रखें।

- मन

इस कार्य हेतु विद्यालय द्वारा निम्नलिखितत कार्य करने चाहिए

- बालकों के समक्ष किसी प्रकार की समस्या उपस्थित नहीं होनी चाहिए।
- बालकों को निराशा और असफलताओ का सामना करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- शारीरिक, मानसिक एवं दोषयुक्त छात्राओं का पर्याप्त इलाज है और उसकी शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।
- प्रतिभाशाली बालकों की विशेष शिक्षा एवं दीक्षा का प्रबंध होना चाहिए।
- पिछड़े बालकों के लिए छात्रवृत्ति एवं विशेष कक्षाओं की सुविधा होनी चाहिए।
- एकांतप्रिय एवं शर्मीले बालकों को विभिन्न प्रतियोगिता में प्रवेश दिलाकर प्रशंसा के द्वारा सामान्य बनाना चाहिए।
- कक्षा के वातावरण में आपसी तनाव को प्रेम व सौर्हाद्र के साथ दूर करना चाहिए।
- विद्यालय का वातावरण परिवार जैसा होना चाहिए ताकि संघर्ष से बच सकें।
- छात्रों के जीवन का उद्देश्य और वे भविष्य में क्या बनेंगे बता देना चाहिए ताकि उनके मन से असुरक्षा की भावना निकल सके।

- माता-पिता को बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? यह पहलू समय-समय पर ''अध्यापक संरक्षक गोष्ठी'' में समझाना चाहिए, ताकि बालकों के प्रति स्वयं के कर्तव्य को वे भी समझ सके।

इस प्रकार विद्यालयों द्वारा छात्राओं में कसी भी परिस्थिति में अपने आप को सफल और योग्य बनाकर हर क्षेत्र में समायोजित कर सकने कि शिक्षा दी जानी चाहिए। जब बालक हर क्षेत्र में समायोजन कर अपने आप को सफल बना सकते है तो उस बालक या बालिका में सशक्त होने के सभी गुण विद्यमान होंगे क्योंकि कहा जाता है कि आज का बालक/बालिका कल देश के भविष्य का निर्माता होता है। ये तभी संभव होगा जब ये गुण इनमें विद्यमान होंगे

''किसी भी पक्षी का जैसे, एक पंख से उड़ना संभव नहीं है! उसी प्रकार महिलाओं के विकास के बिना, विश्व का कल्याण संभव नहीं है।''

- स्वामी विवेकानंद

1.1.3 सशक्तिकरण का अर्थ

सशक्तिकरण का अर्थ है आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान व आत्मविश्वास। महिला सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ है - महिला को शक्ति संपन्न परंतु व्यापकता में इसका अभिप्राय सत्ता-प्रतिष्ठानों एवं जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की साझेदारी से है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक कहा जा सकता है। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वायत्तता ही महिला सशक्तिकरण है।

महिला सशक्तिकरण में इन 7 प्रकार महिलाओं को अधिकार प्रदान किया जाये तो वह स्वयं ही अपने आप को सशक्त कर सकेगी।

अधिकार एवं स्वतंत्र अस्तित्व

- स्वतंत्र अस्तित्व हेतु अधिकार एक आवश्यक तत्व है। अधिकार के कई रूप हो सकते है जैसे कि - अधिकारपूर्वक, अधिकार से अधिकार के प्रति, इनमें से सभी एक अलग अधिकार के प्रशासन की बात करते हैं। उदाहरण के लिए
- पारिवारिक स्तर पर अधिकार व निर्णय

- समयानुसार अधिकार के क्षेत्र में परिवर्तन
- अधिकार के श्रोतों पर नियंत्रण
- श्रोतों पर क्रियान्वयन और लाभ
- स्वयं हेतु सहीं पेशे के चुनाव का अधिकार

स्वतंत्र अस्तित्व

इसका तात्पर्य श्रोतों के द्वारा घर व समाज पर समान अधिकार से है - वे श्रोत है

धन और धन का अर्जन - इसमें भौतिकी संरचना, तकनीकी और वाणिज्य भी सम्मिलित है। इस पैमाने या संकेत का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष समूह के स्वतंत्र अस्तित्व के स्तर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है।

श्रोतों के स्वतंत्र अस्तित्व के समान अधिकार का प्रदर्शन। सभी कथन धनात्मक प्रवृत्ति के है। इनका प्रशासन केवल 13 से 18 साल तक की किशोर युवतियों पर किया जा सकता है।

स्वायत्तता एवं आत्मविश्वास/आत्मनिर्भरता

क्रियाओं की स्वतंत्रता, वांछित क्रियाओं के प्रभावपूर्ण व पर्याप्ततापूर्ण अधिकार का प्रदर्शन, स्वयं के विकास और भविष्य को देखने की क्षमता एवं निर्णय लेने की प्रभावपूर्ण क्षमता इसमें सम्मिलित हैं

- घरेलू उपयोगी सामग्रियों की खरीददारी
- परिवार के आय एवं व्यय के स्रोतों पर नियंत्रण
- घर के बाहर का कार्य
- अपरिचितों से बातें
- किसी बीमार पारिवारिक सदस्य का उपचार
- अन्य संबंधियों एवं मित्रों को सामाजिक एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना

निर्णय प्रक्रिया

किसी महिला के निर्णय लेने के अधिकार को सात एकांशों पर मापा जाता है। निर्णय लेने का अधिकार बच्चों की शिक्षा आर्थिक पहलुओं आदि से संबंधित होती है। निम्न पैमानों के आधार पर किशोरियों के निर्णय लेने की शक्ति का पता लगाया जा सकता है

- महत्वपूर्ण तथ्यों पर निर्णय लेना
- विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता जैसे - नौकरी शिक्षा आदि।
- अपने पैसे खर्च करने का निर्णय

सामाजिक एवं विकासात्मक क्रियाकलापों में भागीदारी

सामाजिक एवं विकासात्मक क्रियाकलापों में लड़कियों की सहभागिता निम्न पैमानों पर मापी जाती है

- मूल्य वृद्धि के विरूद्ध सुरक्षा
- आय में सहभागिता
- विद्यालय एवं समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता
- हिंसा के विरूद्ध सुरक्षा
- परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सुझावों में सहभागिता

क्षमता विकास

निम्न पैमानों के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष/समूह के जागरूकता स्तर एवं निर्माण क्षमता को मापा जा सकता है

- स्रोतों के नियंत्रण की क्षमता
- सामाजिक क्रियाकलापों में निर्णय की क्षमता
- गैर-पारिवारिक समूह में सहभागिता
- जनसाधारण से प्रभावी अंतःक्रिया की क्षमता गतिशीलता और दार्शनिक क्षमता
- राजनीतिक क्रियाकलापों में सहभागिता की क्षमता
- संस्थागत रूपांतरण जैसे - परिवार, शिक्षा, धर्म आदि।
- महिलाओं के संघर्ष
- विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत आपसी सामान्य समस्याओं, समान मुद्दों पर सहमति आदि के बारे में सोचने की क्षमता।

सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता

सामाजिक एवं कानूनी जागरूकता की जानकारी उनके ज्ञान के आधारित निम्न क्रियाकलापों के आधार पर पता लगाया जा सकता है

- उसके यूनियन परिषद के चेयरमैन की जानकारी
- उस क्षेत्र के वार्ड सदस्य की जानकारी
- प्रधानमंत्री का नाम
- इनहेरिटेन्स का नियम
- रजिस्टर्ड शादी

सूचना माध्यमों की उपयोगिता

सूचना माध्यमों या साधनों की नियमित प्रभावित या उपयोगिता निम्न साधनों के आधार पर की जा सकती है

1. रेडियो
2. टी.वी. (दूरदर्शन)
3. पुस्तकालय

देश की आधी आबादी यानी महिलाएँ अब स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। वे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता के बल पर पुरुषों के कदम से कमद मिला रही है। पिछले 10 वर्षों के आंकड़े बताते है कि इन्होंने अपनी अहमियत दर्शाकर नई पहचान बना ली है। राजनीति, खेल, शिक्षा, उद्यम सेवा क्षेत्र, आदि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। यह महिलाओं की इच्छाशक्ति और लगनशीलता का प्रतीक है कि आज शहरी महिलाओं के साथ-साथ गाँव की महिलाएँ भी अपने पैरों पर खड़ी होकर जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही है। घर के चूल्हे-चौके से लेकर देश, प्रदेश, समाज के विकास में हाथ बंटा रही है। सामाजिक स्तर पर भी महिलाओं के लिए किये जा रहे प्रयासों में भी सकारात्मक परिवर्तन हो रहे है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए जन अभियान परिषद द्वारा गठित प्रस्फुटन समितियाँ व स्वयंसेवी संस्थाएँ प्रयासरत है, जिसके परिणाम भी अब देखने को मिलने लगे है। यह पहला मौका होगा जब इतने बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को उनका हक दिलाने में जुटी है। वहीं प्रदेश की स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रस्फुटन समितियों के माध्यम से प्रदेश के कोने-कोने में बसे गाँव की महिलाएँ स्वावलंबन और स्वरोजगार के प्रति प्रेरित हो रही है। प्रस्फुटन समितियों के माध्यम से गाँवों में स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे है। सिलाई-कढ़ाई सेंटर, छोटे-छोटे उद्यम लगाकर

प्रस्फुटन समितियाँ महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा कर रही है। शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। समितियों के माध्यम से महिलाएँ आज स्वरोजगार की ओर अग्रसर हो रही है।

मानव समाज में स्त्रियों की द्वितीयक स्थिति के क्या कारण है?

इस संबंध में विभिन्न समाज, वैज्ञानिकों, मानवशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, नारीवादियों ने अपने अलग-अलग मत एवं सिद्धांत प्रस्तुत किए है। उपरोक्त सभी के अध्ययन व विश्लेषण करने पर नारी के जीवन को तीन पक्षों में विश्लेषित किया जा सकता है यथा

1. जैविक परिप्रेक्ष्य
2. बौद्धिक या मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य
3. समाजशास्त्रीय व मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

1. **जैविक परिप्रेक्ष्य -** जैविक पक्ष के समर्थकों के अनुसार स्त्री एवं पुरुष के बीच नैसर्गिक रूप से कुछ जैविक अंतर होता है, जिसके कारण स्त्री, पुरुष की तुलना में शारीरिक रूप से कोमल होता है। इसी कारण सदियों से पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को कम शारीरिक श्रम वाले एवं द्वितीयक कार्यों को करने के लिए अधिक उपयुक्त समझा गया, जैसे - ईंधन के लिए लकड़ियाँ एकत्रित करना, भोजन पकाना, गर्भधारण करना, संतानोत्पत्ति इत्यादि इसी प्रकार पुरुषों को शारीरिक आधार पर ही तुलनात्मक रूप से अधिक शारीरिक श्रम वाले कठिन एवं प्राथमिक प्रकार के कार्यों को करने के लिए अधिक उपयुक्त माना, जैसे - शिकार करना, पशुओं को प्रशिक्षित करना, स्त्रियों की रक्षा करना, खेती करना, भारी बोझ उठाना, स्त्रियों को संतानोत्पत्ति के लिए शुक्राणु प्रदान करना इत्यादि। जैविक सिद्धात के अनुसार स्त्रियाँ प्रकृति के अधिक समीप होता है जबकि पुरुष संस्कृति के अधिक समीप होता है। संस्कृति का निर्माण मानव द्वारा प्रकृति को अपने अधीन बना लेने के परिण ाामस्वरूप हुआ है। इस प्रकार जैविकताओं की मान्यता है कि स्त्रियों की द्वितीयक परिस्थिति प्रकृति की देन है।

   उपयुक्त परिप्रेक्ष्य को निम्न जैविक आधारों पर विश्लेषित किया जा सकता है -

- **लिंग का अर्थ -** लिंग का अर्थ है स्त्री एवं पुरुष का विशिष्ट ज्ञानेन्द्रियों के साथ जन्म लेना। लड़के या लड़की की पहचान विशिष्ट ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ही होती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसे अपने लिंग की पहचान होती है। जब लड़की अपने ''स्त्रीत्व'' व लड़का अपना ''पुरुषत्व'' दिखाने के लिए नारी गुण या नर गुणों को दिखाता है तब उसे लिंग भूमिका कहा जाता है। उनके इस तरह का व्यवहार करने के लिए समाजीकरण की प्रक्रिया जिम्मेदार है। विशिष्ट लिंग के लिए विशेष व्यवहार और मानसिक गुणों का होना आवश्यक है, जैसे पुरुष यदि डरपोक है तो वह हंसी का पात्र बनाता है। अतः उसका शक्तिशली होना आवश्यक है लेकिन यदि स्त्री डरपोक है या स्वभावतः लज्जावती है तो वह उसका नारी सुलभ गुण समझा जाता है। लिंग भूमिका के अनुसार स्त्री का ''नारी गुणी'' और पुरुष का नर ''नर गुणी'' होना आवश्यक है।
- **स्त्री और पुरुष में जैविक भिन्नता -** जैविक भिन्नता के कारण ही स्त्री और पुरुष में कुछ अलग-अलग भावना जागृत होता है। लिंग भेद को निर्धारित करने में जीवशास्त्रीय एवं मनोशास्त्रीय पहलू बड़े ही महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था में ही जैविक पहलू यह निश्चित करता है कि जो बच्चा होने वाला है वह लड़का है या लड़की, बच्चा नर गुणी है या नारी गुणी इसका निश्चित मनोशास्त्र द्वारा होता है। स्त्री-पुरुष में जैविक भिन्नता दर्शाने वाले पांच महत्वपूर्ण संदर्भ होते हैं - गुणसूत्र, लिंग, लिंग ग्रन्थि, लिंग ग्रन्थि स्त्राव, लिंग सहयोगी अन्तः इन्द्रियाँ एवं लिंगाविष्कार।

मानव समाजों में किसी शिशु के पैदा होने के बाद वह लड़का है या लड़की इसका निश्चय ''बाध्य लिंग'' करता है और बाद में उस शिशु का उसी तरीके से पालन-पोषण किया जाता है। बच्चे को उसके लिंग की पहचान कराई जाती है। शिशु की परवरिश ''तू'' लड़का है या तू लड़की है, यह कहकर होने लगती है। शिशु के पालन-पोषण के संबंध में श्रीमती मालती तुलपुले ने अपनी पुस्तक स्त्री मानवशास्त्री में लिखा है, जैसे ही बालक की बाह्य इन्द्रियों की पहचान हो जाती है वैसे ही घर में लड़की हुई या लड़का - यह कहकर भेदकारक प्रतिक्रिया गतिमान हो जाती है। लड़की हुई है अतः उसके लिए कपड़े का रंग, उसका नामकरण, उसके लिये दहेज की चिंता इत्यादि की बात होने लगती है, तो लड़का होने से बुढ़ापे का सहारा, पिण्डदान करने वाला हाथ, कुल दीपक आदि विशेषणों से पुकारा जाता है। इसी कारण जीव जन्म से मृत्यु तक इन्हीं प्रतिक्रियाओं के जाल में फंस जाता है।

उपयुक्त जैविक विवेचन से स्पष्ट है कि स्त्री और पुरुष दो स्वतंत्र प्रतियोगी जीव न होकर एक ही अखण्ड वस्तु के शारीरिक एवं कार्यात्मक दृष्टि से विभाजित दो भाग है। स्त्री और पुरुष में सम्मिलित विभिन्न समाजों में स्त्रियों की प्रस्थिति, भूमिका, प्रकार्यों एवं योगदान को प्रस्तुत एवं विश्लेषित करने के आधार भिन्न-भिन्न रहे है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में विभिन्न नारिवादियों के विचारों पर एक-एक करके चर्चा की जा सकती है जो इस प्रकार है

- उदारवादी नारीवाद
- मार्क्सवादी नारीवाद
- आमूल परिवर्तनकारी नारीवाद

उदारवादी नारीवाद

उदारवादी नारीवादियों के अनुसार स्त्री एवं पुरुष के बीच शारीरिक एवं लैंगिक भिन्नता पाई जाती है, जैसे शरीर का आकार, लंबा, स्थूलता, पक्ष, स्थलों का विकास, शारीरिक गठन, शरीर पर बालों का वितरण, जनानंगो की स्थिति इत्यादि। यह अंतर सार्वभौमिक है क्योंकि यह सभी मानव समाजों एवं कालों में स्त्री पुरुष के बीच पाया जाता रहा है। पुरुष की सामाजिक पस्थिति, भूमिका एवं अधिकारों में वृद्धि हुई दूसरी ओर स्त्री की सामाजिक परिस्थिति, भूमिका एवं अधिकार में कमी आई। फलतः पुरुष ने न केवल स्त्री के अधिकारों पर विजय प्राप्त की वरन् उनकी कार्यशीलता को सीमित क्षेत्र में बांध दिया। इस प्रकार स्त्री पुरुष के अधीन हो गई।

उदारवादी नारीवाद के अनुसार असंतुलित एवं अन्यायपूर्ण श्रम विभाजन स्त्रियों की द्वितीयक परिस्थिति के लिए उत्तरदायी है।

यदि स्त्री स्वतंत्रता एवं सशक्तिकरण द्वारा पुरुषों के साथ समानता चाहती है तो उदारवादी नारीवादियों के अनुसार उसे स्वयं की जैविक क्षमताओं को बढ़ाना होगा और सामाजिक सांस्कृतिक बंधनों को तोड़ना होगा। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो नवीन उन्नत तकनीकों द्वारा प्रस्तुत नये विकल्पों को स्त्री को अपनाना पड़े तो चिंता की कोई बात नहीं, जैसे-जैसे गर्भ निरोधक तकनीक, कृत्रिम गर्भधान, पुरुष वर्चस्व वाले क्षेत्रों में स्त्रियों का प्रवेश इत्यादि।

इस नारीवादी संप्रदाय का एकमात्र एवं अंतिम उद्देश्य मात्र स्त्रियों को उनके अधिकारों की प्राप्ति एवं पुरुषों के एकाधिकार की समाप्ति ही नहीं है बल्कि यह संप्रदाय लिंग विषमता के समूल नाश का पक्षधर है।

मार्क्सवादी नारीवाद

मार्क्सवादी नारीवाद के अनुसार स्त्री की द्वितीयक स्थिति की उत्पत्ति स्वयं परिवार से ही हुई है। परिवार में निजी सम्पत्ती की उत्पत्ति व्यक्ति द्वारा उत्पादन के साधनों लाभ के प्रतिशत एवं उत्पादन प्रक्रिया पर स्वामित्व के विचार के कारण हुई। इस विचार से स्त्री को एक ''वस्तु'' के रूप में प्रस्तुत किया जिसके आदान-प्रदान द्वारा नातेदारी संबंध स्थापित कर निजी लाभ में वृद्धि संभव हो सकती है। इस विचार का उदय मुख्यतया पूंजीवादी समाजों में हुआ। इससे स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति में कमि आई क्योंकि समाज उसे ''मूल्यवान वस्तु'' के परिप्रेक्ष्य से देखने लगा।

इस नारीवादी संप्रदाय के अनुसार स्त्री - पुरुष के बीच समानता स्थापित करने के लिए दो उपाय आवश्यक है - प्रथम निजी संपत्ति के विचार का त्याग, द्वितीय संघर्ष द्वारा स्त्रियों के अधिकारों की प्राप्ति। संघर्ष के लिए यह आवश्यक है कि स्त्रियाँ आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र एवं निर्णय लेने में सक्षम हो। यह नारीवाद उस विचार का पूर्ण रूप से विरोध करता है जिसमें यह कहा गया है कि स्त्री का कार्य मात्र संतानोत्पत्ति व घर की चारदिवारी में रहकर परिवार का लालन-पालन करना है तथा पुरुष का कार्य घर के बाहर निकलकर आर्थिक क्रियाएँ कर सकती है। इसी प्रकार पुरुषों को भी घरेलू कार्यों में सहयोग करना चाहिए।

निष्कर्ष रूप में मार्क्सवादी, नारीवाद स्त्री-पुरुष के बीच अधिकारों के समान एवं संतुलन वितरण की वकालत करता है ताकि लिंग संघर्ष को कम किया जा सके एवं साम्यवाद की स्थापना हो सके। इसके लिये यदि क्रांति करनी पड़े तो यह भी उचित है।

आमूल परिवर्तनकारी नारीवाद

आमूल परिवर्तनकारी नारीवाद के अनुसार प्रत्येक काल में मानव समाजों में चाहे वृद विकास की किसी भी अवस्था में हो कुछ विशिष्ट अभिवृत्तियाँ, व्यवस्थाएँ रीति-रिवाज, तौर-तरीके, पूर्वाग्रह एवं संस्थाओं का निर्माण किया गया। इन संस्थाओं एवं परंपराओं ने स्त्रियों को सोचने, विचार करने व व्यवहार करने पर अनेकों सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रतिबंध लगा दिए। यह प्रतिबंध लगातार पीढ़ीयों में हस्तांतरित होते गए तथा कालांतर मे सामज में संस्थागत हो गए।

धीरे-धीरे स्त्रियों में अपने प्रति हीनभावना घर कर गई और उन्होंने बिना किसी संघर्ष के पुरुष पराधीनता स्वीकार कर ली। धीरे-धीरे वह समाज में अपनी द्वितीयक परिस्थिति को नियत मानकर संतुष्ट हो गई। नारीवादी संप्रदाय के अनुसार स्त्री-पुरुष समानता के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम स्वयं स्त्री अपने विचारों में परिवर्तन लाए तत्पश्चात् स्त्री विरोधी सामाजिक मूल्यों एवं परंपराओं में सुधार लाए। इसके लिए सामाजिक क्रांति के बजाय समाज सुधार आंदोलनों द्वारा जन जागृति फैलाना आवश्यक है। स्त्रियों में स्वयं के अस्तित्व एवं क्षमताओं पर विश्वास जगाना आवश्यक है। पुरुष के समान परिस्थिति एवं अधिकार प्राप्त करने के लिए स्त्रियों को पारंपरिक बंधनों से स्वयं को मुक्त कर समाज में व्याप्त अवसरों का उपयोग करना होगा। इसके लिए उसे घर की चारदिवारी से बाहर निकलकर अपने व्यक्तित्व विकास के विकल्पों को अपनाकर स्वयं का विकास करना होगा और रूढ़िवादी बंधनों को तोड़ना होगा।

19वीं सदी से ही स्त्री सशक्तिकरण का विचार प्रमुख रूप से पश्चिमी समाजों में स्त्रियों की दुर्गति के कारण विकसित हुआ। इस प्रकार वहाँ के समाजशास्त्रियों एवं मनोशास्त्रीयों के लिए प्रमुख रूप से शोध एवं चर्चा का विषय रहा कि समाज में नारी की पराधीनता के लिए उत्तरदायी कारक कौन-कौन से है? नारी की इस पराधीनता से स्वतंत्र कर किस प्रकार सबलीकृत किया जा सकता है? इसी क्रम में उपरोक्त तीनों नारीवादी सिद्धांत अस्तित्व में आए। विभिन्न नारीवादी सिद्ध ांतों का विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा सकता है

- **सार्वभौम लिंग प्रस्थिति -** स्त्री पुरुष के मध्य लिंगभेद है यह इसे सभी कालों में भी समाजों में एक विशिष्ट सांस्कृतिक संस्थागत स्वरूप प्राप्त है। हांलाकि इन विभेदों को स्पष्ट करने का तरीका अलग-अलग कालों में समाजों में भिन्न-भिन्न रहा है। तरीके चाहे जो भी हो वस्तुतः स्त्री सदैव ही शक्ति एवं प्रभुत्व से वंचित रही है। समाज चाहे पितृसत्तात्मक हो या मातृसत्तात्मक, पुरुषों की स्त्री विरोधी मानसिकता स्त्री सशक्तिकरण के लिए सदैव चुनौती रही है। शक्ति एवं स्वामित्व सदैव ही पुरुष के हाथ में केन्द्रित रहा है। मणिपुर का मिठी समाज (पितृ सत्तात्मक) दक्षिण भारत का नायर समाज (मातृ सत्तात्मक) इत्यादि अनेकों ऐसे समाज है, जहाँ स्त्री-पुरुष की तुलना में अधिक कार्य करती है फिर भी पुरुष की सामाजिक परिस्थिति स्त्री की

तुलना में उच्च है। इसी प्रकार अफ्रीका में कुल कृषि कार्यों का 70 प्रतिशत भाग महिलाओं द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण किया जाता है।

भारत का सभ्य समाज में भी इसका अपवाद है। महिलायें न केवल घर-गृहस्थी के उत्तरदायित्वों को वहन करती है वरन् पति के साथ खेतों/व्यावसायिक कार्यों में बराबरी के साथ साझेदारी करती है। उपरोक्त उदाहरण उदारवादी नारीवाद के इस सिद्धांत के विपरित तस्वीर दिखते है, जिसमें यह कहा गया है कि नारी की दोयम परिस्थिति का कारण श्रम - विभाजन एवं जैविक असक्षमता है। किंतु यदि एक ही समाज में भिन्न-भिन्न आर्थिक-सामाजिक वर्गों वाली स्त्रियों के बीच यदि तुलनात्मक अध्ययन किए जाए तो यह देखा गया है कि निम्न, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति वाले समुदायों में स्त्रियां उच्च मध्यमवर्गीय एवं निम्न मध्यमवर्गीय आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति वाले समुदायों की स्त्रियों से अधिक स्वतंत्र जीवन जीती है। समाज के उच्च सम्पन्न वर्गों में जहाँ अमीर महिलायें कोई काम नहीं करती वरन् अपने पिता या परिवार द्वारा कमाई सम्पत्ति का उपयोग, उपभोग करती है वहाँ इतने ऐशो-आराम के पश्चात् भी इन महिलाओं का संसार मात्र चारदिवारी तथा कुछ मित्रों एवं रिश्तेदारों के घरों तक ही सिमटकर रह जाता है। इनका परिवार में स्थान पति या परिवार के अन्य पुरुष द्वारा निर्धारित किया जाता है।

इस प्रकार इन स्त्रियों की शक्ति एवं अधिकार से एक स्थायी दूरी बन जाती है। वह मात्र सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया बनकर जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो जाती है। इस परिस्थिति में भौतिक सुख-संपन्न स्त्री का स्थान दूसरी आर्थिक स्त्रोतों वाली स्त्रियों से पिछड़ जाता है।

- **लिंग संबंधी विशेष प्रस्थिति एवं स्तर विश्लेषण -** प्रत्येक समाज में स्तरीकरण को कोई न कोई स्वरूप प्रत्येक काल में अवश्य रहा है। मानव संस्कृति उद्विकास के तीन चरणों से होकर विकसित हुई है यथा जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था एवं सभ्य अवस्था। किसी समाज में स्तरीकरण एवं पद सोपान का आधार वे मूल्य थे, जिन्हें उस काल में प्राथमिकता प्राप्त थी। स्तरीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप समाज, वर्ग एवं जाति के घटकों के रूप में संकुचित होकर अनेकों स्तरों में विभाजित हो गया। परिवार का निर्माण, विवाह के

द्वारा हुआ है परिवार ने स्त्री-पुरुष व उनकी संतानों को अपने अंदर समेटा है साथ ही लिंग संबंधी आंतरिक स्तरों की विस्तृत व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया में परिवार में स्त्री को एक निम्न दर्जा दिया गया है और इसी कारण एक लिंग विशेष के रूप में उनकी दशा भी शोचनीय है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है।

वर्तमान समय में मध्यमवर्गीय परिवारों की स्त्रियों ने घर की चारदिवारी के बाहर कदम निकालकर अपने लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ उठाया है। कुछ क्षेत्रों में महिला कर्मियों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाती है। इन सबके पश्चात् समाज के परंपरागत सामाजिक ढांचे में स्त्रियों को अपने ही परिवार में पुरुष के समान बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं है। आर्थिक स्वावलंबन के बावजूद उन्हें सामाजिक क्षेत्र में परंपरागत द्वितीयक स्थान ही प्राप्त है।

पुरुष द्वारा स्त्री के प्रति आधुनिक एवं परंपरागत अपेक्षाओं के कारण पुरुष का स्त्री के शारीरिक सौंदर्य के प्रति नजरिया नहीं बदला है। स्त्री से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पुरुष को इच्छा के अनुरूप अपने शारीरिक सौन्दर्य को एक वस्तु के रूप में प्रचारित करने का कार्य किया। इस प्रकार समाज में बड़ी चतुराई से स्त्री की रचनात्मक, सृजनात्मक एवं बौद्धिक प्रतिभा को नकार कर स्त्री को एक बौद्धिक प्राणी नहीं बल्कि एक उपभोग योग्य ''वस्तु'' की तरह परिभाषित एवं स्थापित किया। इसने स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति का गहरा नकारात्मक प्रभाव डाला है।

लिंग प्रस्थिति संबंधी पूर्वाग्रह

समाज में ऐसे अनेकों रीति-रिवाज, तौर-तरीके, विचार-अभिवृत्तियाँ, संस्थाएँ, पूर्वाग्रह मौजूद है, जो स्त्रियों पर अंगुली उठाते है। समाज में अनब्याही स्त्री, अनब्याही माँ, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता स्त्री, विधवा, बांझ महिला, उपपत्नी के रूप में स्त्री बलात्कार की शिकार स्त्री इत्यादि स्त्रियों की विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते है जो सामाजिक अत्याचार एवं पुरुष की दोहरी मानसिकता की शिकार है।

सामाजिक रीति-रिवाज जैसे पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता राजस्वला स्त्री, शिशु जन्म के प्रथम माह के संबंध में प्रतिबंध पुरुष प्रधान समाज द्वारा बनाए गए कतिपय प्रतिबंध है, जो स्त्रियों को प्रदान किए गए दोयम एवं निम्न परिस्थति की ओर संकेत करते है। यह प्रस्थितियाँ है जिनके लिए पुरुष वर्ग उत्तरदायी है जैसे विधवा होना, बिन ब्याही माँ बनना, बांझ या निपुती होना, पुत्र प्राप्ति नहीं होना, कम पत्नि बनाना इत्यादि। तथापि समाज पुरुष प्रधान होने के कारण सभी नियमों एवं फायदों को निर्माण इस प्रकार हुआ है कि इन सभी बातों के लिए मात्र स्त्री को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है और पुरुष इन सबसे साफ बचकर बाहर आ जाता है। इसके अतिरिक्त पुरुष जब चाहे अपनी सुविधा के अनुसार नियमों में परिवर्तन कर सामाजिक दिशा-निर्देशों में परिवर्तन ला सकता है। समाज की इन दोहरी मानसिकता के कारण अनब्याहे बाप, तलाकशुदा पति, नंपुसक पुरुष एवं बलात्कारी पुरुष के चलते सती जैसी कुरीति को भी पुरुष समाज द्वारा महिमा मण्डित करने का प्रयास किया गया है और इसके समर्थक इसकी जड़ो का वैदिक साहित्य एवं वैदिक समाज में वर्णित होना बताते है। ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया व्यक्तिगत अनुभव के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। नारी के अनुभव एक स्तर पर पुरुष अथवा अन्य किसी श्रेणी जैसे वर्ग, प्रजाति के आधार पर विश्लेषित नहीं किए जा सकते। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत निम्न वर्ग की महिलाओं के अनुभव को प्रस्तुत नहीं कर सकता। नारी के अनुभव एक स्तर पर सामान के चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति देश या प्रजाति की हो। साथ ही निम्न वर्ग की नारी का अनुभव दोहरी प्रताड़ना से निर्मित है जो विशिष्ट विभिन्न है।

विरोधाभासी ज्ञानगत अभिविन्यास

विरोधाभासी ज्ञानगत अभिविन्यास नारीवादी सिद्धांत की उन शक्तियों व प्रभावों की विवेचना करता है जो कि ज्ञान के पुरुषत्व का प्रभुत्व स्थापित करने के लिये उत्तरदायी है। स्तरीकरण के सभी परंपरागत सिद्धांतों का निर्माण एवं व्याख्याएँ इस प्रकार की गई है कि स्तरीकरण की प्रक्रिया में पुरुषों का ही स्थान पहले और स्त्री का स्थान द्वितीयक रहे। अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की विवेचना करता है किन्तु वह कहीं भी नारी द्वारा किए गए गृहकार्य का आर्थिक मूल्यांकन नहीं करता है। नारी द्वारा किया गया यह कार्य अनार्थिक क्रिया है।

समाजशास्त्री इस तथ्य की अवहेलना करते है कि किस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया में स्त्री को शालीनता के रूप में ढालने के लिए शुरू से ही कमजोर एवं भयभीत बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। समाजशास्त्र पीटखो एवं ठलुमर के विनिमय सिद्धांत में भी स्त्री-पुरुष के मध्य असमान एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार की व्याख्या की गई है।

महिलाओं के प्रति असमानता का भाव दैनिक जीवन में देखा जाता है। समाज में भाषा, अभिव्यक्ति, क्रोध दया को व्यक्त करने के पुरुषों के लिए अलग मानदण्ड अलग है। ये मानदण्ड स्त्री-पुरुष के मध्य एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींचते है। परिवार में एक बालिका को गुड़िया से घर-घर खेलने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसे उपहार में भी गुड़िया, किचन सेट ही दिया जाता हैं। जबकि लड़के के घर के बाहर जाने, नेतागिरी करने, साइकिल चलाने, क्रिकेट खेलने, पतंग उड़ाना, हवाई जहाज उड़ाने आदि की प्रशंसा की जाती है। इसके विपरित लड़की को घर के अंदर ही रहने की प्रेरणा दी जाती है।

समाजशास्त्री मीड का ''भूमिका निर्वाह सिद्धांत'' तथा ''चार्ल्स कूले का आत्म दर्पण का भूमिका'' समाज द्वारा स्त्री की भूमिका एवं स्वयं नारी द्वारा समाज में अपने भूमिका का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार नारी जन्म के साथ ही चारदिवारी में रहने एवं घर गृहस्थी संभालने, को ही लक्ष्य समझती है। जबकि पुरुष का रौब दाब एवं स्वतंत्रता जन्मजात है। अध्ययन क्षेत्र में भी लड़कियों को गृह कार्य विषय जैसे - ड्राइंग, सिलाई, भोजन बनाना, गृह-विज्ञान को प्राथमिकता दी जाती है।

नारीवाद : भारतीय संदर्भ में

भारतीय नारीवाद लेखन में पश्चिम का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है क्योंकि मूलरूप में भारत में नारीवाद का वर्तमान स्वरूप पश्चिम से ही लिया गया है। पश्चिम की दृष्टि, परिप्रेक्ष्य व मुद्दे सार्वभौमिक नहीं हो सकते पर वे एक विश्व दृष्टि का निर्माण करते है, जिसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधारों पर तुलनात्मक रूप से आंकना आवश्यक है। तुलनात्मक अध्ययन स्थितियों के मध्य भेद एवं समरूपता के विभिन्न पक्ष प्रस्तुत करते है। ऐतिहासिकता एवं सांस्कृतिकता के आधारों पर जब नारी की समस्याओं एवं प्रस्थिति का विश्लेषण

व मूल्यांकन किया जाएगा तो इस प्रक्रिया में स्व-चेतना के विकास की संभावना निहित रहती है। यह क्रिया के स्तर पर एक विशिष्ट सोच का निर्माण भी करेगा। भारतीय नारी के प्रस्थिति व छवि का निरूपण शास्त्रीय, धार्मिक व पौराणिक ग्रंथों में दृष्टिगोचर होते है। इन ग्रंथों में एक स्तर पर नारी का सकारात्मक व दिव्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। पौराणिक गाथाओं में प्रमुख शक्तियों की स्थापना के रूप में प्रस्तुत कर उसकी दिव्य स्थापना की प्रक्रिया व प्रतिमान का परिचालक है। नारी का स्वरूप लक्ष्मी, सरस्वती एवं शक्ति (दुर्गा) के रूप में प्रस्तुत करके इस लोक के तीन प्रमुख सांसारिक आयामों को नारी की छवि, चेतना, देह आकार व मन मस्तिष्क से जोड़ा गया है। ये स्वरूप धन, ज्ञान व शक्ति के स्वरूप होकर शास्त्र सम्मत होकर उपासना एवं विश्वास का आधार बनते है। विभिन्न पूजा, यज्ञ एवं अनुष्ठानों के माध्यम से नारी के दिव्य स्वरूपों एवं उनसे जुड़ी मान्यताओं को समाज वैधता प्रदान करता है। दूसरी ओर मिथक गाथाओं के द्वारा नारी की एक ओर तो मानवीय गुणों से सराबोर व मूल्यवाहक के रूप में प्रस्तुति की गई है तो दूसरी ओर निम्न स्तरीय मानवीय अवगुणों के अभिव्यक्तिकरण नारी के मिथक गाथाओं में व्यवहार व संवादों से परिलक्षित होते है। संपूर्ण इतिहास पुरुष राजाओं एवं योद्धाओं के कारनामों से भरा है। योद्धा ज्ञानियों की स्थिति ऐतिहासिक ग्रंथों में मात्र पाद टिप्पणियों के रूप में ही अंकित की गई है। नारी की ऐतिहासिक स्थापना में उसे कहीं कहीं राज्य शौर्य से जोड़ा गया है तो कहिं उसे बलिदान की गाथाओं से इस दृष्टिकोण से ऐतिहासिक रूप से नारी की प्रस्थिति व योगदान दोनों का संपूर्ण चित्रण संभव नहीं हुआ है। नारी की सृजनात्मक शक्ति व उसके द्वारा निर्मित कलाकृति संगीत, नृत्य, साहित्य व बौद्धिक योगदान को इतिहास के निर्माण में उचित स्थान नहीं दिया गया है। ऐसी अनेकों पाण्डुलिपियाँ है, जिसमें नारी के सृजन, कला व साहित्य की उपलब्धियों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। इतिहास लेखन का कार्य किस व्यवस्था में होता है व किस उद्देश्य से किया जाता है, यह आधार इतिहास की विषय-वस्तु के चयन व उसके द्वारा निर्मित दिशाओं से निर्धारित होता है।

भारत में इतिहासकार ने आम व्यक्ति का उल्लेख कभी नहीं किया है पर साथ ही दलित वर्गों एवं नारी के द्वारा समाज के संचालन व्यवस्थापन, नियमन, इत्यादि को भी गौण विषय माना है, जिसके वर्णन विश्लेषण की आवश्यकता

नहीं है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं की आम जनता दलित वर्गों व नारी का समाज व संस्कृति में कोई योगदान नहीं है। अनेकों पाण्डुलिपियाँ शिलालेख व ग्रंथ भारतीय नारी के योगदान को दर्शाते हैं। विशिष्ट वर्ग व व्यक्ति के चारों ओर बुना हुआ इतिहास, समाज का सहीं व संपूर्ण चित्रण नहीं करता है। शिक्षक की प्रक्रिया भी पाठ्यक्रमों में सामग्रियों के आधार पर अतीत के एक संस्थात्मक स्वरूप का निर्माण करती है। यह एकपक्षीय एवं लघु होता है। अतः इतिहास ज्ञान के विभिन्न आयामों के अंतरालों को दर्शाता है।

नारी की प्रस्थिति लोक-साहित्य, लोक-वार्ता, लोक-गीत, लोक-स्मृति, लोक-मिथक, लोक-नाट्य, लोक-ज्ञान, लोकाक्ति व लोक-धर्म के माध्यम से निर्मित होती है। लोक संस्कृति के द्वारा आम नारी की संदर्भगत एवं परिवर्तित प्रस्थितियों का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि यह भावों को सरलतम रूप में अभिव्यक्ति करते हैं।

नारी की प्रस्थिति, स्थान व समय के अनुरूप अलग-अलग रही है, जो कि लोकाचार श्लोक गीतों में माध्यम से प्रदर्शित होता है। लोक संस्कृति समकालीन व पूर्व समकालीन समय के संदर्भ में नारी की प्रस्थिति का वर्णन करते है, जो कि जीवन यथार्थ, जीवन स्थितियों व अनुभवों के आधार पर निर्मित व अभिव्यक्त होते हैं। लोक संस्कृति के अध्ययन से नारी के सृजनात्मक पक्ष को अधिक सशक्त रूप से समझा जा सकता है। लोक गीतों का निर्माण, उन्हें सीखने एवं गान का कार्य मूलतः महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। चित्रकला, भितिचित्र, मांडले व अन्य सौंदर्य बोधन अभिव्यक्तियाँ नारी के माध्यम एवं इतिहासकारों के लिए अदृश्य रहा है। यह अमान्यता व अदृश्यता सामाजिक व्यवस्था, ज्ञान के सामाजिक स्वरूप व मान्यता के संरचनात्मक स्वरूपों के आधार पर निर्मित हुए है।

समाज के संस्कृति के द्वारा प्रदत्त नियमों व प्रथाओं ने नारी के शरीर, भावना, बुद्धि व आध्यात्मिक स्थिति व क्षमताओं का निर्माण किया है। ये प्रथाएँ विशिष्ट सामाजिक व राजनीतिक शक्तियों व बाध्यताओं से पनपती व स्वीकृत होती है। स्थानीय स्तर पर उन्हें स्वीकार करने के लिए धार्मिक औचित्य व वैधता का सहारा लिया जाता है।

रूढ़ियों एवं परंपराओं के धर्म के ज्ञाताओं एवं स्मृतिकारों का सहयोग मिलने से स्त्रियाँ धीरे-धीरे परतंत्र, असहाय और निर्बल हो गई तथा समाज में स्त्रियों की प्रस्थिति पुरुष की तुलना में द्वितीयक हो गई। पुरुष ने स्त्री के पारिवारिक अधिकार सीमित कर डाले एवं स्वयं का प्रभुत्व स्थापित कर लिया।

प्राचीन काल से वर्तमानकाल तक भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा में किस प्रकार के परिवर्तन आए ? परिवर्तनों के कारण क्या-क्या रहे? इन प्रश्नों के उत्तर जानने एवं विश्लेषण करने के लिए भिन्न-भिन्न कालों में भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन करना आवश्यक है, जो कि निम्न प्रकार है

- प्राचीन काल
- मध्य काल
- आधुनिक काल

प्राचीन काल

प्राचीन भारत का इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ होता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ों की सभ्यता से प्राप्त पुरातत्वीय अवशेष यद्यपि उस काल की वैभवशाली वास्तुकला एवं आर्थिक स्थिति का कुछ ज्ञान कराते हैं परंतु वर्तमान समय तक भी इन सूचनाओं के आधार पर उस काल के समाज का एक संपूर्ण चित्र निर्मित नहीं हो पाया है। अतः वेदों के ही आदिकालीन भारतीय समाज का इतिहास जानने का प्रमुख स्त्रोत मानना उपयुक्त है।

वैदिक समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। यह व्यवस्था बहुत ही सरल एवं संतुष्ट मान्यताओं पर आधारित है। व्यवस्थाकारों ने समाज को चार वर्णों एवं मानव जीवन के चार आश्रमों में विभाजित किया था। 'वर्ण' जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित था। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर किसी भी वर्ण की सदस्यता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र था। इस प्रकार समाज में कोई जातीय भेदभाव नहीं था।

भारतीय दर्शन में नारी : भारतीय संस्कृति का आधार आध्यात्मिकता है। रचना काल की दृष्टि से ऋग्वेद होता है। इन वेदों के मंत्रों (ऋचाओं) में एक ओर जहाँ उस समय की सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रकृति के गूढ़ रहस्यों और अतिन्द्रिय आध्यात्मिक अनुभूतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। वैदिककालीन समाज में सबसे सम्मानित पद उन ऋषियों का था, जिन्होंने अपने इस उदान ब्रम्ह ज्ञान को भाषा प्रदान की थी। उन्हें ''मंत्र-दृष्टा'' कहा जाता है और यह बड़े गौरव की बात है। इन मंत्र रचनाकारों में अनेकों नारियाँ भी सम्मिलित है, जिन्हें 'ब्रम्हवादिनी' या ऋषिकरों

के नाम आये है, जिनमें अपाला धोबा, इन्द्राणी, देवयानी, लोपामुद्रा, वागांसृणी, विश्वासरा आदि प्रमुख है।

इस प्रकार के अनेकों उदाहरण प्राप्त होते है कि स्त्रियाँ उस समय की प्रचलित विद्या 'परा' एवं अपरा दोनों निष्णात थी। ब्रम्ह विद्या का अपूर्व ज्ञान रखने वाली उमा हम हेमवती ने तो अग्नि, वायु इन्द्रादि देवताओं को ब्रम्हा ज्ञान प्रदान किया था। विराट यज्ञों के अवसर पर होने वाले धार्मिक सम्मेलनों में विदूषी नारियाँ भी पुरुषों के समान ही भाग लेती थी और विशिष्ट अवसरों पर पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ करती थी ब्रम्हवाहिनी गार्गी ओर ऋषि याज्ञवल्क्य पत्नियों में मैत्रे थी अपने ब्रह्म ज्ञान के लिये विख्यात थी।

इससे स्पष्ट होता है सभ्यता के इस आदिकाल में समाज सधर्मी पुरुष प्रधान था किन्तु महिलाओं की परिस्थिति भी गौण नहीं थी। घर का मुखिया वयोवृद्ध पुरुष ही होता था पर पुत्र और पुत्री में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। वैदिक काल में नारी की इस गौरवपूर्ण स्थिति का विस्तृत अध्ययन करने के लिये हमें उसको कन्या, युवती, पत्नी, माता और विधवा के विविध रूपों में देखना होगा।

परिवार में कन्या की परिस्थिति -

वैदिक काल में कन्या का जन्म दुखों का कारण नहीं माना जाता था। वैदिक साहित्य मूलतः आध्यात्मिक साहित्य है। यद्यपि वैदिक समाज में स्त्रियों की प्रस्थिति का प्रमाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है। अतः कहीं-कहीं विरोधी तथ्य भी सामने आते है। परिवार में कन्या की स्थिति में भी इस प्रकार के उदाहरण मिलते है। अथर्ववेद में एक स्थान पर कहा गया है।

''हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हो और कन्या का जन्म किसी दूसरे के यहाँ हो''। दूसरे स्थान पर कहा गया है कि - 'नवजात पुत्र को पिता उल्लास से भरकर हाथों में उठा लेता है परंतु कन्या को माता के पास लेटे रहने दिया जाता है।'

इसके विपरीत वृहदारणवय उपनिषद् में लिखा है - ''अथ या इच्छेद दहिता पंडिता जायेत।'' इससे पता चलता है कि सुंदर और विदूषी कन्या की कामना भी लोग करते थे। बारह गृहसूत्र के अनुसार सुंदर कन्याओं की कामना के लिये वधुएँ गौमुख आदि वाद्यो का वादन करती थी। इसके विपरित पुत्र का जन्म

परिवार के उल्लास का कारण था क्योंकि पुत्र द्वारा ही पितरो के श्राद्ध और तर्पण आदि कर्मकाण्ड सम्पन्न होते थे तथापि कन्या और पुत्र के पालन-पोषण में भेदभाव नहीं किया जाता था।

शिक्षा

शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार से होता था। उपनयन संस्कार पुत्र और पुत्री दोनों का होता था। दोनों ही विद्याध्ययन हेतु गुरू के आश्रम में जाते थे। बालिकायें भी बालकों की भाँति ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करते हुए यज्ञोपवीर, मौजी, मेखला और वल्कल वस्त्र धारण करती थी। लड़कों की तरह ही लड़कियों को भी परा और अपरा दोनों प्रकार की विद्या ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। वेदों के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर विद्या समाप्त करने पर ही युवतियाँ योग्य पतियों को प्राप्त करती है।

''ब्रह्मचर्येण कन्या सुतानं विन्दते पतिम्र''

गोमिल गुह्मसूत्र में स्त्री शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा गया है कि अशिक्षित पत्नी यज्ञ करने में असमर्थ रहती है। वैदिक काल में स्त्रियाँ वेदों का अध्ययन भी करती थी।

वेदों की मीमांसा जैसे दुरूह एवं नीरस विषय में छात्राएँ रूचि लेती थी। काशकृत्सनी नामक विदूषी ने वेदों की मिमांसा पर एक पुस्तक लिखी। जो छात्राएँ इस पुस्तक का अध्ययन करती थी। उन्हें काशकृत्सना कहा जाता था। वैदिक साहित्य के अध्ययन के अतिरक्ति कन्याओं को गणित, आयुर्वेद, संवाधिव, नृत्य तथा विभिन्न शिल्प कालाओं की शिक्षा दी जाती थी।

संगीत शिक्षा पर विशेष बल देने का कारण वेदों की ऋचाओं का सस्वर पठन करना होता था। विशेषतः सामदेव की ऋचाओं का गायन स्त्रियों द्वारा ही होता था। विभिन्न संस्कारों के समय स्त्रियों द्वारा संगीत प्रस्तुत करने की चर्चा वेदों से आई है। स्त्रियाँ विविध वाद्य यंत्रों का निर्माण एवं प्रयोग करना भी जानती थी। नृत्य कौशल में पारंगत स्त्रियों का वर्णन ऋग्वेद में आया है।

क्षत्रिय कन्याएँ युद्ध कौशल में भी निपुण होती थी। ऋग्वेद में वाध्रिमती राशियसी और विष्पला स्त्री योद्धाओं की चर्चा है। इस प्रकार वैदिक युग में युवतियाँ अपनी योग्यता और इच्छा के अनुसार विविध प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने में स्वतंत्र थी। शिक्षा

पूर्ण हो जाने के बाद पुरुषों की भांति स्त्रियाँ भी अध्ययन कार्य करने के लिए स्वतंत्र थी। इन्हें अध्यापिका, उपाध्यायी और आचार्य के नाम से संबोधित किया जाता था।

पत्नी के रूप में नारी

वैदिक काल से ही विवाह एक धार्मिक संस्कार माना गया है। वैदिक काल में एक पत्नी का आदर्श सर्वमान्य था परंतु बहुपत्नी के उदाहरण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते है। यद्यपि बहुपत्नी विवाह की निंदा की गई है। तथापि ऋषि मुनियों तथा राजाओं के बहुपत्नी विवाह के उदाहरण वैदिक काल में भी मिलते है।

पत्नी के रूप में नारी की प्रतिष्ठा पुरुष के समान ही होती थी। पति के परिवार में स्त्री का स्वागत ''गृह लक्ष्मी'' और ''गृहस्वामिनी'' के रूप में होता था तथा साम्राज्ञी श्वसुरे भव साम्राजी अधिदेवषु। उस समय ऐसी धारणा थी कि स्त्री-पुरुष का पति-पत्नी के रूप में संबंध अन्योन्यायी है।

ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ करने के लिये प्रजापति ने अपने शरीर को दो भागों की नर एवं नारी में विभक्त किया इसीलिये पत्नी की अद्ध ांगिनी कहा जाता है। प्रत्येक अनुष्ठान में पत्नी पति के साथ भाग लेती थी। अतः उसे ''सहधर्मिणी'' कहा गया है।

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कोई भी यज्ञ पत्नी की उपस्थिति के बिना पूर्ण नहीं हो सकता था।

वैदिक काल में स्त्री-पुरुष के कार्यों का विभाजन कर दिया गया था। पत्नी गृहस्थी के चक्र की वह धुरी थी जिसके बिना गृहकार्य का संचालन असंभव था। पति की जीवनयात्रा में वह सहचरी थी। समस्या के समाधान ने वह पति को परामर्श देने वाली मंत्री थी, सुख-दुख की साथी के रूप में वह उत्तम सखा थी और जीवन को उल्लास से भर देने वाली प्रकाश की किरण थी।

माता के रूप में नारी

वैदिक काल में मातृ पद सबसे उच्च माना गया है। तैत्रिरीय उपनिषद् में शिक्षा समाप्ति के पश्चात् गुरूद्वारा शिष्य को दिये जाने वाले उपदेश में ''मातृ देवो भव पितृ देवो भव'' कहा गया है। माता को संतान की प्रथम गुरू माना गया है। यह आदर्श भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। आगे चलकर महाकाव्यकाल

में भी इसका उदाहरण देखने को मिलता है। जब माता कौशल्या राम से उनके वन गमन का समाचार पाती है तो कहती है कि यदि माता ने तुम्हे यह आज्ञा दी है तो अवश्य ही उसका पालन करो।

पर्दा प्रथा एवं नारी स्वातंत्रय

वैदिक काल में पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रत्येक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रिया-कलाप में नारी की उपस्थिति अनिवार्य थी। वह न केवल विराट सम्मेलनों में शास्त्रार्थ करती थी बल्कि युद्ध स्थल में पति के साथ शस्त्र संचालन करती थी और कभी-कभी रथ की सारथी बन उसका मार्गदर्शन भी करती थी। वैदिक काल में वर का चुनाव करने से लेकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी स्वतंत्र थी। जीवन के चारों पदार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का अधिकार पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी प्राप्त थी।

उत्तराधिकार की व्यवस्था

वैदिककाल में पिता की सम्पत्ति पर पुत्रों का अधिकार होता था। ''निरूक्त'' में यास्क द्वारा कहा जाता है कि पुत्र को न रहने पर पिता की सम्पत्ति पर पुत्री का अधिकार होगा। कुमारी कन्या की सम्पत्ति का कुछ अंश अवश्य मिलता ाि परंतु माता-पिता भाई बहनों या सगे-संबंधियों से मिले धन ''यौतक'' (दहेज) में मिली सम्पत्ति तथा पति या सास-ससुर से मिली सम्पत्ति पर स्त्री का अधिकार होता था। वह धन स्त्री धन के नाम से जाना जाता था और स्त्री की मृत्यु के पश्चात् उस धन पर उसकी लड़कियों का अधिकार होता था।

ऋग्वेद के अनुसार मृत पति की सम्पत्ति पर पत्नी का अधिकार नहीं होता था परंतु पति की सम्पत्ति का कुछ अंश उसे अवश्य मिलता था।

सार्वजनिक जीवन में नारी

वैदिक काल में स्त्रियों की उच्च सामाजिक प्रस्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी सहभागिता, पुरुषों के साथ बातचित करने की स्वतंत्रता, उनकी सहभागिता, पुरुषों के साथ बातचित करने की स्वतंत्रता, आवागमन की सुविधा, आमोद-प्रमोद एवं उत्सवों में भाग लेने की स्वतंत्रता से

किया जा सकता है। विद्वानों ने वेदों के विस्तृत अध्ययन द्वारा इस बात की पुष्टि की है कि स्त्रियों के स्वच्छंद विचरण, उत्सवों में भाग लेने की स्वतंत्रता तथा पुरुषों के साथ बातचीत करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। योग्य एवं विदुषी स्त्रियाँ तो पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ भी करती थी।

ऋग्वेद में ''समन'' शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है

जो उत्सव का पर्यायवाची माना गया है। युवतियाँ और वृद्ध स्त्रियाँ इस उत्सव की तैयारी उत्सव प्रारंभ होने के कई दिनों पूर्व से ह प्रारंभ कर देती थी। कुमारी कन्याएँ अपने लिये योग्य वर, का चुनाव इसी अवसर पर करती थी। इस समय विविध स्पर्धाएँ होती थी। कुल और वर्ण के अनुसार स्त्रियाँ अपने-अपने स्थानों पर विराजमान होती थी। इस उत्सवों में गणिका का उल्लेख भी आया है। वैदिक काल में स्त्री के इस रूप के दर्शन भी होते है। परंतु गणिका हेय दृष्टि से नहीं देखी जाती थी। अपने अपूर्व सौन्दर्य एवं नृत्यगान में ये समाज का मनोरंजन करती थी।

यह सत्य है नारी की गरिमामय छवि का निरंतर ह्रास होता जा रहा था। भारत में स्त्री शिक्षा के प्रति विमुखता बढ़ती रही तुरंत अभिजत्य वर्ग और राजकुल की स्त्रियाँ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी रही। भारतीय संस्कृति के मूल का आदर सदैव होता रहा है। माता आज भी पूजनीय है और प्रतयेक युग में आवश्यकता और स्थिति के अनुसार उसने युग निर्माण में अपना योगदान दिया है। कालीदास ने कन्या को कुल का प्राण और पत्नी को पति की सचिव और सखी कहा है। फिर भी यह कहना ही पड़ता है कि वैदिक युग में जो प्रतिष्ठा और गौरव नारियाँ को मिला आगे चलकर निरंतर उसका ह्रास होता गया।

मध्य काल

मध्य युग में देश की राजनीतिक स्थिति डांवाडोल थी। पूर्व मध्य युग में अरबों तथा अन्य मुसलमानों के जो आक्रमण प्रारंभ हुए थे वे इस युग में तीव्रतर हो गए। भारतीय समाज की कमजोरी और राजाओं की फूट का परिणाम यह हुआ कि 1200 ई. तक संपूर्ण उत्तरी भारत मुसलमानों के अधिकारों में आ गया। इस्लामी शासन के पश्चात् भारतीय समाज पर उनके रहन-सहन का प्रभाव

पड़ना स्वाभाविक था। भारत में मुसलमानो के आगमन के बाद उनकी आबादी धीरे-धीरे बढ़ती चली गई। हिन्दू समाज का निम्न वर्ग ब्राह्मणें के उत्पीड़न से बचने के लिए इस्लाम धर्म में सम्मिलित होने लगा।

कई कारणों से पति द्वारा पत्नी का परित्याग भी किया जा सकता था। इस विषय में इस युग के निबंधकार भी प्राचीन स्मृतियों का अनुकरण करते है। किन्तु कभी-कभी स्त्रियों के प्रति बहुत ही उदारता एवं सहानुभूति प्रकट करते है। यदि पत्नी किसी बिमारी से पीड़ित है, किन्तु अपने पति के प्रति अत्यंत भक्ति रखती हो तो उसकी अनुमति लेकर ही पुरुष को दूसरी स्त्री से विवाह करना चाहिए। यदि पत्नी बधया हो अथवा केवल कन्या को जन्म देने वाली हो तो कुछ समय के बाद दूसरा विवाह किया जा सकता है। यदि परित्यक्ता स्त्री के पास अपना ''स्त्री धन'' नहीं है तो दूसरी पत्नी को दिये गये धन के बराबर धन अथवा दूसरे विवाह में खर्च किये गये धन के बराबर धन दिया जाना चाहिए। परित्यक्ता स्त्री के लिए पति के घर में रहना आवश्यक था। यदि उसमें चरित्र संबंधी कुछ देाष भी हो तो भी पति उसका पालन करता था। यदि वह बहुत बड़ा उपराध करती थी तो उसके केश काट दिये जाते थे। संबंधिकारों का कहना है कि यदी पति अकारण अपनी पत्नी का परित्याग कर दे तो राजा उसे चोर की तरह दण्ड दे।

इस समय तक स्त्रियों को अर्थिक प्रस्थिति पहले से अच्छी हो गई थी। स्मृति चंद्रिका (3.681) से स्पष्ट है कि स्त्रियाँ पुरुषों की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी हो सकती थी। यदि विधवा स्त्री को कोई पुत्र नहीं हो और मृत्यु के पहले पति की सम्पत्ति उसे प्राप्त हो गई हो तो पूरी संपत्ति विधवा स्त्री की मानी जायेगी। विधवा स्त्री के बाद पुत्र के अभाव में सम्पत्ति उसकी पुत्री को मिलेगी। इस युग में कुछ स्त्रियाँ ऐसी भी थी जो शासन प्रबंध में भाग लेती थीकश्मीर में सूर्यमती ऐसी ही प्रभावशाली रानी थी। दक्षिण भारत के इतिहास में भी ऐसे उदाहरण है जब स्त्रियों के शासक का सम्मान प्राप्त था। रूपवंशी रानी बन्स महादेवी ने चौदह वर्षों तक शासन किया था।

पर्दा प्रथा

भारत में मुसलमानों के प्रवेश का स्पष्ट प्रभाव यह था कि पर्दा प्रथा चल पड़ी थी। केशव सेन के हरिदर धुए ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि जब राजा नगर

से जा रहा था तो स्त्रियाँ उसके सम्मुख न जाकर घर के गवाक्षों से उसे देखती थी। घूंघट रखना सबके लिए आवश्यक नहीं था। बंगाल व काश्मीर में पर्दा प्रथा नहीं थी। साधारण घर की स्त्रियाँ तो खेतों में काम करती थी। अतः वे पर्दा नहीं रखती थी।

सती प्रथा

मध्यकाल में ब्राह्मणों के विरोध करने के बावजूद भी राजपूतों में यह प्रथा फैलती जा रही थी। ब्राह्मण वर्ग में प्राण त्यागने के बजाय त्याग और तपस्या को अधिक महत्व दिया जाता था, किन्तु 900 ई. के बाद परिस्थिति बदल गई। ब्राह्मण वर्ण में धीर-धीरे सती प्रथा का प्रचार होने लगा। ब्राह्मण स्त्रियों के विषय में कहा जाने लगा कि वे केवल शारीरिक दुःखों का अंतर नहीं चलती है बल्कि मोक्ष प्राप्ति हेतु अपने पति के पार्थिव अवशेषों के साथ जलती थी।

वेश्यावृत्ति

मध्यकालीन युग में वेश्यावृत्ति की बुराइयों के प्रति कम लोगों का ध्यान जाता था। वेश्याओं के संपर्क में रहना भी उच्च एवं सम्पन्न होने का प्रतीक बन गया था। वेश्याएँ तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का अविभाज्य अंग थी प्रत्येक नगर में वेश्यायें रही थी जिन्हें ''शोकिनी'' समझाा जाता था। इन गणिकाओं का वर्णन कशमीरी कवि क्षेमेन्द्र की ''बोधिसत्वावादन'' में देदने को मिलता है। वेश्याओ ंके संपर्क मे ंरहने वाले लोगों में धनी व्यक्ति का इकलौता पुत्र, पितृहीन युवक, राजमंत्री वाणिक पुत्र इत्यादि थे।

आधुनिक काल

वर्तमान शताब्दी में महिलाओं की स्थिति

आधुनिक काल का प्रारंभ 1900 ईसवीं से होता है, क्योंकि ब्रिटिश राज भारत में स्त्री के लिए ऊषाकाल लेकर आया। जिसका कोरा निश्चित रूप से सर्वमान्य क्रांतिज्योति सावित्री बाई फुले को जाता है, जिन्होंने भारत में सन् 1865 में महिलाओं एवं दलितों की शिक्षा के लिए प्रथम पाठशाला स्थापित को। वर्तमान काल में नारियों की स्थिति पर दृष्टिफल करने से ज्ञात होता है कि स्वतंत्रता

प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए समान स्थान तथा समान अधिकार का प्रावधान किया गया। फलतः आज स्त्री तथा पुरुष की समाज में समान वैधानिक स्थिति विद्यमान है। परंतु समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं की स्थिति, जिसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति की महिलाएँ आती है, स्वतंत्रता प्राप्ति के 56 वर्षों बाद भी केवल चिंताजनक है, अपितु भयानक है। बाबा साहेब, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने मालाबार की पारिया उपजाति की अछूत महिलाओं के पास जाकर सन् 1926 में उनसे कहा था।

"तुम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल क्यों नहीं भेजते? तुम्हारे गांव का ब्राह्मण चाहे कितनो ही गरीब हो, अपने बच्चों को पढ़ाता है और ब्राह्मण का लड़का डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। तुम अपनी जाघों को क्यों नहीं ढकती और शरीर को क्यों नंगा रखती हो? यह बहुत बुरी बात है। दुनिया की किसी भी जाति की स्त्रियां तुम्हारी तरह नंगी नहीं रहती। यह बहुत लज्जा की बात है। अतः अपनी इज्जत बनाओं तथा कपड़ा पहनने का तरीका बदलो।"

इक्कीसवीं सदी के एक दशक की पूर्णता सपर महिलाओं की संस्थिति में महान परिवर्तन की पृष्ठभूमि परिलक्षित हो रही है। सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ा है। विवाह, संस्कार, पुरुषार्थ जैसी संस्थाओं में भी महिलाओं को पर्याप्त सम्मान की अधिकारिणीय माना जाने लगा है। समस्त रूढ़िवादी एवं अन्धविश्वासी मान्यताएँ संक्रमण की स्थिति में है क्योंकि परम्परावादी दृष्टकोण को नकार कर महिलाएँ अपना पैर निरन्तर आगे बढ़ाते हुए जीवन की समुन्नता की ओर अग्रसर हो रही है। शहरीकरण औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण तथा भूमण्डलीकरण की प्रवृत्तियों एवं चिन्तन धाराओं से महिलाओं की दशा और दिशा में क्रान्तिकारी बदलाव आया है।

स्वतंत्र भारत में नारी को सशक्त करने के लिए निम्न व्यवस्था की गई है

स्त्री कल्याण के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई, लड़कियों की शिक्षा के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएँ खोलना और इनहें अनेक राज्यों में शिक्षण शुल्क रियायतें भी दी। महिला पुरुष को समान काम के बदले समान वेतन की व्यवस्था भी की गई है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 अंतराष्ट्रीय महिला दिवस संपूर्ण विश्व में ''महिला वर्ष'' के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्त्री, पुरुष को समाज में समान दर्जा दिलाना है। स्वतंत्र भारत में आज महिलाएँ खेल, व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान, समाज सेवा, समाजिकता, नैतिकता, कृषि उद्योगों और अपने तथा देश समाज के कल्याण, विकास, प्रगति आदि क्षेत्रों एवं विषयों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण आज हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। जैसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभापाटिल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, दुर्ग जिले के सबसे कम उम्र की महापौर, टेनिस वरियता सानिया मिर्जा, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चांवला आदि महिलायें भारत देश की एक आदर्श महिलाओं क रूप में याद किये जाते है और याद किये जाते रहेंगे। प्राचीन काल में भी गगो मैत्रेय मदलसा आदि अनेक विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। अंग्रेजी के काल में नारियाके की दयनीय दशा सुधारने हेतु राजा राम मोहन राय ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशवचंद सेन, दयानंद सरस्वती, ज्योति राव फूले, महर्षि अरविंद आदि ने नारी उत्थान के लिए अथक प्रयत्न किये, जिससे कि महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिला।

सशक्तीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जो एक निर्बल सामाजिक इकाई को उसकी संपूर्ण दक्षता का ज्ञान कराती है। ज्ञान के वृहद अभिगमन के फलस्वरूप यह व्यक्ति का निर्णय-निर्धारक शक्तियों को विकसित करती है। सशक्तिकरण एक सक्रिय प्रक्रिया है, यह कोई भौतिक वस्तु मात्र नहीं है, कि जिसका हस्तांतरण संभव हो अथवा, जिसे दान स्वरूप प्राप्त किया जा सके। जीवन की कठिन परिस्थितियों को दृढ़तापूर्वक सामना कर व्यक्ति सशक्तीकरण को अपने ही प्रयासों के द्वारा उसके सभी क्षेत्रों में यथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य शैक्षणिक इत्यादि अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक इकाई में निर्णय निर्धारक शक्तियों का विकास होता है।1

सशक्तिकरण के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को सशक्त नहीं करता। विकास के संदर्भ में इस शब्द के प्रयोग का अर्थ गरीब वर्ग द्वारा स्वतः प्रयासों से अपने को सशक्त करना है। अतः यह स्पष्ट होना चाहिए की सशक्तिकरण कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो जनसाधारण को उठाकर दे दी जाए। सशक्तिकरण की प्रक्रिया व्यक्तिगत भी है एवं सामूहिक भी। व्यक्ति

के समूह से जुड़ाव के कारण उसकी जानकारी एवं ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है तथा अपने को संगठित कर अपने जीवन स्तर में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की क्षमता भी जागृत होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सशक्तिकरण की प्रक्रिया सहभागिता पर आधारित है।

शक्तिहीनता का मुख्य कारण सामाजिक सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक है न की उनकी कमजोर आर्थिक। अतः केवल आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण को एक साथ जोड़कर देखना निरर्थक है। आर्थिक वृद्धि को विकास का मानक पुरुष नीति निर्धारकों द्वारा अपनाया गया है। उद्यमिता संबंधित आत्मनिर्भरता के माध्यम से सशक्तिकरण हेतु प्रयास घरेलू स्तर पर तो संभव है परंतु यह राजनैतिक, सामाजिक शक्तियाँ तथा ऐतिहासिक वर्गवाद को प्रभावित करने में सहायक नहीं होती। सशक्तिकरण की विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिनके मुख्य अव्यव शक्ति संरचना पर नियंत्रण करना, सहभागिता तथा विकास की दिशा को प्रभावित करना है अपने बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, विश्लेषणात्मक, योग्यता, जागरूकता में बढोत्री, गतिशीलता में बढ़ोत्री तथा समुदाय के बीच अपनी एक स्पष्ट पहचान बनाना भी सशक्तिकरण प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो महिलाओं में गतिशीलता, आत्मविश्वास, स्वदृष्टिकोण तथा जागरूकता का संचार करती है जिसे निर्णयात्मक प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी सेंभव हो सके तथा विश्लेषणात्मक योग्यता द्वारा विकास की दिशा को न केवल नियंत्रित कर सके बल्कि उसकी दिशा को अपने हित में मोड़ने की क्षमता रख सके।

यदि किसी परिस्थितिवश किसी सामाजिक ईकाई को इन अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति नहीं होती है अथवा अधिकारों का हनन होता है तो वह सामाजिक इकाई सबल नहीं निर्बल है जिसे सशक्त करने की आवश्यकता है। सशक्तिकरण एक क्रांतिकारी विचार है इसका तात्पर्य मात्र सैद्धांतिक रूप से निर्बल सामाजिक ईकाई के लिए अधिकारों एवं सुविधाओं के निर्माण से नहीं है वरन् इन अधिकारों के उपयोग द्वारा सामाजिक इकाई के व्यक्तित्व विकास एवं राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में योगदान से भी है। सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान की भूमिका में यह कहा गया है कि संविधान का निर्माण सबकी समानता स्वतंत्रता व पारस्परिक मातृत्व की मान्यता के आधार पर हुआ है। भारतीय संविधान में संविधान निर्माण

के समय से ही सबके लिए मात्र अवसरों को समानता की ही प्रत्याभूति नहीं की गई, वरन् प्राचीनकाल से चली आ रह सामाजिक असमानताओं को दूर कर निर्बल सामाजिक इकाईयों के सशक्तिकरण का प्रयास भी किया गया है।

विभिन्न दबि हुई सामाजिक इकाईयों के लिए सशक्तिकरण का अर्थ मात्र सैद्धांतिक रूप से नीति-नियमों एवं प्रावधानों का निर्माण मात्र ही नहीं है वरन् उनका यथार्थ रूप में प्रयुक्त होना भी आवश्यक है। वर्तमान में प्रत्येक निर्बल सामाजिक इकाई को सबलीकृत करने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक सामाजिक इकाई को उसके मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हो। समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक इकाई है तथा परिवार समाज की आधारशिला सामाजिक उत्थान के उद्देश्य के लिए सबलीकरण की प्रक्रिया को निर्बल ईकाइयों पर केन्द्रीत कर एक स्वस्थ व सशक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है।

स्त्री जाति पर सभ्यता के प्रारंभ से अनेक प्रकार के निषेध नियम लागू किये गये है, जिससे उसका लगातार शोषण हुआ है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणि ाक एवं स्वस्थ्य इत्यादि क्षेत्रों में वह अपने पूर्ण अधिकरों की प्राप्ति से वंचित रही है। शोषण की प्रक्रियाओं का परिणाम यह हुआ है कि महिला की निर्णय निर्धारक शक्तियों का ह्रास हुआ है और व्यक्तित्व विकास के अवसर क्षीण हुए है। अतः वर्तमान में महिला एक निर्बल इकाई है, जिसे सशक्तिकृत करने की आवश्यकता है।

स्त्री मानव समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है वह किसी भी क्षेत्र में एवं किसी भी स्तर पर कार्यशील हो, उसकी व्यक्तिगत क्षमता एवं कौशल की भूमिका समाज निर्माण में निर्णायक रही है। इस वास्तविकता को स्त्री व पुरुष के विरोधाभासों से मुक्त कर सामाजिक संबंध एवं न्याय के आयामों द्वारा सशक्त बनाया जाना आवश्यक है। स्त्री व पुरुष के बीच न्याय की समानता एवं परिपक्वता के आधार पर सामाजिक संरचना को परिपक्व बनाना अपेक्षित है। लिंग के आधार पर असमानता, समानता का प्रतीक नहीं है बल्कि सामाजिक वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्य में वैयक्तिक तथा सामाजिक दायित्वों का निर्धारण आवश्यक है। सामाजिक परिवर्तनों को भी प्राथमिकता से अलग करके नहीं देखा जा सकता है।

यह आवश्यक है कि स्त्री जाति को उसके समस्त अधिकरों की प्राप्ति हो ताकि उसके व्यक्तित्व का विकास हो और समाज का संतुलित एवं स्वस्थ्य विकास संभव हो सके। वर्तमान में समाज एवं राष्ट्र में स्त्रियों की भूमिका एवं

योगदान को लेकर विश्वव्यापी परिवर्तन आया है और स्त्री सशक्तिकरण द्वारा विकास को लेकर एक अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है। वर्तमान में स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार लाकर उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये सरकार ने अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं स्वस्थ्य कार्यक्रमों की रचना की है जिनका क्रियान्वयन सरकारी नोडल विभाग एवं गैर सरकारी संगठनों के सम्मिलित प्रयास से किया जा रहा है जैसे अल्पाशक्त कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम आदि।

स्त्री की प्रतिस्थिति, आकांक्षाओं, क्षमता एवं भागीदारी का अध्ययन एकांकी रूप से संभव नहीं है। विश्व के अनेकों भागों में महिला स्वतंत्रता, महिला समानता महिला जागृति, महिला उत्थान को लेकर अनेकों आंदोलन हो रहे है। आधुनिक महिलायें परंपरागत दासता को तोड़ वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास मे अपनी सार्थकता स्थापित करने का प्रयास कर रही है, लिंग के आधार पर असमानता को झुठला रही है तथा अपनी अस्मिता एवं परिस्थिति के प्रति पहले से अधिक सचेत हो रही है। अब वह अपने संबंध में पूर्व से चली आ रही मिथ्या धारण ाा, जैसे निर्बलता, करूण व दया भावना की प्रतिमूर्ति को, जो कि पुरुष प्रधान समाज द्वारा निर्मित है को तोड़ना चाहती है।

महिला व पुरुष दोनों एक-देसरें के पूरक हैं। इनमें से किसी एक के श्रेष्ठ व दूसरे के निम्न होने का प्रश्न ही नहीं उभरता है। करूणा, दया, प्रेम, सहनशीलता के गुण यदि महिला के पर्याय है, उसके व्यक्तित्व के सदगुण है। विगत इतिहास में उपयुक्त सदगुणों के समीकरण के बावजूद भी महिला वर्ग की प्रताड़ना, उपेक्षा व वेदना को भोगना पड़ा है। उसे सांस्कृतिक पटल पर तिरस्कृत ही रखा गया है। वह पुरुष की अनुगामिनी ही बनकर रह गई है। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांति के पश्चात् भी स्त्री एक निर्बल इकाई है जिसे सशक्तिकृत होने की आवश्यकता है।

शिक्षा में छिपा है महिला सशक्तिकरण का रहस्य

शिक्षा एक ऐसा कारगर हथियार है, जो सामाजिक विकास की गति को तेज करता है, समानता, स्वतंत्रता के साथ-साथ शिक्षित व्यक्ति अपने कानूनी अधिकारों का बेहतर उपयोग भी करता है और राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त भी होता है। महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से शिक्षा से वंचित रखने का

षड़यंत्र भी इसलिए किया गया कि न वह शिक्षित होगी और न ही वह अपने अधिकारों की मांग करेंगी, यानी उन्हें द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाये रखने में सहुलियत होगी, इसी वजह से महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही कम है। हाल के वर्षों में अंतराष्ट्रीय परिस्थितियों एवं स्वभाविक सामाजिक विकास के कारण शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, जिस कारण बालिका शिक्षा को परे रखना संभव नहीं है, इसके बावजूद सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से शिक्षा को किसी ने प्राथमिकता सूची में पहले पायदार पर रखकर इसके लिए विशेष प्रयास नहीं किया। कई सरकारी एवं गैर सरकारी आँकड़े यह दर्शाते है कि महिला साक्षरता दर बहुत ही कम है और उनके लिए प्राथमिक स्तर पर अभी भी विषम परिस्थितियाँ है। यारनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो भी प्रयास हो रहे है उसमें बालिकाओं के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करने की सोच नहीं दिखती। प्राथमिक शिक्षा पूरी शिक्षा प्रणाली की नींव हे और इसकी उपलब्धता स्थानीय स्तर पर होती है। इस वजह से बड़े अधिकारी या राजनेता प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था की कमियों, जरूरतों से लगातार वाकिफ नहीं होते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अतः यह जरूरी है कि प्रारंभिक शिक्षा की निगरानी एवं जरूरतों के प्रति स्थानीय प्रतिनिधि अधिक सजगता रखें चूंकि शहरों की अपेक्षा गाँव में प्राथमिक स्तर पर शिखा की स्थिति बदतर है इसलिए गाँवों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने और बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने पर खास प्रयास की जरूरत है।

अंततः महिलाओं ने इस बात को समझना शुरू कर दिया है कि उनकी वास्तविक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा एक कारगर हथियार है, शिक्षा को अपनी प्राथमिकता सूची में पहले स्थान पर रखने वाली महिला सरपंचों एवं पंचों का स्पष्ट कहना है कि शिक्षा से ही गाँव का विकास निहित है और सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाली महिला सरपंचों एवं पंचों को ही वास्तविक रूप से सशक्त माना जा सकता है।

भारतीय समाज में स्त्रियों को ज्ञान एवं शक्ति का प्रतीक माना गया है। इस प्रतिकों के रूप में भारतीय समाज नारी को सरस्वती, दुर्गा एवं लक्ष्मी के रूप में पूजता रहा है। समाज में स्त्री को पुरुष का आधा अंग माना जाता है। स्त्री को परिवार की धुरी माना गया है और किसी भी शुभ कार्य अथवा धार्मिक कार्य

को अर्द्धांगिनी के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। रामायण में अश्वमेध यज्ञ पूरा करने के लिए राम ने सीता की पूर्ति बनायी थी।

स्त्री के वास्तविक महत्व की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि नारी परिवार की नींव है। परिवार समुदाय का आधार है तथा समुदाय राष्ट्र का। अतः स्पष्ट है कि स्त्री ही राष्ट्र की नींव है। जिस राष्ट्र अथवा देश में स्त्रियों का समुचित मान सम्मान प्राप्त थे। वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल के पश्चात् समाज की मौलिक व्यवस्थाओं का स्थान रूढ़ियों ने ले लिया, इसका परिणाम यह हुआ कि स्त्रियों का सम्मान और उनके अधिकार कम होते चले गये। पुरुष प्रधान समाज स्त्रियों के अधिकारों का हनन करता गया और कभी सांस्कृतिक मूल्यों और अभी परंपराओं के नाम पर स्त्री का शोषण होता गया। इन सबके परिणामस्वरूप स्त्रियों की स्थिति दिन-प्रतिदिन बद से बदतर होती गई।

भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति

भारत में महिलाओं की शैक्षिक दशा में निन्तर वृद्धि हो रही है। किन्तु महिलाओं की साक्षरता दर, विभिन्न शिक्षा स्तरों पर अत्यन्त कम है। प्रस्तुत सारणी से इसे आसानी से समझा जा सकता है

संपूर्ण भारत में विविध शिक्षा स्तरों पर संपूर्ण नामांकन में छात्राओं का प्रतिशत

कक्षाएँ	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	योग
कक्षा 1 से 5 (6-11 आयु वर्ग)	45%	40%	41%
कक्षा 6 से 8(11-14 आयु वर्ग)	42%	32%	35%
कक्षा 9 से 10 (15-16 आयु वर्ग)	37%	28%	32%

महिलाओं की आबादी में नामांकन में छात्राओं का प्रतिशत

कक्षाएँ	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
कक्षा 1 से 5 (6-11 आयु वर्ग)	70%	50%
कक्षा 6 से 8(11-14 आयु वर्ग)	236	23%
कक्षा 9 से 10 (15-16 आयु वर्ग)	20%	14%

उपरोक्त तालिकाओं के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि छात्राओं का नामांकन प्रतिशत हाई स्कूल स्तर तक की शिक्षा में अत्यंत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शैक्षिक संस्थिति अत्यन्त निराशाजनक है। राष्ट्र की एक बड़ी आबादी महिलाओं की कमी की शिक्षा से कोसों दूर है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा बढ़ नहीं पा रही है। अतः संपूर्ण भारत और उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षा की दशा निराशाजनक है।

महिलाओं की शैक्षिक उन्नयन हेतु साधन एवं प्रयास

भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद यहाँ के नीति - नियंताओं ने राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में महिलाओं को सम्मिलित करने के लिए इनके उपाय किये। महिलाओं की शिक्षा में आने वाली बाधाओं को जानने और समझने के लिए अनेक समितियों और आयोगों का गठन किया गया। कतिपय समितियों एवं आयोगों की समितियाँ निम्नवत् प्रस्तुत है-

दुर्गाबाई देशमुख समिति (1958 - 59) और महिला शिक्षा

भारत सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक उत्थान हेतु उनकी समस्याओं का अध्ययन करने और तद्संबंधी सुझाव देने के लिए दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 1959 ईस्वीं में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपा और महिला शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किया

- महिला शिक्षा को एक प्रमुख समस्या मानकर भारत सरकार को कार्य करना चाहिए।
- एक निश्चित समयान्तर्गत निश्चित योजना के अनुसार महिला शिक्षा का विकास करने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए।
- केन्द्र सरकार को सभी राज्यों के लिए महिला शिक्षा के विस्तार की नीति बनानी चाहिए तथा नीति को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार की पर्याप्त आर्थिक मदद करनी चाहिए।
- ग्रामीण महिलाओं के शैक्षिक उत्थान हेतु विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।
- महिला और पुरुष की शिक्षा के मध्य के विभेद को समाप्त करने के लिए जल्द से जल्द प्रयास किया जाना चाहिए।

- राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन करके महिला शिक्षा की समस्याओं का निस्तारण किया जाना चाहिए।
- राज्यों में महिला शिक्षा की राज्य परिषदें गठित की जानी चाहिए।

हंसा मेहता समिति (1962) और महिला शिक्षा

भारत सरकार ने बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में विभेदकता की संस्थिति से संदर्भित समस्याओं के निराकरण के लिए सन् 1962 ईस्वीं में श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनायी। इस समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिया

- विद्यालय स्वर पर बालक और बालिकाओं की पाठ्यचर्या में विभेद नहीं होना चाहिए।
- शिक्षा का संबंध व्यक्तिगत रूचियों, क्षमताओं, आवश्यकताओं से होना चाहिए न कि यौन भेद से होना चाहिए।
- ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जो बालक - बालकाओं के बीच अन्तर को बढ़ावा दें।

कोठारी आयोग (1964-66) और महिला शिक्षा

सन् 1964 में गठित दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता वाले आयोग ने 1966 में अपने प्रतिवेदन को भारत सरकार की सेवा में सौंपते हुए महिला शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये

- बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने संबंधी संवैधानिक प्रावधानों की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक प्रयास किये जाने चाहिए।
- बालिकाओं को बालकों के विद्यालय में साथ-साथ पढ़ने हेतु जनमत तैयार किया जाना चाहिए।
- बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर पृथक विद्यालय स्थापित किये जाए।
- बालिकाओं कि लिए छात्रावास और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए।
- बालिकाओं कि लिए पार्ट टाइम तथा व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करायी जाए।
- महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
- महिलाओं के लिए अलग कॉलेज खोला जाए।
- महिलाओं के लिए शोध इकाई खोले जाए।

- महिला शिक्षा हेतु पृथक प्रशासनिक तंत्र का गठन किया जाए।
- महिला शिक्षा के पाठ्यक्रम को पुनर्गठित किया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) और महिला समानता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भाग - चार समानता कि लिए शिक्षा'' में 4.1 में वर्णित है कि नई नीति विषमताओं को दूर करने पर विशेष बल देगी और अब तक वंचित रहे लोगों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर मुहय्या करायेगी। 4.2 शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जायेगा। अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को खत्म करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था ऐसे प्रभावी दखल करेगी जिनसे महिलाएँ, जो अब तक अबला समझी जाती रही है। समर्थ और सशक्त हों। नवीन मूल्यों की स्थापना के लिए शिक्षण संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से पाठ्यक्रमों तथा पठन - पाठन सामग्री की पुनर्रचना की जायेगी तथा अध्यापकों व प्रशासकों का पुनः प्रशिक्षण किया जायेगा। इस काम को सामाजिक पुनर्रचना कर अभिन्न अंग मानते हुए इसे पूर्ण कृत संकल्प होकर किया जायेगा और शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। 4.3 महिलाओं में साक्षरता प्रसार को तथा उन रूकावटों को दूर करने को जिनके कारण लड़कियाँ प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाती है सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न स्वरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया जायेगा। विभिन्न स्वरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया जायेगा। लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की नीति पर पूरा जोर देकर अमल किया जायेगा ताकि तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पारस्परिक रवैयों के कारण चले आ रहे लिंग मूलक विभाजन को समाप्त किया जा सके तथा गैर - परम्परागत आधुनिक काम धन्धों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ सके। इसी प्रकार मौजूदा और नई तकनीकी में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ायी जाऐगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संकल्पों के अनुरूप महिला शिक्षा के विकास एवं प्रसार के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। कतिपय योजनाएँ संचालित की गयी है। इसमें प्रमुख हैं

- महिला शिक्षा अभियान का संचालन।
- सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा अनेक कार्यक्रम का संचालन।
- उच्च शिक्षा प्राथमिक स्तर तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं संसाधनों की उपलब्धता ।
- बालिकाओं के लिए विद्यालय के लिए विद्यालय में पृथक शौचालय की स्थापना।
- स्कूल चलो अभियान द्वारा शालात्यागी बालिकाओं को शिक्षा में पूनः जोड़ना।
- वयस्क छात्राओं एवं महिलाओं के लिए ब्रिज कोर्स का संचालन।
- विद्यालयों में कम से कम 50 प्रतिशत महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति।
- महिला शिक्षा हेतु संचेतना एवं संवेदनशीलता का प्रसार।
- जनसहयोग की प्राप्ति हेतु सघन अभियान चलाना।
- पाठ्यचर्या को महिलोन्मुखी बनाना।
- विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन, स्थायित्व, उपस्थिति बढ़ाने के लिए नवाचारी उपाय करना।
- कन्या शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम, महिला समाख्या, पूर्व बाल्यकाल परिचर्या व शिक्षा, एकीकृत बाल विकास सेवा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना आदि नूतन कार्यक्रमों का संचालन।
- महिला शिक्षा हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रयास।
- निराश्रित महिला सेवा सदन की स्थापना।
- महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005

यह जानकारी सभी को है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत पुराने समय से ही जादू-टोने जैसे कुरीतियाँ एवं अंधविश्वास व्याप्त है। केवल इतना ही नहीं महिलाओं को टोनही के नाम से कलंकित एवं प्रताड़ित भी किया जा रहा है और समाज में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण मान्यता के कारण ही अत्याचार, कलह एवं हिंसा

का वातावरण बना रहता है। जादू-टोना के भय के कारण समाज अविकसित, शोषित और दलित होकर रह गया है। टोनही के नाम पर छत्तीसगढ़ में हत्याएँ भी बहुत हो रही है। इसी तारतम्य में मानवीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्व ारा एक रिट याचिका में सकारात्मक अभिमत प्रकट करते हुए उच्च न्यायालय में विधायिका को उसके निवारण के लिए कानून बनाने के निर्देश दिये थे, जिसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य की विधायिका ने छत्तीसगढ़ टोनहीं प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के नाम से इस अधिनियम का निर्माण किया, जिसमें समाज में स्वयि मानसिकता का हो सके ओर टोनही के नाम से उपेक्षित एवं प्रताड़ित व्यक्तियों को विधि सुरक्षा प्रदान किया जा सकें। संक्षेप में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है

टोनही की पहचान के लिए 605 -

इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को टोनही के रूप में पहचान, अपने किसी भी कार्य, शब्दों भाव भंगिमा या व्यवहार से नहीं कर सकेगा, जिससे ऐसे किसी व्यक्ति को कोई क्षति पहुँचायें या पहुँचाने की आशंका हो अथवा उसकी सुरक्षा एवं सम्मान में कोई विपरीत प्रभाव पड़, क्योंकि ऐसा करना अपराध है और ऐसा अपराध धारा 4 के अधीन 3 वर्ष तक की कड़ी कैद और जुर्माने से दयनीय है।

महिलाओं के हित में विशेष प्रावधान

- असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई महिला सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी और जहां ऐसी आसाधारण परिस्थितियाँ विद्यमान है वहाँ महिला पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके ऐसे प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है। (दं..प्र.सं. की धारा 46'4')
- यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाता है। किसी ऐसे कमरे में है जो उससे भिन्न ऐसी महिला के वास्तविक

अधियोग में है, जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है तो वैसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने के पूर्व उस महिला को सूचना देगा कि उसे वहाँ से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और हट जाने के लिए उसे प्रत्येक उचित सुविधा देगा और तब कमरे तोड़कर खोल सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है। (दं..प्र.सं. की धारा 47'2')

- जब किसी महिला के शरीर की तलाशी लेना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य महिला द्वारा की जाएगी। (दं..प्र.सं. की धारा 3'2')
- जब किसी महिला को ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि यह विश्वास करने हेतु उचित आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किये जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी तो ऐसी महिला की शारीरिक परीक्षा केवल किसी महिला, जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है। (दं..प्र.सं. की धारा 53'2')
- किसी महिला या 18 वर्ष से कम उम्र की किसी बालिका के किसी अवैध प्रायोजन के लिए अपहरण किये जाने या अवैध रूप से निरूद्ध रखे जाने की दशा में शपथ पर परिवाद किये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट उपखण्ड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकता है कि उस महिला को तुरंत स्वतंत्र किया जाए या वह बालिका उसके पति, माता, पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को जो उस बालिका का विधिपूर्ण भार साधक है तुरंत वापस का दी जाए और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बाल के प्रयोग द्वारा जैसा आवश्यक हो करा सकता है। (दं..प्र.सं. की धारा 98)
- संश्रेय अपराध के अन्वेषण के सिलसिले में पुलिस अधिकारी द्वारा किसी महिला को उसके निवास स्थान से भिन्न स्थान में हाजिर होने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। (दं..प्र.सं. की धारा 98)
- जहां बलात्संग या बलात्संग करने का प्रयास करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है वहां ऐसी पीड़ित महिला के शरीर की मेडिकल परीक्षा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाये जा रहे किसी अस्पताल

में नियोजित पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा और ऐसे चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसी महिला की सहमति से या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी और ऐसी महिला को ऐसी अपराध किये जाने से संबंधित अत्तिला प्राप्त होने के समय से 24 घंटे के भीतर ऐसे पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा।

महिलाओं के हितों की रक्षा से संबंधित न्याय दृष्टांत

- लैंगिग अपराध का विचारण न्यायालय के जिस बंद कमरे में किया जायेगा वहां अदालत की अनुमति के बिना प्रत्येक अभियुक्त की ओर से एक से अधिक अधिवक्ता उपस्थित रहने के हकदार नहीं है। (सुमेश्वर खेमी चौधरी विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 1994 MPLJ 265)
- लैंगिग अपराध से संबंधित निर्णय (चाहे वह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या निम्न न्यायालय द्वारा पारित हो) में पीड़ित महिला का नाम या उसका विवरण (जिससे उसकी पहचान होती हो) नहीं लिखा जाना चाहिए। (स्टेट ऑफ कर्नाटक विरूद्ध 2003, सुप्रीम 364)
- बलात्संग के अपराध का विचारण महिला न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा बशर्ते जिस स्थान पर विचारण किया जा रहा हो वहां महिला न्यायाधीश उपलब्ध हो। (स्टेट ऑफ पंजाब विरूद्ध गुरमीत सिंह ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 1993)
- ऐसा पुरुष जिसका पहला विवाह अस्तित्व में हो, से अन्य महिला (भले ही वह अविवाहित हो या तलाकशुदा हो या उसके पति की मृत्यु हो गई हो) द्वारा किया गया। विवाह हिन्दु विवाह अधिनियम के मुताबिक प्रारंभ से ही शून्य होता है और ऐसी महिला को विधिवत विवाहित पत्नी का दर्जा नहीं मिल सकता, जिसके कारण वह एसे पुरुष से भरण पोषण पाने की हकदार नहीं हो सकती है।

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग

आयोग के कृत्य

आयोग निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्ही भी कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात

- महिलाओं के लिए संविधान तथा अन्य विधियों के अधीन उपबंधित सरंक्षणों से संबंधित समस्त मामलों का अन्वेषण तथा परीक्षण करना।
- राज्य सरकार को वार्षिक रूप से तथा एसे अन्य समयों पर जैसा कि आयोग उचित समझे ऐसे संरक्षणों के कार्यान्वयन के संबध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- संविधान तथा अन्य विधियों में महिलाओं के सबंध में किए गए उपबंधों के उल्लंघन के मामलों को समुचित प्राधिकारियों तक ले जाना है।
- महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास की योजना तैयार करने संबंधी प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना।
- ऐसे मुकदमों को ध्यान देना जिनमें ऐसे मुद्दे अंतर्निहित हो जो महिलाओं के बड़े समूह पर प्रभाव डालते है।

निम्नलिखित के संबंध में गहन अध्ययन करना

- राज्य की महिलाओं को आर्थिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, इसमें विशिष्टता आदिवारी जिलों तथा ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा जो महिलाओं की साक्षरता, मृत्यु दर तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से कम विकसित है।
- वे परिस्थितियाँ जिनमें महिलाएँ कारखानों, स्थापनाओं, निर्माण स्थलों तथा वैसी ही अन्य स्थितियों में कार्य करती है और उक्त क्षेत्रों में महिलाओं की परिस्थिति में सुधार हेतु विशिष्ट रिपोर्टों के आधार पर राज्य सरकार को सिफारिश करना।

निम्नलिखित से संबंधित शिकायतें प्राप्त करना

- महिलाओं पर अत्याचार और महिलाओं के विरूद्ध अपराध।
- महिलाओं को उनके न्यूनतम मजदूरी, प्राथमिक, स्वास्थ्य और प्रसूति सुविधाओं से संबंधित अधिकरों से वंचित करना।
- महिलाओं के संबंध में राज्य सरकार नीतिगत विनश्चयों का पालन न किया जाना।
- अभिव्यक्त और निराश्रित महिलाओं और वैश्यावृत्ति करने के लिए विवश की गई महिलाओं का पुनर्वास।
- ऐसी महिलाओं पर जो अभिरक्षा में है, अत्याचार और उन्हें समुचित उपचारी कार्य के लिए संबंध प्राधिकारियों तक ले जाना।

- निर्धन महिलाओं को विधिक परामर्श देने और ऐसी महिलाओं को विधिक सहायता प्राप्त करने में समर्थ बनाम के लिए राज्य के गैर सरकारी संगठनों को सहायता करना, प्रशिक्षित करना व प्रेरित करना।

छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं विकास विभाग द्वारा संचालिज योजनाएँ

- **समेकित बाल विकास सेवा योजना** - 6 वर्ष आयु के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने, बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास की बुनियाद कारखाने, बाल मृत्यु, बीमारी, कुपोषण, कम जन्मभार तथा शाला छोड़ने की घटनाओं को कम करने गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं तथा समुदाय को स्वास्थ्य पोषण की शिक्षा देकर सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह योजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र महिला द्वारा अपने क्षेत्र में पास के आंगनबाड़ी केन्द्र में अथवा पर्यवेक्षक बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- **विशेष पोषण आहार कार्यक्रम** - यह कार्यक्रम राजनांदगांव एवं अंबिकापुर शहर में शहरी क्षेत्र के गरीब एवं कमजोर गर्भवती, धातृ माताओं के पोषण की स्थिति में सुधार लाने एवं उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्र में गरीब एवं झुग्गी झोपड़ी गंदी बस्तियों में निवास करने वाले गर्भवती, धातृ मातायें ले सकती है। इस कार्यक्रम के द्वारा विशेष पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण की सुविधा प्राप्त होती है।
- **दत्तक पुत्री शिक्षा योजना** - बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु समाज में जागरूकता लाने, गरीब जरूरतमंद बालिकाओं की शिक्षा में जागरूक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत गरीब बालिका जिनकी पढ़ाई का खर्च माता-पिता द्वारा वहन किया जाना कठिन होता है ऐसी गरीब बालिकाओं को पात्रता है। यह योजना पूर्ण रूपेण जन सहयोग से संचालित है।

- **बालिका समृद्धि योजना** - बालिका शिशु तथा उसकी माता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाने, बालिका भ्रुण हत्या की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने, परिवर्तन लाने, बालिका भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने, बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष के उपरांत करने संबंधी जागृति लाने के उद्देश्य ये यह योजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है।
- **राज्य वीरता पुरस्कार** - वीर सहसी बालक और बालिकाओं को किसी घटना विशेष में उनके द्वारा प्रदर्शित अवम्य साहस शौर्य एवं बुद्धिमत्ता के लिए पुरस्कृत करने उद्देश्य से यह योजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है।
- **किशोरी शक्ति योजना** - 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को होने वाली शारीरिक, मानसिक बदलाओं के संबंध में जानकारी देने बालिकाओं को स्वयं के स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता के संबंध में जागरूक तथा आत्मनिर्भर बनाने, किशोरी बालिकाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों से संबंधी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य तथा उन्हें प्रशिक्षित एवं जागरूक कर उनके स्वास्थ्य पोषण और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है।

सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जाने वाली योजनाएँ

- **पंचधारा योजना** - 1 नवंबर 1991 के विशेषतः ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के उत्थान एवं विकास हेतु यह पंचधारा योजना आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत 5 योजनाएँ संचालित है
  - वात्सल्य योजना
  - ग्राम्य योजना
  - आयुष्मति योजना
  - सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
  - कल्प वृक्ष योजना
- **स्वास्थ्य सखी योजना** - इस योजना के अंतर्गत 18.35 वर्ष की आयु की अनुसूचित जाति के महिलाओं को मिड-वाइफ के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा और चयनित महिला को 500 रू. प्रतिमाह का भत्ता।
- **किशोरी बालिका योजना** - 11-18 वर्ष की लड़कियों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हेतु।

- **मातृत्व अनुदान योजना -** बिहार सरकार द्वारा इस योजना का प्रार्दुभाव किया गया है, जिसमें महिलाओं को प्रथम मातृत्व के अवसर पर 300 रूपये और कम से कम 36 महिनों के अंतराल में द्वितीय मातृत्व के अवसर पर 500 रू. अनुदान दिया जाता है।
- **अपनी बेटी अपना धन योजना -** 2 अक्टूबर 1994 को हरियाणा सरकार द्वारा चलायी गई अनुसूचित जाति और जनजाति परिवार के नवजात बालिकाओं के लिए 2500 रू. सरकार द्वारा इंदिरा विकास पत्र के माध्यम से दिया जाता है, जो 18 वर्षों के पश्चात् लगभग 25000 रू. उसी बालिका को प्राप्त होता है जिसके नाम से निवेश किया गया है।
- **कुंवर बइनु मामेंरू योजना -** गुजरात सरकार द्वारा 1995 में प्रारंभ की गई इस योजना के तहत 7500 रू. से कम वार्षिक आय वाले परिवार को 5000 रू. वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **उज्जवला योजना -** सरकार के इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को शरण देना जो वेश्यावृत्ति से छूटकर आये हो, और यौनकर्मियों के बच्चे है तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घर से बेघर हुई महिलाओं के लिए इसके साथ ही यह योजना यौनदुराचार से पीड़ित महिलाओं की भी मदद करता है।
- **सबला योजना -** इस योजना का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, उनके घरेलु कौशलों, जीवन कौशलों और व्यवसायिक कौशलों का उन्यन करके उनका सशक्तिकरण करना है। बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, साफ-सफाई के विषय में जानकारी और मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के विषय में मार्गदर्शन प्रदान किया जाना है और साथ ही इस योजना का उद्देश्य स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा, मुख्य धारा में शामिल करना भी है।

भारत में महिला कानून

- भ्रूण हत्या एवं लिंग भेद संबंधित अधिनियम 2002
- घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005
- हिन्दू विवाह अधिनियम 1955

- दहेज प्रतिरोध विवाह 1986
- विशेष विवाह अधिनियम 1954

महिलाओं की उपलब्धियाँ

वैसे तो स्त्री को शक्ति का रूप कहा गया जिसकी पुष्टि हमारे धार्मिक ग्रंथ एवं ऐतिहासिक और साहित्य धरोहर एवं विद्वानों के कथन से होता है। इतिहास में भी ऐसे कई महिलाओं के नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपने सशक्ति और आत्मविश्वास के बल पर कुछ विशेष उपलब्धियाँ हासिल की है जैसे - महारानी लक्ष्मी बाई, रजिया सुलतान, रानी दुर्गावती, जोधा बाई, पन्ना धाय, इंदिरा गांधी, सुचिता कृपलानी, किरन बेदी, श्रीमति प्रतिभा पाटिल, सबा अंजुम, नीता लोधी (सबसे कम उम्र की महापौर दुर्ग) आदि महिलाओं की जीवन गाथा उल्लेखनीय है और साथ ये समाज और देश के लिए प्रेरणा स्त्रोत भी इसी कड़ी वर्तमान कुछ महिलाओं ने विशेष उपलब्धि हासिल कि है जैसे

- **एक पैर से एवरेस्ट फतह -** सामान्य कद काठी की दीखने वाली अरूणीमा के हौसले किसी चट्टान से कम नहीं है। ट्रेन दुर्घटना में अपना एक पैर गवा देने के बावजूद भी इस 25 वर्ष अरूणीमा सिन्हा ने एक पैर से ही दुनिया की सबसे ऊँची पर्वत चोटी माउण्ट एवरेस्ट पर चढ़ने का कीर्तिमान अपने नाम किया।
- **शिक्षा की सुल्तान -** उत्तर प्रदेश की मेरठ जिले में रहने वाली 15 वर्षीय रजिया, भारत की पहली लड़की है, जिन्हें वर्ष 2013 में पहला युनाइटेड नेशन मलाला दिया गया। जिसने परिवार वालों के साथ फुटबाल सीलने का कार्य करते हुए बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें बाल मजदूरी से भी रोका। इस कार्य का परिणाम यह हुआ कि बाल मजदूरी करने वाले 48 बच्चे आज स्कूल जाकर पढ़ाई करने लगे है।
- **रेड ब्रिगेड -** उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज रेड ब्रिगेड की काफी चर्चे है। इस रेड ब्रिगेड की संस्थापक है 25 वर्ष की उषा विश्वकर्मा। इस रेड ब्रिगेड में लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है।
- **सचमुच की नायक -** मई के मुलूंड के झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाली 24 वर्षीय आरती नायक ने सखी नामक एक संस्था बनाई, जिसमें वह झुग्गी-झोपड़ियों

में रहने वाली लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए कार्य करती है। वर्तमान में इस संस्था से 200 लड़कियाँ जुड़ी हुई है। आरती का लक्ष्य 2018 तक अपने संस्थान से 2000 लड़कियों को जोड़ने का है।

1.2 अध्ययन का औचित्य

नारी के बिना पुरुष की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। ईश्वर ने नारी को सहज और सरल बनाया है, कोमल बनया है। उसे क्रूर नहीं बनाया निर्माण के लिए सहज, सरल और कोमल स्वभाव आवश्यक है। विध्वंश के लिए क्रूरता आवश्यक है। रानी लक्ष्मी बाई हो या अन्य कोई वीरांगना अपनी सहनशक्ति की सीमाओं को टूटते देखकर ही और किन्हीं अन्य कारणों से स्वयं को आरक्षित अनुभव करके ही क्रोध ही क्रोध की ज्वाला पर चढ़ी। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी भी नारी के सहज स्वभाव से परे नहीं थी। सिडिकेट से भयभीत इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। अन्यथा वह एक नारी ही थी। वहीं नारी जो अपनी हार पर (1977) में अपनी सहेली पुपुल जयकर के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी थी। यह उसकी कोमलता थी। मातृत्व शक्ति का गुण था।

किसी भी देश की प्रगति एवं विकास के लिए महिलाओं की भूमिका हमेशा सर्वोपरि रही है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी एक विशेष भूमिका निभाई है। आज महिलाओं के शिक्षित होती है तो सिर्फ महिला वर्ग ही शिक्षित नहीं होता, महिलाओं के शिक्षित होने की वजह से आज उनका पूरा परिवार भी शिक्षित होता है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करके इनको सभी आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक संसाधनों को उपलब्ध कराना तथा उनको एक निश्चित स्तर पर उनकी शक्ति एवं एकता को सुदृढ़ कर सामूहिक कार्य के लिए प्रेरित करना है। भारतीय संविधान में महिलाओं को समान अधिकार मिले उनके लिए शिक्षा राजनीति, समाज सेवा, व्यवसाय आदि सभी क्षेत्रपूर्ण रूप से खुले हुए है।

हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में नागरिकों के मूल अधिकार को स्पष्ट किया गया है। तथा अनुच्छेद 14 से 18 में स्त्री और पुरुष

को समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15(1) में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद अमान्य है, इसमें महिला और पुरुष दोनों की समान रूप से जीविका का निर्वहन हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध करने की चर्चा की गई है, लेकिन अनुच्छेद 15(3) कहता है कि स्त्रियों की दयनीय स्थिति, कुरीतियों के कारण होने वाले उत्पीड़न, बाल विवाह तथा बहु विवाह आदि के कारण शोषण की स्थिति में राज्यों में राज्यों को उनके लिए विशेष प्रबंध तथा विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए। स्पष्टतः जहाँ भी आधी आबादी को सामाजिक, पारिवारिक तथा स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा के प्रश्न थे। संविधान ने उन्हें पूर्णतः सुरक्षित किया है, वहीं राष्ट्र के विकास के कार्य में महिलाओं की भूमिका और योगदान को पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्य में रखकर राष्ट्र निर्माण के कार्य को समझा जा सकता है। समूची सभ्यता में व्यापक बदलाव के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में महिला सशक्तिकरण आंदोलन 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विकास कहा जाना चाहिए। भारत जैसे देश में जहाँ लोकतांत्रिक तरीके से काम करने की आजादी है या यूँ कहे की एक सशक्त परंपरा है, जनमत जीवंत है और आधी आबादी के कल्याण में रूचि लेने वाला एक बड़ा वर्ग विद्यमान है। महिला सशक्तिकरण की शुरूकाम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मानी जाती है, फिर महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नौरोबी में की गई, भारत सरकार ने समाज में लिंग आधारित भिन्नताओं को दूर करने के लिए एक महान नीति महिला कल्याण नीति 1953 में अपनाई, महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय उद्देश्य महिलाओं की प्रगति और उमें आत्मविश्वास का संचार करना है।

वास्तविक सशक्तिकरण तो तभी होगा जब महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी। और उनमें कुछ करने का आत्मविश्वास जागेगा। यह महत्वपूर्ण है कि महिला दिवस का आयोजन सिर्फ रस्म अदायगी भर नहीं रह जाए। वैसे यह शुभ संकेत है कि महिलाओं में अधिकारों के प्रति समझ विकसित हुई है।

मनुस्मृति - में स्पष्ट उल्लेख है कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रमण करते है, वैसे तो नारी को विश्व भर में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है किन्तु भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में देखें तो स्त्री का विशेष स्थान

सदियों से रहा है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वर्तमान में यदि खुले मन से आकलन करते तो पाते है कि महिलाओं को मिले सम्मान के उपरांत भी ये दो भागों में विभक्त है। एक तरफ एकदम से दबी, कुचली, अशिक्षित और पिछड़ी महिलाएँ है तो दूसरी तरफ प्रगति पथ पर अग्रसर महिलाएँ।

महिलाओं को पुरुषों की भांति सशक्त होना चाहिए और इसके लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि वह अपनी रूढ़ीवादी परंपराओं को तोड़कर अपनी शक्ति का उपयोग करें क्योंकि बिना शिक्षा के हम अपने अधिकारों, शक्तियों आदि को पहचान नहीं पायेंगे।

हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मे नागरिकों के मूल अधिकार को स्पष्ट किया गया है, जिसके अनुसार एक अधिकार.ाक्षा एवं संस्कृति का है। अतः भारत की पहचान उसकी संस्कृति से कि जाती है। संविधान का अनुच्छेद 51(a) के अनुसार ही अभिभावकों का भी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करें।

सर्वप्रथम सन् 1946 में महिलाओं की प्रस्थिति पर आयोग की स्थापना की गई। जिसमें सभी मानव गरीमा एवं अधिकारों कि दृष्टि से स्वतंत्र समान है। इस महासभा ने 7 नवम्बर 1967 की महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव की सम्मत की घोषणा अंगीकार किया और घोषणा में प्रस्तावित सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समप्ति पर अभिसमय 18 दिसम्बर 1979 को महासभा द्वारा अंगीकार किया गया, जिसमें अनुच्छेद 1 के अनुसार महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव का वर्णन हैं।

महिलाओं को पुरुषों की भाँति स़ाक्त होना चाहिए और इसके लिए सबसे आव़यक बात यह है कि वह अपनी रूढ़ीवादी परम्पराओं को तोड़कर अपनी शक्ति का उपयोग करें क्योंकि बिना.ाक्षा के हम अपने अधिकारों, शक्तियों आदि को पहचान नहीं पायेगें।

धार्मिक विभिन्नताओं के वजह से भी बालिकाएँ आगे नहीं आ पाती है। संविधान के द्वारा पुरुष व महिलाओं के अधिकारों में कोई भेद नहीं माना गया है, जिसे सभी समाजों ने स्वीकार कर महिलाओं को आगे आने का अवसर प्रदान किया। परंतु मुस्लिम समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं माना जाता है, मुस्लिम समाज में बहुत से नियम कानून और रूढ़िवादी परम्पराएँ होती है। इस

वजह से मुस्लिम महिलाओं को अधिकार प्रदान करना तो दूर की बात है, उन्हें पूर्ण रूप से षिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी नहीं दिया जाता है। मुस्लिम समाज पुरुष प्रधान होता है। जिसमें पुरुषों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। मुस्लिम धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, कि पुरू महिलाओं से उच्च है, व उन्हें प्राथमिकता दी जाए। इन नियमों का पालन करना मुस्लिम धर्मालंबियों के लिए अनिवार्य होता है। मुस्लिम समाज में बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए परदा प्रथा का भी प्रचलन है। इस वजह से बालिकाओं को सह-षिक्षा विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। सुदुर व ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय की व्यवस्था नहीं है उन्हें शिक्षाविहिन रहना पड़ता है। उनके लिए सिर्फ धार्मिक.ाक्षा उपलब्ध हो पाती है, जो धार्मिक मदरसों व मौलवियों द्वारा प्रदान की जाती है।

जैसे की छात्र और छात्राओं की समान शिक्षा दी जाती है वैसे ही मुस्लिम समाजों में भी बिना भेदभाव के शिक्षा दी जाए, ताकि छात्रों की तरह भी छात्राएँ अपने आप को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बना सके एवं इच्छाओं को पूर्ण कर सकें। छात्राओं को शिक्षित करना अति आवयश्क होता है, क्योंकि आज की छात्रा कल की सशक्त महिला बनेगी और इसकी शुरूआत शिक्षा से ही सम्भव है।

अक्सर ये देखा जाता है कि समाज या समूहों के सदस्यों द्वारा बनाये गयें नियमों, कानूनों, भेदभाव जातियता, धर्म, लिंग आदि के द्वारा ही महिलाएँ अपनी शक्ति का उजागर नहीं कर पाती है। इसके साथ-साथ हमारा समाज दो वर्गों में बँटा हुआ है, एक गरीब तो दूसरा अमीर इस वर्ग विभिन्नता के कारण भी ग्रामीण और सुदुर क्षेत्रों की महिलाएँ अपने आप को सशक्त नहीं बना पाती। उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मव़िवास की भावना कम होती है, वह चाह कर भी समाज और परिवार के सदस्यों के बीच अपने अधिकारों का उजागर कर पाने में असमर्थ होती है।

पूर्व शोध से यह ज्ञात होता है कि **वसिम सय्यद, ए. अशराक और अहमद अय्याज** (अप्रैल 2012) ने अपने जीवन इतिहास में यह निष्कर्श निकाला कि मुस्लिम महिलाओं घरेलू महिला बनके रहना चाहती है। बजाए खेती और मजदूरी करने के, मुस्लिम महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई है और उनकी सलाह व मशवरा को नजर अंदाज किया जाता है।

मुखोपाध्याय हेमन्ती (नवम्बर 2008) ने अपने शोध में यह निश्कर्श निकाला कि मुस्लिम महिलाओं का समाज में तथा परिवार में विभेदिकरण किया जाता है। मुस्लिम महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह संबंध, घरेलू अत्याचार, नैतिका, यौन प्रताड़ना आदि में समाज के द्वारा दोहरी मानसिकता रखी जाती है।

ग्राहम मारकी ऐरीन (जनवरी 2008) ने अपने शोध में यह निश्कर्श निकाला कि - एक वर्ष की विद्यालयीन शिक्षा से सशक्तिकरण नहीं लाया जा सकता बजाय छात्र स्वयं में आत्मविवास तथा पारम्परिक लिंग विभेदीकरण जैसे चुनौतियों का सामना करके।

इस प्रकार हम कह सकते है कि सभी समाजों द्वारा महिलाओं और पुरुषों के समतुल्य माना जाता है, पूरे परिवार का कर्णधार तेा महिलाएँ होती है, और उन्हें यदि स्वतंत्र, अधिकार विहिन, आत्मनिर्भर, आत्मविवास, आत्मसम्मान नहीं दी जाए तो वह अपना और अपने परिवार का विकास नहीं कर पायेगी। मुस्लिम समाज में यह अंतर पाया जाता है, जो मुस्लिम समाज के पिछड़ने का मुख्य कारण यही है। अतः जब हमारा भारतीय संविधान महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार दे रही है तो मुस्लिम समाज भी अपनी रूढ़िवादी परम्पराओं को तोड़कर एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो, महिलाओं और पुरूशों की भांति आगे आये और अपनी आंतरिक शक्तियों को समाज में प्रकट करें। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही शोधकर्ता द्वारा इस विषय को चूना गया ताकि समाज को एक नई दिशा प्रदान की जा सके।

1.3 समस्या कथन

''मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के प्रभाव का अध्ययन''

1.4 प्रयुक्त पदों कि परिभाषा

1.4.1 किशोरावस्था

मानव विकास की सबसे विचित्र एंव जटिल अवस्था किशोरावस्था है। इसका काल 13 वर्श से 19 वर्ष तक रहता है। इसमें होने वाले परिर्वतन बालक के व्यक्तित्व के गठन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते है अतः शिक्षा के क्षेत्र में इस अवस्था का विकोश महत्व है।

प्रस्तुत अध्ययन में 13 से 19 वर्ष के मुस्लिम किशोरियों को लिया गया है।

''इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है''

- ए. किलपैटिक

''किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है।''

- स्टोनले हाल

1.4.2 व्यक्तित्व

व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के Personality का हिन्दी रूपान्तरण है। यह शब्द लैटिन भाषा के परसोना से लिया गया है। इसका आशय नकली चेहरा होता है। प्राचीन काल में व्यक्तित्व से अभिप्राय शारीरिक रचना रूप-रंग, वेश-भूषा आदि से लगाया जाता था, किन्तु वास्तविकता यह है की एक नहीं अनेक प्रतिकारकों के द्वारा निर्धारित होता है। व्यक्तित्व बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक गुणों का सुव्यवस्थित मिश्रण हो व्यक्तित्व कहलाता है। विकास की यह निरंतरता व्यक्ति कें शैशवस्था से जीवन के अंत तक चलती है, ऐसी समय कभी नहीं आता है जब यह कहा जा सके कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास या पूर्ण निर्माण हो गया।

''व्यक्तित्व व्यक्ति का सम्पूर्ण मानसिक संगठन है, जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है।''

- वारेन

अंतर्मुखी व्यक्तित्व

इस व्यक्तित्व के लक्ष्य, स्वभाव आदतों अभिवृत्तियों और अन्य चालक बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते है। इसका बाह्य रूप में न होकर आंतरिक रूप में होता है। इस व्यक्तित्व के मनुष्य दार्शनिक और विचारक भी होते हैं।

बहिर्मुखी व्यक्तित्व

इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले मनुष्य का झुकाव बाहर तत्वों की ओर होता है। वे अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। वे संसार के भौतिक और सामाजिक लक्ष्यों में विशेष रूचि ररवते है। इस व्यक्तित्व के मनुष्य अधिकांश रूप से सामजिक, राजनैतिक या व्यापारिक नेता होते हैं।

1.4.3 समायोजन

जब व्यक्ति अपने व्यवहार की गतिशीलता का प्रयोग आवशयकताओं की पूर्ति और आत्म-पुष्टि के लिए करता है तो इसे समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है। अतः वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना ही समायोजन है।

''समायोजन वह प्रकिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच सन्तुलित सम्बन्ध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिर्वतन करता है।''

- गुट्‌स एवं अन्य

सशक्तिकरण

सशक्तिकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह जो की सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर शक्ति से वंचित रहा है। उन्हें शक्ति सम्पन्न किया जाना ही सशक्तिकरण है। इसका सम्बन्ध महिलाओं और पिछड़े लोगों से होता है। क्योंकि वे परम्परागत रूप से अपने से सम्बन्धित क्षेत्रों में भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सामाजिक रूप से बाधित रहते हैं, जिसके कारण वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते है।

व्यापक अर्थ में सशक्तिकरण का अर्थ है स्वतंत्रता का विस्तार जो अधिकार, संसाधनों एवं निर्णय को नियंत्रित करके व्यक्ति को श्रेष्ठ व्यवसाय या संसाधन का चुनाव करने के अवसर प्रदान करता है।

इस प्रकार बालिका सशक्तिकरण मे अधिकार एवं स्वतंत्रता, अस्तित्व एवं स्वायत्ता एवं आत्मविश्वास/आत्मनिर्भरता, निर्णय प्रक्रियाएँ, भागीदारी क्षमता, विकास, सामाजिक राजनीतिक व कानूनी जागरूकता, सूचना माध्यमों की उपयोगिताएँ आदि माध्यमों के द्वारा बालिकाओं को सशक्त किया जा सकता है।

1.5 अध्ययन का उद्‌देश्य

1. मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के सहसंबंध का अध्ययन करना।
2. मुस्लिम किशोरियों के समायोजन एवं बालिका साक्तिकरण के सहसंबंध का अध्ययन करना।

3. मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के प्रभाव का अध्ययन करना।
4. मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के प्रभाव का अध्ययन करना।
5. मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व (अन्तर्मुखी तथा बहिर्मुखी), पर बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के मध्य सार्थक आंतरिक क्रियात्मक प्रभाव का अध्ययन करना।
6. मुस्लिम किशोरियों समायोजन (उच्च तथा निम्न), पर बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के मध्य सार्थक आंतरिक क्रियात्मक प्रभाव का अध्ययन करना।
7. ग्रामीण एवं शहरी मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व समायोजन एवं बालिका सशक्तिकरण के मध्य सार्थक आंतरिक क्रियात्मक प्रभाव का अध्ययन करना।

1.6 अध्ययन की परिकल्पना

1. मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के मध्य सहसंबंध नहीं पाया जायेगा।
2. मुस्लिम किशोरियों के समायोजन एवं बालिका सशक्तिकरण के मध्य सहसंबंध नहीं पाया जायेगा।
3. मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।
4. मुस्लिम क्रिोरियों के समायोजन पर बालिका स्राक्तिकरण के विभिन्न आयामों के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।
5. मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व (अर्न्तमुखी तथा बहिर्मुखी), पर बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के मध्य सार्थक आंतरिक क्रियात्मक प्रभाव नहीं पाया जायेगा।
6. मुस्लिम किशोरियों समायोजन (उच्च तथा निम्न), पर बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के मध्य सार्थक आंतरिक क्रियात्मक प्रभाव नहीं पाया जाएगा।

7. ग्रामीण, शहरी मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व समायोजन एवं बालिका सशक्तिकरण के मध्य सार्थक आंतरिक क्रियात्मक प्रभाव नहीं पाया जायेगा।

1.7 अध्ययन का परिसीमन

- **क्षेत्र -** अध्ययन हेतु शोधार्थी द्वारा बिलासपुर के कुछ ब्लॉकों को लिया गया है।
- **बालिकाएँ -** अध्ययन हेतु बिलासपुर क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी मुस्लिम किशोरियों को लिया गया है।
- **स्तर -** अध्ययन हेतु कक्षा 10वीं से 12वीं स्तर के ग्रामीण व शहरी मुस्लिम किशोरियों को लिया गया है।
- **उपकरण -** शोधकर्ता द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण, समायोजन परीक्षण, तथा किशोरी बालिका सशक्तिकरण परीक्षण का उपयोग किया गया है।

अध्याय-2
संबंधित शोध साहित्य का अध्ययन

केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है, जो सदियों से एकत्र किये गए ज्ञान का लाभ उठा सकता है। मानवीय ज्ञान के तीन पक्ष होते हैं प्रथम ज्ञान को संचित करना, द्वितीय ज्ञान का प्रसारण करना और तृतीय ज्ञान में वृद्धि करना। यह तथ्य शोध में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो कि वास्तविकता के समीप आने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। व्यवहारिक रूप में तो संपूर्ण ज्ञान कि भांति पुस्तकों में तथा पुस्तकालयों में मिल सकता है। अन्य प्रणियों से भिन्न मानव को अतीत से प्राप्त ज्ञान को प्रत्येक पीढ़ी के साथ नये रूप में प्रारंभ करना चाहिए। ज्ञान के विस्तृत भण्डार में इसका निरन्तर योगदान प्रत्येक क्षेत्र में मानव द्वारा किये गए प्रयासों की सफलता को संभव बनाता है। शोधकर्ता यह निश्चित कर सकता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित शोध से सम्बंधित विषयों पर विचारणीय कार्य पहले ही हो चुका है अथवा नहीं।

किसी भी विष्य के विकास में किसी विशेष शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिए शोधकर्ता को पूर्व सिद्वान्तों एवं शोध से भली-भांति अवगत होना चाहिए। इस जानकारी को निश्चित करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान में प्रत्येक शोध प्रारूप की प्रारंभिक अवस्था में इसके सैद्धांतिक एवं शोधित साहित्य की समीक्षा करनी होती है।

2.1 साहित्य की समीक्षा का अर्थ

साहित्य की समीक्षा में दो शब्द हैं - **साहित्य और समीक्षा।**

साहित्य शब्द परम्परागत अर्थ से विभिन्न अर्थ प्रदान करता है। यह भाषा के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है जैसे हिन्दी साहित्य, आंग्ल साहित्य, संस्कृत साहित्य। इसकी विषय वस्तु के अन्तर्गत गद्य, काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी

आदि आते है। अनुसंधान के क्षेत्र में साहित्य शब्द की किसी विषय के अनुसंधान के विशेष क्षेत्र के ज्ञान की ओर संकेत करता हैं, जिसके अन्तर्गत सैद्धांतिक, व्यावहारिक और तथ्यात्मक शोध अध्ययन आते हैं।

समीक्षा शब्द का अर्थ शोध के विशेष क्षेत्र में ज्ञान की व्यवस्था करना एवं ज्ञान को विस्तृत करके यह दिखाना है कि उसके द्वारा किया गया अध्ययन इस क्षेत्र में एक योगदान होगा। साहित्य की समीक्षा का कार्य अत्यन्त सर्जनात्मक एवं थकाने वाला है क्योंकि शोधकर्ता को अपने अध्ययन को युक्तिपूर्वक कथन प्रदान करने के लिए प्राप्त ज्ञान को अपने ढंग से एकत्र करना होता है।

समीक्षा और साहित्य दोनों शब्दों का ऐतिहासिक विधि में बिलकुल भिन्न अर्थ है। ऐतिहासिक शोध में शोधकर्ता को प्रकाति तथ्यों के समीक्षा की आपेक्षा बहुत कुछ स्वयं करना होता है। वह ऐसी नई जानकारी को खोजने और एकत्र करने का प्रयास करता है, जो पहले कभी प्रकाति नहीं हुई हो और न ही जिस पर कभी विचार हुआ हो। सर्वेक्षण और प्रयोगात्मक शोध की तुलना में ऐतिहासिक शोध में साहित्य कि समीक्षा में उपरोक्त विचार और प्रक्रिया के भिन्न अर्थ हैं।

2.2 साहित्य समीक्षा की आवश्यकता

1. शोध कार्य की योजना बनाने में प्रारंभिक पदों में से एक रूचि के अनुरूप विशेष क्षेत्र में किये गए शोध कार्यों की समीक्षा करता है। इस शोध का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विलेशण शोधकर्ता को एक दिशा का संकेत देता है।
2. प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के लिए यह अत्यंत आव़यक है कि वह दूसरों के द्वारा किऐ गए अपनी समस्या के सम्बंधित साहित्य की सूचनाओं से भली-भांति अवगत हो। वास्तविक योजना बनाने और अध्ययन करने में यह अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता समझा जाता है।
3. यह अध्ययन की समस्या को साधन प्रदान करता है। शोध की समस्या का चयन करने और पहचानने के लिए समानता प्रदान करता है। शोधकर्ता साहित्य कर समीक्षा के आधार पर अपनी परिकल्पनाये बनाता है। यह अध्ययन के लिए आधार प्रदान करता है। अध्ययन के परिणामों और निश्कर्षों पर वाद-विवाद किया जा सकता है।

2.3 साहित्य की समीक्षा का उददे्श्य

1. यह सिद्धांत विचार व्याख्याएँ अथवा परिकल्पनाये प्रदान करता है, जो नई समस्या के चयन में उपयोगी हो सकते हैं।
2. यह परिकल्पना के लिए साधन प्रदान करता है।
3. यह समस्या के समाधान के लिए उचित विधि प्रक्रिया तथ्यों के साधन और सांख्यिकीय तकनीक का सुझाव देता है।
4. यह परिणामों के विश्लेषण में उपयोगी निश्कर्षों और तुलनात्मक तथ्यों का निर्धारित करता है।
5. यह शोध कार्य किये गए क्षेत्र में शोधकर्ता की निपूणता और समान्य ज्ञान को विकसित करने में सहायक होता है।

2.4 संबंधित शोध साहित्यों का अध्ययन

2.4.1 व्यक्तित्व से संबंधित शोध साहित्य

Harsh, C.M. and Schricket, H.Q. (1959): "Personality Development and Assessment", the Ronald Press co. Newyork.

निष्कर्ष -

बालक की संवेगात्मक स्थिति उसे अपने वातावरण से स्वथ्य समायोजन करने में सफलता या असफला तथा उनमें उत्पन्न अभिवृत्तियाँ तथा भावनायें उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है।

Bhushan, L.T. (1968) : "Personality factors and leadership prefecrece," Ph.D. Psy. Bhagalpur U. 1968. Forth Survey of Research in Education 1983-88 Volume –I.

Findings

1. The personality factors were substantially related to the leadership preference.
2. Preference for a democratic type of leadership was negatively and negatively related to authoritarianism, intolerance of ambiguity and neuroticism and positively related to ascendance and extraversion.
3. Subject preferring a democratic type of leadership were relatively ascendant extravert, non-authoritarian, tolerant of ambiguity and emotionally stable, whereas those who preferred an authoritarian

leadership style were more authoritarian, submissive, intolerant of ambiguity, introvert and neurotic.

NAIR, P.M. (1975) – "Personality characteristics of creative High school pupils"., Ph.D. Edu. Ker. U. (Third survey, page no. 383)

The objective of the study was to solve the problem of identification of the creative pupils in the classroom by simple observation of the adjustive nature of their personality.

Findings

1. In general, the profile of the adjustive traits of the creative pupils was found to differ significantly from that of the non-creative pupils.
2. The non-creative pupils exhibited the highest degree of the feeling of anxiety whereas the creative pupils exhibited the lowest degree.
3. The creative pupils were better adjusted than the non-creative pupils, personally as well as socially.

Malik, S. (1984) : "personality differentials of Adolescent girls across socio-metric Status," Ph.D. Edu., Pan U. 1984. Forth Survey of Research in Education 1983-88 Volume –I.

Findings

1. For the personality characteristic of 'emotion-open', the popular and rejecters come in the above average category, whereas the neglecters and isolates fell in the lower cadre of the below– average category.
2. On the personality pattern of emotion reclusive all four groups stood in the above average category.
3. On' comtrinative imagination', the popular feel in the high category, the regretless in the above- average category and the neglecters and isolates in the lower category of the average category the popular showed the highest mean scores followed by the mean scores of the reject lees, isolates and neglects.

Agrawal R. (1985) : "A Study of feeling of security in morally Developed and under developed Adolescents as related to their Self-concept and personality pattern", Ph.D. Psychology Agra,1985, Forth Survey of Research in Education 1983-88 Volume -I.

Findings

1. The adolescents were found to be secure.
2. Moral development was related to the feeling of security.
3. Self-concept was not related with moral development and moral under development.
4. Morally developed and morally under-developed adolescents did not possess man different traits.
5. Family was positively related to moral development and moral under-development.
6. Personality was not related with moral development.
7. There was a significant relationship between self-concept and personality characteristics.

GUPTA, T.P. (1985) - "A study of personality characteristics of Bright and dull children"., Ph.D. Edu. Luc. U. 1985. (Fouth survey, Vol-I, page no. 371)

Major findings of the study were

1. There were significant differences among the bright and the dull students regards needs difference, abasement, nurturance, change, endurance, needs exhibition, autonomy.
2. There were significant differences among the bright and the dull students as regards socio-economic status of their families.
3. Bright children belonging to the upper and lower socio-economic groups differed significantly from each other on need interception and need order.

Ara, N Parents (1986) : "Personality childrearing attitudes and their children's personality ", An inter co-relational Study. Ph.D. Psy. Bhagalpur U. 1986. Forth Survey of Research in Education 1983-88 Volume –I.

Findings

1. A father's protective attitude generated aggression in boys while a mother's neglecting attitude generated aggression in girls.
2. A Father's permissive attitude created authoritarianism in sons and daughters. A father's loving attitude also created authoritarianism in daughters while a mother's protective attitude created authoritarianism in sons.

3. Extraverted boys had loving fathers and mothers while extraverted girls had permissive mothers. Neurotic girls had rejecting fathers.

Jantli, R.T. (1988) - "Relationship between teacher behaviour, purel personality and pupil growth outcome"., Ph.D. Education (Survey Book-V, Part 2, page 386.)

Findings

Explored the interrelationships between teacher behaviour, pupil personality and the pupil growth outcome.

चैपरिंक पिंग वे पेज (1989) - ''ताइवान के कामकाजी एवं घरेलू महिलाओं के बच्चों का व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन''।

निष्कर्ष

कामकाजी होने के कारण महिलाओं के बच्चों का व्यक्तित्व उभयमुखी व बहिर्मुखी तथा घरेलू महिलाओं के बच्चों का व्यक्तित्व उभयमुखी व अंतर्मुखी पाया गया।

Franke Patericia Wood. Nov. 2007.: "Female Secondary school education personality awareness in related stress." : Uni. Of So. Africa stu, No. 555-039-4.

Finding

The empirical findings of this study suggested that education stess was caused by many different such as inadequate working conditions and leadership styles little participation in decision making and distribution to task-high work hoard and long working hour's, role ambiguity and role overlord, constant change and demands of the national curriculum and syllabus change, assessment, inclusive education class problems and adaptation to hodays learness, criticism from purents and professional distress, which more all discussed in section 5.42.

Wood Patricial Frauke (November 2007) : "Female secondary school educator's personality Awareness in relation to work related stress." The degree of master of Education with specialization in guidance and counseling (at the University of south Africa).

Finding

The research found that when female secondary school educations were a were of their personality as well as those of other' they were able to use this insight to understand why certain situations induced stress and how this affected personalities.

Billy Habert (June 2010): "Power at work: Understanding positionality and gender dynamies in the debetes of women's Empowerment."

This paper was originally prepared for a workshop for the woman's Empowerment in muslim contexts:

Finding

The study power inspired by vaneklasen and miller's (2002) earlier theorizing. The model here proposed emphasizes the ideological and material conditions governing structural Power' and charts its influence on the contexts in which 'Power to' and 'Power Over' can be exhibited'.

महतो दशरथ (2010-2011) - ''रॉची जिले के स्नातक स्तर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन।'' डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) एम.फिल. (छात्रा)।

निष्कर्ष

1. रॉची जिले के स्नातक स्तर के ग्रामीण एवं शहरी महाविद्यालय के विद्यार्थियों के बहिर्मुखी व्यक्तित्व में सार्थक अंतर नहीं है। इसका कारण है कि समाज का शहरी से जुड़ना।
2. रॉची जिले के स्नातक स्तर के ग्रामीण महाविद्यालय के छात्रों में शहरी महाविद्यालय के छात्रों की हर तरह अंतर्मुखी व्यक्तित्व पाये जाते है। जिसका कारण ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालय में शहरी क्षेत्र की तुलना में संसाधन का आभाव।
3. रॉची जिले के स्नातक स्तर के ग्रामीण महाविद्यालय के विद्यार्थियों की तरह ही सकारात्मक और अनुकूलन व्यक्तित्व होता है। क्योंकि हाल के वर्षों में ग्रामीण महाविद्यालयों में भी शहरी महाविद्यालय की तरह सुविधाएँ प्रदान की जाती है।

Wood Dhillip K. - "The influence of personality traits, pre college characteristics and co-curricular experiences on college out comes"., (www.myresearch.com)

Findings

1. Personality traits one a relatively small deiced - effect on college outcomes of Gpa and measures of critical thinking. How ever, personality has relatively larger impact on students engagement in co-curricular activities in turn influence academic outcomes directly.

2. The effect of students personality traits on students cognitive outcomes were statistically significant even after controlling for pre-college characteristics.

2.4.2 समायोजन से संबंधित शोध साहित्य

Scatt, L.H (1941) : "Parent Adolescent Adjustment, its measurement and significance" character and personality - X, 1941.

निष्कर्ष

वे किशोर जो अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन में कठिनाई का अनुभव कर रहे है, वे अधिकतर ऐसे बालकों में से थे, जिनका अपने माता-पिता से संतोषजनक संबंध नहीं था।

Khan, M.A. (1976) : "Deprivation on personality Adjustment (with special reference to Denitrified Tribes of U.P.) ," Ph.D. Psy. Agra U. 1976. Forth Survey of Research in Education 1983-88 Volume –I.

Findings

1. There was a significant differential effect of parental deprivation on the level of Adjustment.
2. There was no significant difference in respect of levels of Adjustment between the partially and fully deprived children.
3. Parental deprivation had a differential effect on the achievement of students.

Kumar, K. (1980) : "Some personality correlates of academic adjustment" Ph.D. Bih. U. 1980. Forth Survey of Research in Education 1983-88 Volume –I

Findings

1. The AAI was sufficiently reliable and valid for measuring academic adjustment of college students.
2. The AAI was capable of yielding six area scores and on composite score (Inventory score).
3. The academic adjustment of the female students was significantly much better than that of the male students.

Bhatia, K. T. (1984) : "The Emotional personal and social problems of adjustment of adolescents", Under-India conditions with special

reference to values of life. Ph.D. Edu. Bom. U. 1984. Forth Survey of Research in Education 1983-88 Volume –I.

Findings

1. Adolescents were sometimes treated like adults and sometimes like children.
2. The girls were more liable to be treated like children, and were not quanted the freedom of thought and behaviour due to an adult.
3. It was found that family atmosphere was more tense and unhappy for girls in the India environment.

जैन, एम. (**1990**) ने समायोजन कुण्ठा तथा कामकाजी तथा घरेलू माताओं के बालकों के आकांक्षा स्तर की प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया।

निष्कर्ष

1. सभी चरों के उच्च एवं निम्न स्तरों में पर्याप्त अंतर देखा गया।
2. माताओं के शिक्षा का स्तर समायोजन, कुण्ठा तथा आकांक्षा स्तर से प्रभावित पाया गया।

Binda (**2006**) ने संवेगात्मक बुद्धि के सृजनशीलता एवं कुसमायोजन (Maladjustment) पर पड़ने वाले प्रभाव को ज्ञात करने के लिए यह अध्ययन किया।

निष्कर्ष

संवेगात्मक बुद्धि में सुदृढ़ता आने से कुसमायोजन कम होता दिखाई दिया। जबकि सृजनशीलता में सार्थक वृद्धि दिखाई दी।

Usha, P. (2007) : "Emotional Adjustment and family acceptance of the child : correlates for Achievement.", Education tracks, Vol. Co. No. 10.

Findings

1. A positive significant correlation with achievement in mathematics for the total sample and subject sample.
2. Boys and Girls differ in their famility accectionce and achievement but not in their educational adjustment.

3. Rural and Urban pupils differ significantly in their emotional adjustment, family acceptance and achievement in acceptance of the child are effective factors contributing to academic achievement.

चंदानी मेहर गीता (2008-2009) - ''उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता पर उनके लिंग व शाला क्षेत्र के प्रभाव का अध्ययन (दुर्ग जिले के संदर्भ में)'', डॉ. सी.वी. रामन् विवविद्यालय कोटा, बिलासपुर (छ.ग.), एम.फिल. (छात्रा)।

निष्कर्ष

1. शहर व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के आज भी लड़कों को प्रधान दी जाती है तथा लड़कों की इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। अभिभावक अशिक्षित होने के कारण लड़के व लड़कियों में अंतर करते हैं, जिससे दोनों की समायोजन क्षमता में अंतर पाया गया।
2. ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों का आकांक्षा स्तर इच्छायें शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की अपेक्षा कम होती है, जिस कारण ग्रामीण शाला क्षेत्र के विद्यार्थियों की समायोजन होने में कठिनाई नहीं होती है। अतः उनकी समायोजन क्षमता शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है।
3. छात्रों में छात्राओं की अपेक्षा संवेगात्मक समायोजन क्षमता स्थिर पाई जाती है। इस कारण छात्रों में छात्राओं की अपेक्षा संवेगात्मक क्षमता अधिक पायी गयी।

ताम्रकार मनीाा (2008-2009) - ''भिलाई नगर के विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आने वाले विशेष विद्यालय के बालकों के सामाजिक समायोजन का अध्ययन।'' डॉ. सी.वी. रामन् विवविद्यालय कोटा, बिलासपुर (छ.ग.), एम.फिल. (छात्र)।

निष्कर्ष

1. शारीरिक रूप से विकलांग बालक व बालिकाओं के सामाजिक समायोजन में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
2. मनसिक रूप से विकलांग बालक एवं बालिकाओं के सामाजिक समायोजन में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
3. मुकबधिर (श्रवण बाधित) विकलांग बालक एवं बालिकाओं के समायोजन में सार्थक नहीं पाया गया।

बैरागी प्रीती (2009-2010) - ''बी.एड. प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों की समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन'', डॉ. सी.वी. रामन् विवविद्यालय कोटा, बिलासपुर (छ.ग.), एम.एड. (छात्रा)।

निष्कर्ष

1. निश्कर्ष यह पाया गया कि बी.एड. प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों की समायोजन स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। क्योंकि समाज में अपनी स्थिति को लेकर तनाव ग्रस्त होते है।
2. बी.एड. प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला शिक्षिकाओं की समायोजन स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। क्योंकि प्रशिक्षित महिला शिक्षक में घरेलू वातावरण तथा विद्यालय के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है।
3. बी.एड. प्रशिक्षित पुरुष एवं महिला शिक्षकों की समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया क्योंकि पुरुष एवं महिला शिक्षकों में शैक्षिक समानता एवं कार्य क्षमता का स्तर लगभग समान होता है।

सिंह, अरविंद (2009-2010) - ''किशोरावस्था के विद्यार्थियों में नैराश्य का समायोजन पर प्रभाव का विश्लेषात्मक अध्ययन'', डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय कोटा, बिलासपुर (छ.ग.), एम.फिल. (छात्र)।

निश्कर्ष

छात्र और छात्राओं में नैराय की तीव्रता अधिक है। इसका मुख्य कारण नहीं है कि किशोरावस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन से होता है, तीव्र संवेगात्मक स्थिति विचित्र होती है, जिससे नैराश्य से तिव्रता अधिक हेाती है। साथ ही सामाजिक परिस्थितियाँ, नैतिक आदर्श बंद हो जाता है, जो उनके सर्वांगीण विकास में बाधक है। अतः शिक्षा के उद्देश्य कहीं प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि नैराश्य के कारणों का पता लगाकर उनके सुधार के लिए समाधान किए जाये।

विद्या पाटिल (2010-2011) - ''किशोरावस्था के विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि एवं समायोजन पर एक अध्ययन।'' डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय कोटा, बिलासपुर (छ.ग.), एम.फिल. (छात्रा)।

निष्कर्ष

1. किशोरावस्था के विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि एवं समायोजन में सार्थक अंतर पाया गया।
2. इसमें निष्कर्श प्राप्त हुआ कि छात्रों की अपेक्षा छात्राएँ जल्दी समायोजन करती है।
3. छात्राएँ हर परिस्थिति में अपने आप को उसके अनुसार बना लेता है।

2.4.3 सशक्तिकरण से संबंधित शोध साहित्य

Sehgal Berendrapal Singh(1989) - Law, Woman and Population in India.

Finding :

The study examines on the issues related to women and marriage, women and family planning, education, employment and conclusion. They provide birth rates, population statistics, land area-population comparisons, women population census figures. Cites various laws of India relating to marriageable ages. It examines practices in various religions their impact on population. Discuses legal aspects of abortion, government policies, provisions of Indian penal code pertainingmiscarriages, concealing birth, abortion statistics, sterilization etc statistics. Author explores education influence on population statistically. Author analyses interaction of employment and population growth, legislations like factories act, ESIC act,maternity benefit act, thereby studying their impacton population growth. discrimination against women.

Abdelmagid M. Mazen (1990) - Suffolk University School of management U.S.A. Journal of vocational Behavior. Volume 37 issue 1. August 1990. "Personality profiles of women in traditional and notational occupations."

Findings :

Profile similarities and differences were used to describe women in these no college-degreed occupations and were related to the literature on personality and career management. Relevance of these findings to future research focusing on within- gender differences and cognitive perspectives was discussed.

Bisaria. S, studied (1991) - "Need based vocationalisation of education for girls" from NCERT (ERIC Funded) Problem - The study addresses the problem of vocationalisation of education of girls and need to develop need-based vocational courses suited to the requirements of girls with different accomplishments.

Finding :

1. The majority of the girls in the schools wanted to learn skills for self employment.
2. The majority of the out of school working girls wanted to have education so that they could do their own work without the help of intermediaries and with better skills.
3. The girls studying in the industrial training institutes had a desire to obtain proficiency in generating self employment and wanted training geared to that.

Das, Nin (1991) - studied about **'**the problems of enrolling women in adult education centers in Jaipur Sub-Division under NAEP at Utkal University**.**

Finding :

1. The majority of adult women (85%) felt discouraged on account of prevalent social problems like casteism and untouchability and conservative attitudes of communities, which gave them a sense of inferiority. These women belonged largely to schedule castes and schedule tribes groups, low down in socio economic scale, who also faced psychological barriers and personal problems leading to lack of motivation and interest.
2. It was found that 60% of centers had same common teaching aids like blackboard; chalk etc. and only 5% were equipped with new teaching aids like radio, maps, globes, projectors etc.

Jain, Ambika (1991) - a study on "Analysis and evaluation of the animators training camp for the education and empowerment of rural women conducted by IIE, 1988-1989.

Finding :

1. Ignorance amongst the rural women was found to be the dominant feature.

2. Awareness was generated amongst the women on health, nutrition, mother-child care, land regulations and legal rights for women through the programme.
3. Women developed self-confidence through the programme and felt that they should participate in community development programmes of the village and iv) They realized the importance of girls education.

Bhattacharya, Smritikana (1992) studied "The problems of scholastic backwardness of adolescent girl students in all around Calcutta in the University of Calcutta.

Finding :

1. Intelligence and academic achievement were positively related, the poorer the mental ability, the poorer was the scholastic achievement
2. Poor mental ability was not the only cause of scholastic backwardness, personalitycharacteristic such as extroversion, introversion, home and school factors like attitude towards the school, towards teachers, towards different subjects of study economic and educational condition of the parents affected the educational achievement of the students.
3. Absence of frequent assessment of class work was found to be another important reason that led very often to neglect and delayed action or no action at all.

Karl Marilee (1995) - Women and Empowerment Participation and Decision-making, Zed Books Ltd., London, 1995.

Findings :

Karl (1995) studied the role of SHGs of women on decision" making and concluded empowerment as a multifaceted process, involving the pooling of resources to achieve collective strength and countervailing power and entailing and the improvement of manual and technical skills, administrative, managerial and planning capacities and analytical reflective abilities of local women.

T. R. Gurumoorthy (2000) - 'Self Help Groups Empower Rural Women', Kurukshetra, February 2000, Vol. 48, No. 5, p. 36.

Findings :

Gurumoorthy (2000) pointed out that women's participation play a significant role in rural employment activities. The self-help would concentrate on all round development of the beneficiaries and their village as a whole. The groups would undertake the responsibility of delivering non-credit service such as literacy, health and environmental issues. The concept of Self-Help Group would mould women as responsible citizens of the country for achieving social and economic status. It has also proved that it would bring on the mind set of the conservative and tradition bound illiterate women in rural areas.

Vijay D. Kulkarni (2000) - 'Empowerment of Women through Self Help Groups', Ashwatha, Oct 2000" Jun 2001, Vol. 1, No. 4, pp. 32, 36.

Findings :

Vijay Kulkarni (2000) has described in his article "Empowerment of Women through Self-Help Groups" the difference between women who have become part of SHGs and those who are not members of the SHGs from the same village. Empowerment has taken place across caste/class. It has also helped to some extent to go beyond caste politics and to bring them together as women.

Harijeet Ahluwalia (2000) - 'Empowerment of Women : An Economic Agenda', Yojana**,** August 2000, Vol. 44, No. 8, p.33.

Finding :

Harjeet Ahlulwalia (2006) opines that women in India area mixed lot. Some are well in control of their destinies ; others depend to a large extent on their husbands or fathers and are denied even the freedom of thought. Somewhere along the line there are also women who actually run their house holds single handedly not because they are separated or widowed but because their men would have it so. This is a predominant feature of the below poverty-line families. The search for employment takes them away from home, leaving their children prey to neglect, hunger, disease and even exploitation. In extreme cases, women are even forced into prostitution. The answer may not lie in giving jobs to women, but it certainly eases their burdens if enough employment avenues were available closer to home, rational

training programmes conducted that can lead to assured incomes with flexibility in working hours, child-care centre set-up etc. Well kept conveniently located day-care homes, dedicated trainor bus services to commercial centres, more congenial work environment etc. are all major factors that can both encourage full time working women and increase their productivity levels.

Sunman Krishn Kant (2001) - 'Women's Empowerment and Mutual Cooperation in the Family', Social Welfare, April 2001, Vol. 48, No. 12, p.3.

Findings :

Suman Krishnan Kant (2001) opened that the process of women's empowerment is multidimensional. It enables women to realize their full potential and empowers them in all spheres of life. In India, women form a significant part of the labour force. However, their contribution remains invisible and unrecognized. Women account for 90 per cent of labour force in the informal sector, which is neither captured in the country's population census nor accounted in the National Accounts. The productive capacities of women, who constitute almost half of the population, remain unaccounted, thus, reinforcing their subordinate roles. It is estimated that nearly 1300 million persons in the world are poor and nearly two percent of them are women. Today as many as 30 to 35 percent rural house holds are women headed and their low incomes make them vulnerable to the extremes of poverty and its consequences.

Snehlata Tandon (2001) - 'Self-Help New Mantra for Empowerment', Social World, October 2001, Vol. 48, No. 23, p. 30.

Findings :

Self" Help Groups are encouraged to come together as cooperative societies at the village and mandal level by federating them under the mutually aided Cooperative Society Act (1995). These societies will be accessing credit from financial institutions, donor agencies, District Rural Development Agency (DRDA) and voluntary organisations and help the women members of the Self" Help Groups in availing bigger loans for economic activities as well as help in collective bargaining in the marketing of products, purchasing of raw material set. Due to this massive self" help movement, there is a perceptible improvement

in the socio" economic status of the rural women (SnehLata Tandom, 2001).

Despande Savita P. (2001) - studied "Status of educated schedule caste in their local socio-cultural life."

Finding :

The investigator investigates that the respondents enjoyed a perceived role related status in their family and community because of their education and employment. The extent of resistance put up by most SC parents against providing educational opportunities for the girl child was significantly less than in the past.

R.K. Ojha (2001), 'Self-Help Groups and Rural Employment', Yojana, May 2001, Vol. 45, p. 20.

Findings :

According to Ojha (2001) Self-Help Group model of self-employment generation seems to be a workable model. However, there will be need for utmost care in promotion of Self-Help Groups. Self-help promotion consists of assisting individuals to join together and setup an organisation promoting their individual and collective skills and opportunities to develop their own. Self-help promotion aims at generating self-sustainable growth processes within the course of which the target group makes its own decision.

R. Ojha (2001), 'Self Help Groups and Rural Employment', Yojana, May 2001, Vol. 45, pp. 20, 23.

Findings :

Ojha (2001) in his article "Self Help Groups and Rural Employment" has expressed that the self help group model of self-employment generation seems to be a workable model. However, there will be need for utmost care in promotion of self help groups. He has also mentioned that there are number of possible routes to the promotion of self employment and strengthening self-help groups is one of them.

Bharat Dogra (2002) - 'Women Self Help Groups', Kurukshetra, March 2002, Vol. 50, No. 5, pp. 40, 42.

Findings :

Bharat Dogra (2002) has presented in his article "Women Self Help Groups" that almost all these women are from poor families, mostly from dalits and backward classes ; while the increase in income is important,

it is not the only aspect of these SHGs which is emphasized. Several existing problems of villages and ways of overcoming them are also discussed. It is important for the long" term success of Self Help Groups that loans should be returned promptly.

Pandey, Sushma & Singh, Ramya (2003) - revealed "women empowerment and future orientation in family planning behavior."

Finding :

A close interrelationship was observed between women empowerment, future orientation, family planning attitude, behavior and health status.

Sandhya Rani, G.R. & Suguna, B. (2003) - worked on "Non-formal education- An instrument for the development of women."

Finding :

They found from their studies that education helps women not only to raise their economic status in the society through vocational training courses, but also encourages them to be involved in decision making process, to fight for their rights as well as to revolt against evils and exploitations both at home and outside.

Mukherjee, Mukul (2004) - in his Article **"**women and works in the shadow of globalization in Indian" Journal of Gender Studies.

Finding :

reveals that women usually bear a significantly high share of the costs of economic change and adjustment associated with globalization and concludes that before they can take advantage of the newly emerging economic opportunities, women have overcome the constrains they face in accessing credit skill markets and other necessary resources.

Sharma, Santosh (2004) - Psuedo Gender Equality and the Empowerment of women,

Finding :

1. There is urgent need for women's education, though it is a basic human right.
2. Women are in fact a vital part of human resource ofa country.
3. Education is the most effective instrument to channelize these resources for the national development.

4. Education is considered a key instrument for this change to abolish thisevil of gender discrimination.
5. Education liberates from ignorance and enhances her self-esteem.

S. Bhagyalakshmi (2004) - 'Women's Empowerment : Miles to Go', Yojana, August 2004, Vol. 48, pp. 38, 41.

Findings :

Bhagyalakshmi (2004) in her study stresses the need for sharpening women's empowering strategies to make them effective and results oriented. She pointed out that money earned by poor women is more likely to be spent on the basic needs of life than that by men and that this realization would bring women as the focus of development efforts. She also examines the advantages of organizing women groups thereby creating a new sense of dignity and confidence to tackle their problems with a sense of solid arity and to work together for the cause of economics independence.

G. S. Kala (2004) - 'Economic Empowerment of Women through Self Help Groups', Kisan World, November 2004, pp. 264 - 266**.**

Findings :

Kala (2004) has mentioned in her article 'Economic Empowerment of Women through SHGs' that amongst all the states, Tamil Nadu has the fourth highest percentage of female headed house holds in the country. The Tamil Nadu Women Development Project (TNWDP) taken up for implementation under the name of 'Mahalir Thittam' covered about 10 lakhs poor women of the State in the year 1997-98. Women SHGs share was 78% in March 1998. She has also stated that men SHGs accounted for 40% or more in only six States, viz. Karnataka, Gujarat, Rajasthan, Haryana, Madhya Pradesh and Meghalaya.

M. Sheik Mohammed (2004) - 'Self Help Group for the Success of Women Entrepreneurs', Kisan World, March 2004, Vol. 31, No. 3, pp. 30-31.

Findings :

Sheik Mohamed (2004) has mentioned in his article, 'Self Help Groups for the Success of Women Entrepreneurs' that women are contributing significantly in modern business and commercial world in their own way. Working women can be classified into different categories like women entrepreneurs, highly qualified professionals,

employees in the organized private and public sectors and women workers in unorganized sector. He has also explained that transforming the prevailing social discrimination against women must become the top priority and must happen concurrently with increased direct action to rapidly improve the socials and economic status of women.

P. Sorubarani and G. Thenmozhi (2004) - 'Self Help Groups: Gateway to Women Empowerment', Cooperation, December 2004, pp. 10-12.

Findings :

Sorubarani and Thenmozhi (2004) in their article, 'Self Help Groups : Gateway to Women Empowerment' have described that the RBI issued instructions to commercial banks regarding establishment of linkages by them directly with NGOs and SHGs. They have also disclosed that the basic principles on which SHGs function are group approach, mutual trust, organization of poor, manageable small groups, group cohesiveness, demand based lending, collateral free women friendly loan, peer group pressure in repayment, skill training, capacity building and empowerments.

Eelavathy (2004). 'SHG is a Cream Layer for Women's Social Status', Proceedings of National Level Symposium on Self Help Group : A Silent Revolution, Arulmigu Palaniandavar Arts College for Women, Palani, March 2004.

Findings :

Leelavathy (2004) : has expressed in her paper, 'SHG is a creamy layer for Women's social status' that the SHGs remove the curse of money lenders. SHGs are the ladder for upliftment of the down-trodden economically and socially.

She has also pointed out that the SHGs are taking up construction work for their hamlets like laying of roads, closing down of liquorshops, contributing to there habilitation works and management of their village affairs.

Prema Parande (2005) - 'Economic Empowerment of Women', Southern Economist, March 2005, Vol. 43, No. 21, p.7.

Findings :

According to Prema Parande (2005), empowerment is an active process of enabling women to realize their identity, potentiality

and power in all spheres of their lives. There are several indicators such as participation in crucial decision-making process, ability to prevent violence, self-confidence and self-esteem, improved health and nutrition conditions and at the community level, existence of women's organisation, increased number of women in designing development tools and application of appropriate technology etc. Improvement in economic status is a more visible indicator of women empowerment. There are several factors that affect empowerment of women, for instance education research document, campaigns and networking training, conscious raising campaign, mind-full media, drawings, on burning issues, etc. are all important means of empowerment yet, in particular education and training are very effective means but also sustain empowerments process in the long run.

Fredrick (2005). 'SHGs Gateway to Success for Rural Women Entrepreneurs', Kisan World, September 2005, Vol. 32, No. 9, p. 60.

Findings :

As women receive better education and training, they earn more money an as the economic status of women improves they gain greater social standing in the house hold and the village and will have greater voice. As women's economic power grows it is easier to overcome the tradition of 'son preference' and also put an end to the evil of dowry. According to the annual report of the Ministry of Rural Development, 11.45 lakh of SHGs have been formed in India so far. 118413 SHG exist in Tamil Nadu with 2326973 members in its fold (Fredrick, 2005).

Velu Suresh Kumar (2005), 'Women Empowerment: Success through Self Help Groups', Kisan World, November 2005, Vol. 32, No. 11, p. 31.

Findings :

Velu Suresh Kumar (2005) has mentioned in his article, 'Women Empowerment Success through Self Help Groups', that apart from financial aspects, it also becomes a platform for exchanging ideas regarding prevention of AIDS, dowry, nutrition, marital laws, literacy, sanitation, children rearing etc. He has also pointed out that leadership qualities developed through SHG meetings have seen 2500 women becoming presidents or members of panchayats and local bodies in the State.

B. Suguna (2006) - Empowerment of Rural Women through Self-Help Groups, Discovery Publishing House, New Delhi, 2006, p. 73.

Finding :

Suguna (2006) has pointed out Mahatma Gandhi's words, "Woman is the companion of man, gifted with equal mental capacities, she has the right to participate in the activities of man and she has the same right, freedom and liberty as he, she is entitled to a supreme place in her own place in her own sphere of activity as man is in bias."

A. Sakkunthalai and Ramakrishnan, (2006) - 'Socio" economic Empowerment of Women', Kisan World, July 2006, Vol. 33, No. 7, p. 31.

Findings :

Sakunthalai and Ramakrishnan (2006) the concept of SHG is catch in gupas the most viable means to empower women, especially at the grass" root level. Women have shown extraordinary dynamism in organizing themselves in group activities for income generation; better bargaining power and improvement in the quality of life. Some advantages through Self-Help Groups in the villages and in the community are inculcation of the spirit of Self-Help, collective action for development, women begin to form similar group seeing the success of the other SHGs, family welfare through social awareness women, enhanced social status from secondary to primary, economic independence, voicing and acting against social in justices, problem solving ability and incrseased consciousness.

Janaki, D. (2006) - in his study "Empowerment of women through Education : 150 years of University Education in India.

Finding :

Education will be used as an agentof basic change in the status of women. The concept of equality, opportunity and education touches every aspect of women's lives social, political and economic.

Begum Mustiary, (2006) -worked on "Women Entrepreneurship in India; Challenges and Strategies.

Finding :

with changing times and change in cultural norms, increase literacy, industrialization, social and occupational mobility influenced the women to enter into the field of entrepreneurship. There is no denyingthe fact that women have made considerable progress in the last fifty years but yet they have to struggle against many handicaps and social evils in the male dominated society.

Dhamija. Neelam, (2006) - studied on "Women Empowerment through Education: Role of Universities."

Finding :

From the study it was revealed that educating women benefits the whole society and on the basis of this education they enjoy their status in our society. It has a more significant impact on poverty and development than men's education. It is also one of the most influential factors in improving child health and reducing infant mortality.

Ahmed Nabi and Siddiqui Mohd Abid, (2006)- "Empowerment of socio-economically weaker sections through Education; Commitments and Challenges."

Finding :

urban women belonging to educated classes and the higher socio-economic groups enjoys more psychological secure and status rather than the girls belonging to the urban slums and rural and remote areas continue to lag behind or even deprived to receive primary and secondary education.

G. Sandhya (2006) -'Promoting Micro" entrepreneurshipf or Women's Development', Southern Economist, May 2006, Vol. 45, No. 1, p. 45.

Finding :

Sandhya Rani (2006) says that the Indian economy needs to generate a large number of jobs in the decentralized rural non-farm sector. The rural economy in recent years has been showing clear positive signs for the micro-enterprise opportunity especially for women. The prospects of micro" entrepreneurship are many in a few sub"sectors such as trade, transport, construction and service. Availability of micro-credit helps SHG women a lot and many women come forward and establish micro" enterprises. At present a good number of NGOs and financial institutions have been offering micro" finance especially to women micro" entrepreneurs. The micro" finance assistance from banks, NABARD and financial institutions like SFCs has been encouraging women to start micro" enterprises. As a result micro entrepreneurship

is gradually growing importance among the jobless particularly among the educated and uneducated urban and rural women.

N'Drit, Assie- Lumumba Jun (2006) - "Empowerment of women in higher Education in Africa: The role and mission of research".

Research center Cornell University Ithaca, New York USA. Unesco form occasional Paper series paper no.11.

Finding :

In sipte of the assumed and commonly agreed scientific impartiality in scientific inquilty and the application of the rules of methods the resplective life journeys, experiential trajectories and perspectives of the researchers in inform theier choices of what they consider the most appoprlate date and the methods for data collection and analysis -

1. This is the result of unwelcoming institutional settings of higher Education institutions, their disaliminatory policies and especially practices
2. African countries can achieve Major results in promoting educational development and expansion and equal opportunity.

Rachel Hertz (2007) - "Mother's as educators: the empowerment of rural Muslim women in Israel and their role in advancing the literacy development of their children"

The Uni of Haifa West Galilee Collage in Europ. 2007, Vol. 1 No. 0, 271-282.

Finding :

Indicate that the SFA-AIASH Programs elevated the student's achievements the teacher's evaluations of their students academic Achievements correspond with the mother's involvement in the SFP and their active academic and social interactions with their children at Home.

Agu, stella July (2007) - "Gender Equality, Education and women Empowerment: The NIGERIAN Challenge." Multidisciplinary. Journal of Research Development volume 8 No=2, July 2007.

Finding :

1. It can also be safe to conclude that the upper primary classes and secondary schools contribute the greater dropout rate among girls.
2. The percentage could even be higher in the states where women education has remained problematic.

3. If women must contribute to development in the needed areas and levels they must be encouraged to remain in school long enough to acquire the necessary skills to effective contributions.

Usha Rao (2007) - Women in a Developing Society, Ashish Publishing House, New Delhi, 2007.

Finding :

According to Usha Rao (2007) women form an important segment of the labour force and economic role played by them cannot be is olated from the total framework of development as the role and degree of integration of women in economic development is always an indicator of economic in dependence and socials status.

G. Bimlasen (2007) - Women Power: The Changing Scenario, Better Books, Panchakula, 2007, pp. 121-129.

Finding :

Bimlasen (2007) mentions that the empowerment is an active process of enabling women to realize their identity, potentiality and power in all spheres of their lives. There are several indicators of employment. At the industrial level, participation in crucial decision-making process, ability to prevent violence, self"confidence and self-esteem, improved health and nutrition conditions and at the community level, existence of women' sorganisation.

Graham Murphy Erin (2008) - "Opening the black box : Women's Empowerment and innovative secondary education in Honduras." University of California, Brkeley, USA. (Vol. 20, No.1, January 2008, 31-50.

Finding :

My findings suggest that we must not equate empowerment with one's years of schooling. Rather, we must look critically at whether students aurally dreanl something, if their self-confidence grows, and if they learn to challenge instead of accept traditional gender roles.

Mukhopadhyay, Haimanti (November 2008) : "The Role of Education in the Empowerment of women in a district of west Bangal India: Reflections on a survey of women". Journal of International women's studies, Vol. 10, 2 November 2008.

Finding :

Women face discrimination within families as well as in society, where society maintains double standards in the case of education, Marriage, spousal relationships domestic violence, laws of patriarchal society, property laws, dowry system, sexual morality, sexual harassment as well as discriminatory social stigma and also less recognition and respect for women's work.

Indira Misra (2008) - 'Towards Empowerment of women through Rural Entrepreneurship', Indian Journal of Public Administration, October 2008, Vol. 43, No. 54, p. 933.

Finding :

While focusing on the definition of entrepreneurship, Indira Misra moves on to incorporate some basic factors like openness to entrepreneurship, balancing business attractions, willing nesstoin vest, thinking bey on d town borders etc. which would berequired by the rural community to lookin to an didentify platform sand opportunities either inherently available or which need to be developed to encourage entrepreneurship. It touches upon the fact that to promote rural development, entrepreneurship was seen as a strategic development intervention that could acce lerateth eruraldevel opment process. Itispointed out that in stitution sand individuals seem to agree on the urgent need to promoterural enterprises.

Shobha (2008) - 'Problems of self "Employment of Women: AnAnalaysis', Southern Economist, 2008, Vol. 47, No. 6, pp. 24-26.

Finding :

Shobha (2008) has evaluated the problems of self"employed women. The study took 400 self-employed women as sample from Coimbatore Municipal Corporation limit and used scaling technique. The study has concluded that the problems faced by the beneficiaries of Prime Minister's Rozgar Yojana are less severe than non-beneficiaries.

Gudaganavar Nagaraj, and S. Gudaganavar Rajashri (2008) - 'Empowerment of Rural Women Through SHG', Southern Economist, Vol. 47, No. 19, pp. 35-37.

Finding :

Gudaganavar Nagarajand Gudaganavar Rajashri (2008) have examined the empowerment of rural women through SHG. They highlight

the progress of SHGs in India from 1992"93 to 2006"07. They have also hi gh lighted the region" wise progress of SHG sand employment of women through SHGs. They conclude that nodevelopment is possible with out empowerment of women.

A. Sankaran (2009) - 'Trendsand Problems of Rural Women Entrepreneurs in India;, Southern Economist, 2009, Vol. 48, No. 4, pp. 11-12.

Finding :

Sankaran (2009) has made a study on the trends and problems of rural women entrepreneurs in India. The study highlights the conceptual as pects of trendsand problem so frural women entrepreneurs in India. Itconcludes that women have creative ability, easya daptability and ability to cope with set backs.

NCSW Report (2009) - National Perspective Plan for Women, Government of India, Ministry of Human Resource Development, New Delhi, p.119

Finding :

NCSW Report (2009) states that Self-Help Group shave taken the form of a movement for women especially rural women's socialand economic aldevelopment. SHG shavearisen out of the perceived problems of women' slack of access to resourcesat both the house hold and the village level. in the past 20 year, Self"Help Groups have become significant institutions for rural development in India.This has been particularly truein the case of poor women.

D. H. Mahamood Khan and G. M. Dinesh (2010) - 'Role of Women in Panchayat RajInstitutions', Southern Economist, February 2010, Vol. 48, No.20, pp. 5-8.

Finding :

Mahamood Khan and Dinesh (2010) analysed that the participation of women are only within the PR Iinname, but in reality, itis male family members who hold the power. Views on improving women's participation, education, and training for women members, public and family encouragement, government encouragement through provision of more powers of funds, and seats for women, and make their attendance in theme etings compulsory.

Ali. Sophia J. (2011) - made a study on **"**Challenges facing women employees in career development: A focus on Kapsabet Municipality, Kenya".

Finding :

gender balance was given a chance; examine the challenges facing women in career development and establish the best practices on gender equality. The study found that promotion among women was low and training for women employees was minimal. Most women employees were dissatisfied with career development programmes and women were discriminated against in career development opportunities.

Das Jonali (2011) - made a study on "women empowerment and tribal community".

Finding :

From the study it was found that- i) to achieve the goal of universal primary education as early as possible. ii) In tribal areas girls schools and girls colleges should be promoted. iii) In every schools and colleges especially which are in rural areas, toilet with proper facilities for ladies should be provided.

Hazarika, Himadri & Devi, Runusri (2011) - made a study on "Problems of Girl's education at secondary level under Sipajhar Block with special reference to Darrang District".

Finding :

The findings of the study were-

1. Economic backwardness, illiteracy and ignorance effect the education of girls.
. Girls are engaged in household work.
3. 20% of the families unable to bear the expenditure of their girls.
4. Parents education and guidance are important factor for educating girls as the study reveals. 20% parents are unable to give proper guidance.

Waseem Syed, A. Ashraf and Ahmad Ayaz (April 2012) - "Muslim women Education and Empowerment in rural Aligarh (A Case Study)." International Journal of scientific and Research publications, volume 2, Issue 4, April 2012.

Finding :

Most of the Muslim women are house wife besides working as agricultural, labourer in their own fields. A Muslim women is by end large confine to indoor activities, their opinions and suggestion are not taken into consideration even for some serious families matter. A women being a mother and a housewife is also expected to look after the domestic works that includes also the cattle feeding etc.

अध्याय-3
शोध अभिकल्प

3.1 शोध अभिकल्प

सामाजिक शोध में शोध डिजाइन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान में शोध डिजाइन ''अनुसंधान डिजाइन'' एक शोधकर्ता, एक प्रश्न या सवालों का एक सेट जवाब देने के लिए एक साथ एक शोध अध्ययन को कैसे करना है दर्शाता है। अनुसंधान डिजाइन रूपरेखा एक व्यवस्थित योजना के रूप में काम करता है। संकलन, शोधकर्ताओं के अध्ययन अपने निष्कर्ष पर पहुँच जाए तथा अनुसंधान का विवरण, सीमाओं, अनुसंधान अभिकल्प की सीमा सीमित नहीं है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विश्लेषण शामिल हो सकता है।

मानव जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। इसी जिज्ञासा के कारण वह होने वाली घटनाओं तथा वस्तुओं को कौतुहल बस देखता है तथा उसे जानने का प्रयास करता है। वह उस विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। उसी ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उसे अनुसंधान की राह चलने के लिए प्रेरित करती है और उसके द्वारा सत्य को प्राप्त किया जा सकता है।

अनुसंधान प्रक्रिया, केवल समस्या को चयन करने से संबंधित साहित्य का संकलन करने, उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं का निर्धारण करने की क्रिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान के प्रश्नों का सहीं उत्तर हल ढूंढने की क्रिया भी उसमें सम्मिलित है। अनुसंधान तभी वैज्ञानिक मानी जावेगी जब उसे अधिक से अधिक नियंत्रित किया जाये। वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्रम में शोध अभिकल्प

की रचना अत्यंत आवश्यक होती है। वास्तव में शोध अभिकल्प की रचना के कई उद्देश्य होते हैं, जिसमें मुख्यतः दो मूल उद्देश्य है।

शोध की रूपरेखा नियोजन को शोध अभिकल्प कहते है। इसके अंतर्गत शोध विधि प्रतिदर्श उसका आकार प्रदत्तों का संकलन तथा प्रदत्तों की सांख्यिकीय विश्लेषण प्रविधि आदि का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार शोध प्रारूप के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को प्रविधियों को सम्मिलित किया जाता है, जिनकी सहायता से अनुसंधान के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। शोध कार्य प्रारंभ करने के पूर्व उसमें प्रारूप का नियोजन किया जाता है। किसी भी शैक्षिक शोध हेतु सर्वप्रथम उस अध्ययन की योजना का निर्माण करना होता है। योजना निर्माण के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण चरण होते हैं, जैसे अध्ययन विधि, न्यादर्श, जनसंख्या, प्रयुक्त उपकरण, प्रदत्तों का संकलन आदि तथा इन्हीं चरणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है।

करलिंग के अनुसार

''शोध अभिकल्प नियोजित अन्वेषण की एक ऐसी योजना, संरचना एवं व्यूह रचना होती है, जिसके आधार पर अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किये जाते हैं और प्रसरण पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है।''

अनुसंधान प्रक्रिया केवल समस्या का चयन करने संबंधित साहित्य का संकलन करने परिकल्पना का निर्धारण करने आदि तक ही सीमित नहीं बल्कि अनुसंधान के प्रश्नों का सही हल ढूंढने एवं अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान उठने वाले प्रश्नों के निराकरण की प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि अनुसंधान के पद या चरण पर योजनानुसार नियंत्रण भी रहे। इसके अंतर्गत अनुसंधान की समस्त कार्य योजना आती है, जिसमें लेखन से लेकर तथ्यों के विश्लेषण तथा निष्कर्ष आदि सभी बातें सम्मिलित है।

3.2 शोध विधि

किसी भी शोध कार्य में सत्यान्वेषण को निर्मित करना होता है। शोध विधि अनुसंधान क्रिया को परिचालित करने का एक ढंग है, जो समस्या की प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। वर्तमान में मानव ने अपनी समस्याओं के समाधान में

उपक्रम के अनेक विधियों को विकसित किया है। इन विधियों में से उपयुक्त विधि का चयन समस्या की प्रकृति एवं उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के प्रभाव का अध्ययन करना है और समस्या की प्रकृति के आधार पर ''सर्वेक्षण विधि'' का प्रयोग करना उचित पाया, क्योंकि सर्वेक्षण विधि वर्तमान प्रयासों से संबंधित है, जो अनुसंधान के अंतर्गत घटना तथा स्थिति को निर्धारित करती है।

सर्वेक्षण विधि का अर्थ -

सर्वे करना अर्थात् जब किसी निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर उसके विषय में विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे सर्वेक्षण विधि कहते है।

करलिंगर 1986 के अनुसार -

सर्वे शोध में छोटे एवं बड़े जीव संख्या का अध्ययन उसी जीव संख्याओं से प्रतिदर्श का चयन करके किया जाता है ताकि समाजशास्त्रीय चरों तथा मनोवैज्ञानिक चरों के तुलनात्मक आयतन, वितरण एवं अंतर-संबंधों की खोज की जा सके।

3.3 जनसंख्या

जनसंख्या का तात्पर्य अध्ययन से संबंधित संपूर्ण इकाईयों से होता है। दूसरे शब्दों में इकाईयों के समूचे समूह को जिसके गुण, विशेषता या अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जनसंख्या कहते हैं।

व्यवहारपरक शोध चाहे प्रयोगात्मक हो या अप्रयोगात्मक हो, उसमें एक जनसंख्या से चुने गये कुछ पंक्तियों या वस्तुओं के आधार पर शोधकर्ता एक अनुमान या निष्कर्ष पर पहुँचता है। जनसंख्या या जिसे समग्र भी कहा जाता है। इससे तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं से होता है, जिसे शोधकर्ता अपने शोध के संदर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है तथा उसकी पहचान करके रखता है।

''जनसंख्या तथा समष्टि का अर्थ व्यक्तियों, घटनाओं या वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह के सभी सदस्य से है।''

-करलिंग

अनुसंधानकर्ता की रूचि की एक या अधिक समान विशेषता रखने वाली इकाईयों समूह को जनसंख्या कहते हैं।

- जॉन डब्ल्यू. बेस्ट

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा बिलासपुर जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पढ़ने वाले मुस्लिम किशोरियों को समग्र (जनसंख्या) में लिया गया है।

छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या - 25540196 - 2011
बिलासपुर की कुल जनसंख्या - 2663629 - 2011
बिलासपुर की पुरुष जनसंख्या - 1351574
बिलासपुर की महिला जनसंख्या - 1312055
बिलासपुर की कुल लिंग अनुपात - 1000 बालक पर 961 बालिका
बिलासपुर की कुल मुस्लिम जनसंख्या - 45342

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा बिलासपुर जिले के ब्लॉकों के अनुसार कुल स्कूलों को लिया गया है जिसमें

क्र.	ब्लॉक	शासकीय हाई स्कूल	अशासकीय हाई स्कूल	कुल	शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल	अशासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल	कुल
1.	बिल्हा	10	21	31	23	51	74
2.	मस्तूरी	3	3	6	14	5	19
3.	कोटा	5	4	9	12	1	13
4.	तखतपुर	5	1	6	6	3	9
5.	गौरेला	0	0	0	7	1	8
6.	पेण्ड्रा	3	2	5	4	0	4
7.	मरवाही	5	0	5	6	1	7
	कुल	**31**	**31**	**62**	**72**	**62**	**134**

इन ब्लॉकों के शहरी एवं ग्रामीण विद्यालय के मुस्लिम किशोरियों को लिया गया है।

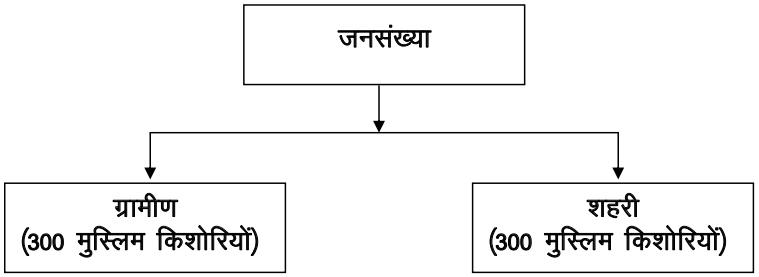

3.4 न्यादर्श

प्रतिदर्श का अनुसंधान और सर्वेक्षण में विशिष्ट महत्व है। यह अनुसंधान और सर्वेक्षण की आधारशिला है। इसी सुदृढ़ता के आधार पर ही सर्वेक्षण और अनुसंधान के परिणामों की विश्वसनीयता, वैधता और शुद्धता बढ़ जाती है। प्रतिदर्श एक विस्तृत समूह का एक लघु अंश होता है। जिसमें समूह की सभी विशेषताएँ या गुण विद्यमान होते है। प्रतिदर्श में किसी संपूर्ण समूह का अध्ययन करने के स्थान पर उसके एक उपयोगी भाग का अध्ययन किया जाता है, जिससे सभी आवश्यक सूचनायें प्राप्त हो जाने की संभावना रहती है।

प्रतिदर्श समग्र या संपूर्ण के एक ऐसे लघु अंश को कहते है, जो उस संपूर्ण या समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें समग्र की समस्त मौलिक विशेषता उपस्थित रहती है। प्रतिदर्श की सुविधा उपलब्ध होने के कारण विस्तृत अध्ययन की समस्या से मुक्ति मिल जाती है और इससे अध्ययन की गंभीरता पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार प्रतिदर्श कुछ ही इकाइयों के अवलोकन द्वारा संपूर्ण इकाइयों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की युक्ति है। दैनिक जीवन में जब कोई सामान अधिक मात्रा या संख्या में किया जाता है तो पहले उसका नमूना देखा जाता है। यह नमूना ही प्रतिदर्श होता है।

''एक प्रतिदर्श, जैसा कि इसके नाम से प्रकट है विस्तृत समूह का लघु प्रतिनिधि है।''

- गुडे और हाट

''एक सांख्यिकीय प्रतिदर्श उस समग्र या पूर्ण का एक अति लघु रूप है, जिसमें से इसे प्राप्त किया गया है।''

- श्रीमती पी.वी. यंग

प्रतिदर्श/न्यादर्श दो प्रकार का हो सकता है

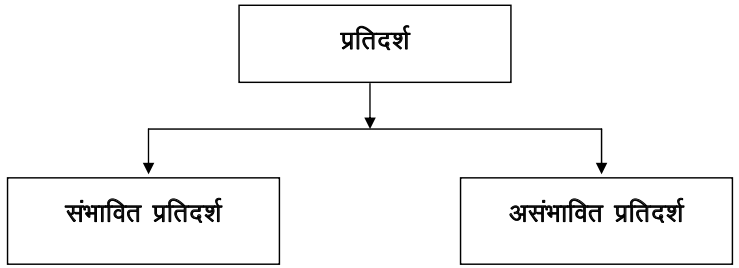

1. **संभाविता प्रतिचयन -** प्रतिचयन की यह एक ऐसी विधि है, जिसके द्वारा प्रतिनिधि प्रतिचयन योजनाएँ बनाना संभव होता है। इससे सांख्यिकीयविद को यह अनुमान लगाना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है कि उसके प्रतिदर्श के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष किस सीमा तक उन निष्कर्षों के समान होंगे जिन्हें वह समष्टि का अध्ययन करके प्राप्त करता।
2. **असंभाविता प्रतिचयन -** असंभाविता प्रतिचयन में न तो यह जानने का कोई तरीका होता है कि किस-किस अवयव विशेष के प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की क्या संभावना है और न ही यह विश्वास होता है कि प्रत्येक अवयव के सम्मिलित होने की संभावना है।

''प्रतिचयन अवयवों को मनमाने तरीके से चुनता है क्योंकि वह समझता है कि इस प्रकार चुने गये अवयव समष्टि का भली प्रकार प्रतिनिधित्व करेंगे।''

- ब्लोमर्स तथा लिण्डिक्विस्ट

प्रस्तुत शोध में हमारा प्रतिदर्श असंभाविता प्रतिदर्श है, जिसमें

न्यादर्श चयन की प्रविधि

न्यादर्श दो प्रकार की होती है

1. संभाविता न्यादर्श
2. असंभाविता न्यादर्श

हमने अपने शोध में मुस्लिम किशोरियों को लिया है, जिसकी संख्या बिलासपुर के सभी स्कूलों में निश्चित नहीं है। इसलिए शोधकर्ता द्वारा बिलासपुर क्षेत्र के विभिन्न ब्लॉकों के उच्चतर माध्यमिक शालाओं को अपने न्यादर्श में चुना गया और इस प्रकार से चुना न्यादर्श असंभाविता न्यादर्श के अंतर्गत आते है।

इस प्रकार न्यादर्श चयन की विधि में शोधकर्ता द्वारा असंभाविता न्यादर्श के अंतर्गत उद्देशीय न्यादर्श प्रविधि को लिया गया है।

उद्देशीय न्यादर्श -

उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श एक ऐसा असंभाविता न्यादर्श विधि है, जिसमें शोधकर्ता उन व्यक्तियों को न्यादर्श के रूप में सम्मिलित करता है, जिन्हें वह यह समझता है कि वह जनसंख्या का सहीं-सहीं प्रतिनिधित्व करता है।

''उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श वह है, जिसे स्वेच्छा से चुना जाता है क्योंकि उसमें जनसंख्या के प्रतिनिधि होने का अच्छा सबूत मौजूद होता है।''

- गिलफोर्ड

प्रस्तुत शोध हेतु शोधार्थी द्वारा बिलासपुर क्षेत्र के ग्रामीण तथा शहरी शालाओं के मुस्लिम किशोरियों को लिया गया है

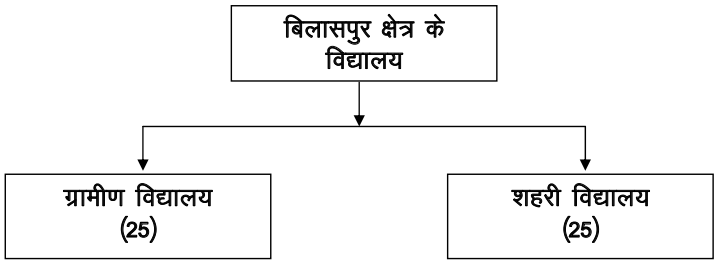

न्यादर्श के रूप में चयनित विद्यालयों की सूची

ग्रामीण विद्यालय एवं छात्राओं की संख्या

क्र.	विद्यालय का नाम	छात्राओं की संख्या
1.	स्वामी विवेकानंद उ.मा. शाला, अकलतरी (बिल्हा)	13
2.	सीतादेवी उ.मा. शाला, बेलतरा नेवरा (बिल्हा)	10
3.	जगमोहन उ.मा. शाला, धनिय, सीपत (मस्तूरी)	12
4.	आर.बी. सिंह उ.मा. शाला, जांजी, सीपत (मस्तूरी)	10
5.	हाई स्कूल, कुकुदौकला (मस्तूरी)	8
6.	ज्ञानमंदिर नरगोड़ा, सीपत (मस्तूरी)	10
7.	तक्षशीला शास.उ.मा. शाला, गोड़ाडीह (मस्तूरी)	13
8.	विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक शाला, बिटकुला (मस्तूरी)	10
9.	ज्ञान ज्योति उच्चतर माध्यमिक शाला, रोहरा (तखतपुर)	9
10.	महर्षि रामकृष्ण परमहंस उ.मा. शाला, अमलीकापा (मस्तूरी)	13
11.	असगर भाई बनक उ.मा. शाला, बरेला (तखतपुर)	14
12.	ज्ञानदीप उ.मा. शाला, खपरी (तखतपुर)	15
13.	शासकीय कन्या उ.मा. शाला, (कोटा)	13
14.	जी.एस.ए. उ.मा. शाला, (कोटा)	10
15.	शहीद बीरनारायण सिंह उ.मा. शाला, आमाडांड (पेण्ड्रा)	14
16.	प्रशांत मार्डन उ.मा. शाला, सकोला (पेण्ड्रा)	15
17.	आक्सफोर्ड पब्लिक उ.मा. शाला, पेण्ड्रा रोड (गौरेला)	12
18.	एजिबेथ किश्चियन उ.मा. शाला, (गौरेला)	14
19.	बीरांगन दुर्गावती विद्यालय, सकोला (मरवाही)	10
20.	अर्बन बैसिक उ.मा. शाला, परासी (मरवाही)	12
21.	आदर्श उ.मा. शाला, खजूरी नवागांव, (तखतपुर)	15
22.	सरस्वती शिशु मंदिर उ.मा. शाला, खोडरी (तखतपुर)	13
23.	रंजीव सरस्वती विद्यालय, सिवनी (पेण्ड्रारोड)	10
24.	आदिवासी सेवा आश्रम शाला, तेंदुआ (कोटा)	15
25.	माँ कर्मा उ.मा. शाला, बाराद्वार, तांडा (कोटा)	10
	योग	**300**

शहरी विद्यालय एवं छात्राओं की संख्या

क्र.	विद्यालय का नाम	छात्राओं की संख्या
1.	महारानी लक्ष्मी बाई शासकीय उ.मा. शाला, (बिलासपुर)	10
2.	बर्जेश हिन्दी उ.मा. शाला, (बिलासपुर)	15
3.	सेंट जेवियर्स उ.मा. शाला, (बिलासपुर)	15
4.	केन्द्रीय विद्यालय, (बिलासपुर)	12
5.	समीर उ.मा. शाला, चिल्हाटी (मस्तूरी)	11
6.	एकता विद्या मंदिर, बिल्हा	10
7.	मिनीमाता उ.मा. शाला, मल्हार (मस्तूरी)	10
8.	अयूब खान उ.मा. शाला, मचखंडा सीपत (मस्तूरी)	18
9.	कमला ज्ञान ज्योति उ.मा. शाला, यदुनंदन नगर (बिल्हा)	10
10.	उर्मिला हाई स्कूल, घुरू, अमेरी (तखतपुर)	13
11.	सेवटीप्लस प्रोग्रेसिव्ह स्कूल, (तखतपुर)	15
12.	पं. राम खिलावन तिवारी उ.मा. शाला, सकरी (तखतपुर)	10
13.	प्रार्थना निकेतन उ.मा. शाला, छतौना (तखतपुर)	13
14.	डॉ. भीमराव अंबेडकर उ.मा. शाला, मगरपारा (बिलासपुर)	13
15.	जी.पी.एस. उ.मा. शाला, झलपा (बिल्हा)	10
16.	भारती विद्यापीठ (कोटा)	12
17.	बहु उ.मा. शाला, नगोई (तखतपुर)	14
18.	बाल मुकुन्द उ.मा. शाला, तालापारा (बिलासपुर)	12
19.	रेलवे शासकीय उ.मा. शाला, (बिलासपुर)	10
20.	शुभानिया अंजुमन इसलामिया स्कूल, गौणपारा (बिलासपुर)	20
21.	अग्रसेन उ.मा. शाला, (बिल्हा)	8
22.	एलिजाबेथ क्रिश्चियन उ.मा. शाला, (पेण्ड्रा)	10
23.	नर्मदा स्कूल ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, (पेण्ड्रा रोड)	11
24.	ऑक्सफोर्ड पब्लिक उ.मा. शाला, (पेण्ड्रा रोड)	8
25.	भारत माता उ.मा. शाला, (बिलासपुर)	10
	योग	**300**

3.5 चर

चर से तात्पर्य किसी घटना तथा वस्तु के उन गुणों से होता है, जिनमें मात्रात्मक विभिन्नताएँ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है तथा जो घटता बढ़ता है। अर्थात् जिसका मान बदलता रहता है।

''किसी प्राणी, वस्तु या चीज के मापने योग्य गुणों को चर कहा जाता है।''

- डी. एमैटी

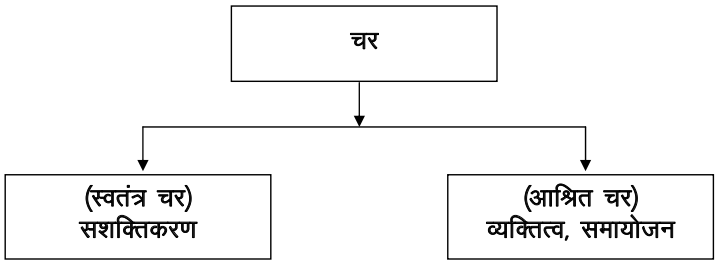

1. स्वतंत्र चर -

स्वतंत्र चर वह चर है, जिसके मूल्यों में प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है और इस परिवर्तन का प्रभाव उस आश्रित चर पर क्या पड़ता है, यह देखता है।

''स्वतंत्र चर वे चर होते हैं, जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़-तोड़ किया जाता है।''

- कैन्टोविज तथा रोडिगर

2. आश्रित चर -

इस चर में होने वाले परिवर्तन स्वतंत्र चर में शोधकर्ता द्वारा किये गये जोड़-तोड़ पर आश्रित होता है।

हील (1980) के अनुसार - ''आश्रित चर वह है, जिसके बारे में हम पूर्व कथन करते हैं।''

3.6 अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

समस्या के अध्ययन के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है। प्रदत्तों के संकलन में उपकरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उपकरण ही शोधकर्ता को उसके लक्ष्य तक पहुँचाता है।

शोधकर्ता द्वारा चयनित किये गये न्यादर्श पर प्रदत्त संकलन हेतु निम्न उपकरणों का प्रयोग किया गया है।

क्रमांक	उपकरण	निर्मित
1.	व्यक्तित्व परीक्षण	डॉ. पी.एफ. अजीज एवं डॉ. श्रीमती रेखा गुप्ता
2.	समायोजन परीक्षण	डॉ. ए.के.पी. सिंह (पटना) एवं डॉ. आर.पी. सिंह (पटना)
3.	किशोरी बालिका सशक्तिकरण परीक्षण	डॉ. देवेन्द्र सिंह सिशोधिया एवं अल्पना सिंह

उपकरण का फलांकन

1. व्यक्तित्व परीक्षण (परिशिष्ट-I) -

शोधकर्ता द्वारा बालिकाओं के डॉ. पी.एफ. अजीज एवं श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा निर्मित व्यक्तित्व मापनी का उपयोग किया गया है, जिसमें प्रश्नों को हल करने से पूर्व छात्राओं को सौहार्द्रपूर्ण संबंध स्थापित करने के उपरांत प्रयोज्यों को उक्त परीक्षण से संबंधित निर्देश दिये गये इस परीक्षण के आगे के पृष्ठों में आपके स्कूल संबंधित कुछ कथन दिये गये हैं, जिनके सामने दो खाने बने है। प्रत्येक कथन को ध्यान से पढ़कर उक्त खानों में हाँ अथवा नहीं में उत्तर देने के लिए उक्त में से किसी एक में (✓) का निशान लगाइये। याद रहे आपका उत्तर गुप्त रखा जायेगा। इसलिए बिना संकोच के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समय की कोई सीमा नहीं है फिर भी यथाशीघ्र समाप्त करने का प्रयत्न कीजिए।

उक्त उपकरण में प्रत्येक पद के सामने दो विकल्प है - हाँ एवं नहीं दिये गये है ; इसमें जिन उत्तरों में व्यक्ति का अभाव पाया जाता है। उनके लिए (0) अंक अन्यथा (1) अंक निर्धारित किये गये हैं। फिर प्रश्न पत्रों को तालिका क्रं.-2 में उत्तर कुंजी के साथ मिलान कर कुल समायोजन के अंक प्राप्त होंगे। इसमें कुल 60 प्रश्न जो कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न है। इस परीक्षण में अंकों का प्रसार न्यूनतम 0 तथा अधिकतम 60 है।

Score obtained = No. of correct responses – No. of incorrect responses

Score Range	interpretation
Below -15	introvert
-15 and +15	Ambivert
Above +15	Extrovert

विश्वसनीयता

यह परीक्षण डॉ. पी. एफ. अजीज एवं श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण में विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए टेस्ट-रिटेस्ट विधि द्वारा निकाला गया है, जो इस प्रकार है

Method	N	r	index of reliability	S.E. means
Test-retest	391	.91	.95	4.50

वैधता - इस उपकरण की वैधता 0.95 है।

2. समायोजन परीक्षण (परिशिष्ट-II)

शोधार्थी द्वारा बालिकाओं के समायोजन को मापने हेतु ए.के.पी. सीन्हा तथा आर.पी.सिंह द्वारा निर्मित समायोजन परीक्षण का प्रयोग किया गया है। जिसमें प्रश्नों को हल करने के लिए उक्त उपकरण को 14-18 वर्ष के छात्र-छात्रओं के समायोजन परीक्षण हेतु यह उपकरण बनाया गया है। इस उपकरण में 60 प्रश्न, जिसमें शैक्षणिक, सामाजिक, संवेदनात्मक समायोजन से संबंधित प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उत्तरों के लिए दो विकल्प है। हाँ/नहीं में इसमें जिन उत्तरों में समायोजन का अभाव पाया जायेगा उसमें (0) अंक अन्यथा (1) अंक निर्धारित किये गये है। इन प्रश्नों के उत्तरों को तालिका क्रं.-8 से मिलान कर प्रश्नों को

इन सहीं उत्तरों से मिलान कर कुल समायोजन के अंक देते है। इसमें कुल प्रश्नों के अंकों का प्रसार न्यूनतम (0) तथा अधिकतम (60) है।

समायोजन परीक्षण में प्रश्नों का क्षेत्र

S.No.	Adjustment Areas	Item No.	Total
1.	Emotional	1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31, 34,37,40,43,46,49,52,55,58	20
2.	Social	2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35, 38,41,44,47,50,53,56,59	20
3.	Educational	3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36, 39,42,45,48,51,54,57,60	20

स्कोरिंग

इस परीक्षण में स्कोरिंग को पाँच भागों में बाँटा गया है

1. Excellent
2. Good
3. Average
4. Unsatisfactory
5. Very unsatisfactory

परीक्षण के अनुसार इसे पाँच भागों में बाँटा गया है पर शोधकर्ता द्व ारा दो भाग को लिया गया है - (1) उच्च (2) निम्न, इसे निकालने के लिए शोधकर्ता ने पूरे अंकों का मध्यमान (Mean) ज्ञात किया, जिसे Mean अंक से उच्च वाले उच्च समायोजन में तथा Mean अंक से निम्न वाले निम्न समायोजन में रखा गया है।

विश्वसनीयता

इस परीक्षण की विश्वसनीयता Split-Half Method, Test-retest Method, K-R formula-20 से निकाला गया है, जो इस प्रकार है

Reliability coefficients of the inventory

S.No.	Method Used	Emotional	Social	Educational	Total
1.	Split-half	0.94	0.93	0.96	0.95
2.	Test-retest	0.96	0.90	0.93	0.93
3.	K-R formula-20	0.92	0.92	0.96	0.94

वैधता -

इस परीक्षण की वैधता स्तर (1) Total Score और (2) Area Score द्वारा सार्थकता स्तर 0.001 है। आंतरिक परीक्षण द्वारा तीनों क्षेत्रों का Correlation Matrix इस प्रकार है

S.No.	Adjustment Areas	I	II	III
1.	Emotional	-	0.20	0.19
2.	Social	0.20	-	0.24
3.	Educational	0.19	.24	-

3. किशोरी बालिका सशक्तिकरण परीक्षण (परिशिष्ट-III)

शोधार्थी द्वारा बालिकाओं के परीक्षण को मापने के लिए डॉ. देवेन्द्र सिंह सिशोधिया एवं डॉ. अल्पना सिंह द्वारा निर्मित परीक्षण का उपयोग किया गया है। उक्त परीक्षण का प्रयोग 13-18 वर्ष के किशोरियों पर यह परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें कुल 49 प्रश्न है। सभी प्रश्नों को 7-7 क्षेत्रों में बाँटा गया है। वे 7 क्षेत्र निम्न है

क्र.	क्षेत्र	प्रश्नों की संख्या
1.	अधिकार एवं स्वतंत्र अस्तित्व	7
2.	स्वायत्ता एवं आत्मविश्वास/आत्मनिर्भरता	7
3.	निर्णय प्रक्रिया	7
4.	भागीदारी	7

क्र.	क्षेत्र	प्रश्नों की संख्या
5.	क्षमता विकास	7
6.	सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता	7
7.	सूचना माध्यमों की उपयोगिता	7
	कुल	**49**

स्कोरिंग

सभी प्रश्नों के अंकों का विस्तार निम्न है

Strongly Agree	Agree	Neutral	Disagree	Strongly Disagree
5	4	3	2	1

इस परीक्षण में कुल अंकों का विस्तार न्यूनतम 49 तथा अधिकतम 245 है।

विश्वसनीयता -

यह परीक्षण डॉ. देवेन्द्र सिंह सिशोधिया तथा डॉ. अल्पना सिंह ने test-retest method द्वारा किशोरी बालिका सशक्तिकरण परीक्षण की विश्वसनीयता 0.71 ज्ञात किया गया है।

वैधता

यह परीक्षण 13-18 वर्ष के किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण को मापने के लिए बनाया गया है, जिसमें सशक्तिकरण को मापने के लिए तीन स्तर है (1) उच्च (2) मध्य (3) निम्न और इनके प्राप्त अंकों के स्तर के अनुसार हम किसी भी किशोरियों के सशक्तिकरण को माप सकते हैं, जो इस प्रकार है

Empowerment Level	Raw Scores
High	163 - 245
Medium	82 - 162
Low	49 - 81

3.7 अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधि

इस शोध में शोधकर्ता द्वारा निम्न सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया गया है

1. मध्यमान (Mean)
2. प्रमाणिक विचलन (S.D.)
3. टी. मूल्य परीक्षण (t test)
4. प्रमाणिक त्रुटि (SED)
5. स्वतंत्रता की कोटी (df)
6. सहसंबंध गुणांक (co-relation)
7. प्रसरण विश्लेषण (Analysis of variance)

1. मध्यमान (Mean)

$$M = AM + \frac{\sum fx}{N} \times i$$

जहाँ,

AM = कल्पित मान

$\sum$ = योग

f = आवृत्ति

x = विचलन

$\sum fx$ = आवृत्ति और विचलन के गुणफल का योग

N = पदों की संख्या

i = वर्ग अंतराल

2. प्रमाणिक विचलन (Standard Deviation)

$$SD = i \times \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2}$$

जहाँ,

SD = प्रमाणिक विचलन

i = वर्ग अंतराल

d = कल्पित माध्य से विचलन

$\sum$fd2 = विचलनों के वर्ग एवं आवृत्ति के गुणनफलों का योग
$\sum$fd = आवृत्ति एवं विचलन के गुणनफलों का योग
N = समूह इकाईयों की संख्या

3. प्रमाणिक त्रुटि विचलन (Standard Error of Difference between two means)

$$SED = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{N_1} + \frac{\sigma_2^2}{N_2}}$$

जहाँ,

SED = दोनों मध्यमानों के अंतरों की प्रमाणिक त्रुटि
σ_1 = प्रथम समूह का प्रमाणिक विचलन
σ_2 = द्वितीय समूह का प्रमाणिक विचलन
N_1 = प्रथम समूह की कुल संख्या
N_2 = द्वितीय समूह की कुल संख्या

4. टी मूल्य परीक्षण (t-test)

$$t = \frac{M_1 \sim M_2}{SED}$$

जहाँ,

t = सार्थक अंतर
M_1 = प्रथम समूह का मध्यमान
M_2 = द्वितीय समूह का मध्यमान
SED = प्रमाणिक त्रुटि विचलन

5. सहसंबंध गुणांक (Co-Relation)

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \times \sum y^2}}$$

जहाँ,

r = सहसंबंध गुणांक
$\sum$xy = दोनों विचलनों के गुणनफल का योग

$\sum$x2 = मध्यमान से x प्राप्तांकों के विचलन के वर्गों का योग
$\sum$y2 = मध्यमान से y प्राप्तांकों के विचलन के वर्गों का योग

6. प्रसरण विश्लेषण (Analysis of variance)

$$FRatio = \frac{MS_b}{MS_w}$$

जहाँ,

F Ratio = प्रसरण विश्लेषण
MS_b = Mean square between groups
MS_w = Mean square within groups

स्वतंत्रता की कोटि (Degree of Freedom)

$df = (N_1-1) + (N_2-1)$

जहां,

df = Degree of Freedom
N = Number of Item

अध्याय-4
प्रदत्तों का संकलन, विषलेशण एवं व्याख्या

4.1 व्याख्या एवं विश्लेषण

H01 : मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के मध्य सहसंबंध नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक - 4.1 मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के मध्य सहसंबंध

श्रेणी	N	Mean	∑ x2y2	∑ xy	'r'	सार्थकता स्तर df	विवेचना
व्यक्तित्व (x)	600	29.0033	38362	20150.5	0.133	0.05=0.62	H01 स्वीकृत
बालिका सशक्तिकरण (y)	600	185.25	597809			0.01=0.081	अस्वीकृत

व्याख्या एवं विश्लेषण -

उपरोक्त सारणी द्वारा ज्ञात होता है कि मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण का प्राप्त 'r' का प्राप्तांक 0.133 है, जो की df 1198 पर r का सारणीगत मान 0.05 स्तर पर 0.062 तथा 0.01 स्तर पर 0.081 है।

'r' का सारणीगत मान 0.05 स्तर से कम है तथा 0.01 स्तर पर अधिक पाया गया है। चूँकि 0.05 स्तर पर सार्थक अंतर पाया गया तथा 0.01 स्तर पर सार्थक नहीं पाया गया।

अतः हमारी शून्य परिकल्पना क्रमांक - H01 अस्वीकृत होती है।

H02 : मुस्लिम किशोरियों के समायोजन एवं बालिका सशक्तिकरण के मध्य सहसंबंध नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक-4.2 मुस्लिम किशोरियों के समायोजन एवं बालिका सशक्तिकरण के मध्य सहसंबंध

श्रेणी	N	Mean	∑ x2y2	∑ xy	'r'	सार्थकता स्तर df	विवेचना
समायोजन (x)	600	27.635	39681.07	23652.12	0.1536	0.05=0.62	H02 स्वीकृत
बालिका सशक्तिकरण (y)	600	185.25	597809			0.01=0.081	अस्वीकृत

व्याख्या एवं विश्लेषण -

उपरोक्त सारणी द्वारा ज्ञात होता है कि मुस्लिम किशोरियों के समायोजन एवं बालिका सशक्तिकरण का प्राप्त 'r' का प्राप्तांक 0.1536 है, जो की df 1198 पर 'r' का सारणीगत मान 0.05 स्तर पर 0.062 तथा 0.01 स्तर पर 0.081 है।

'r' का सारणीगत मान 0.05 स्तर से कम है तथा 0.01 स्तर पर अधिक पाया गया है। चूँकि 0.05 स्तर पर सार्थक अंतर पाया गया तथा 0.01 स्तर पर सार्थक नहीं पाया गया।

अतः हमारी शून्य परिकल्पना क्रमांक - H02 अस्वीकृत होती है।

H03 : मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के प्रथम आयाम अधिकार एवं अस्तित्व के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक-4.3 मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के प्रथम आयाम अधिकार एवं अस्तित्व के मध्य सार्थक अंतर

श्रेणी	N	Mean	SD	SED	df	't'	सार्थकता स्तर df	विवेचना
व्यक्तित्व	600	29.003	8.0027	0.4122	1198	5.3493	0.05=1.960	H03.1 अस्वीकृत
अधिकार एवं अस्तित्व	600	26.798	6.1558				0.01=2.576	

व्याख्या एवं विश्लेषण -

उपरोक्त सारणी द्वारा ज्ञात हो है कि मुस्लिम क्रिोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका स्राक्तिकरण के प्रथम आयाम अधिकार एवं अस्तित्व का प्राप्त 't' का

प्राप्तांक 5.3493 है, जो की df 1198 पर 't' का सारणीगत मान 0.05 स्तर पर 1.960 तथा 0.01 स्तर पर 2.576 है।

't' का सारणीगत मान 0.05 तथा 0.01 स्तर से अधिक पाया गया है, जो सार्थक नहीं है।

अतः हमारी शून्य परिकल्पना क्रमांक - H03.1 अस्वीकृत होती है।

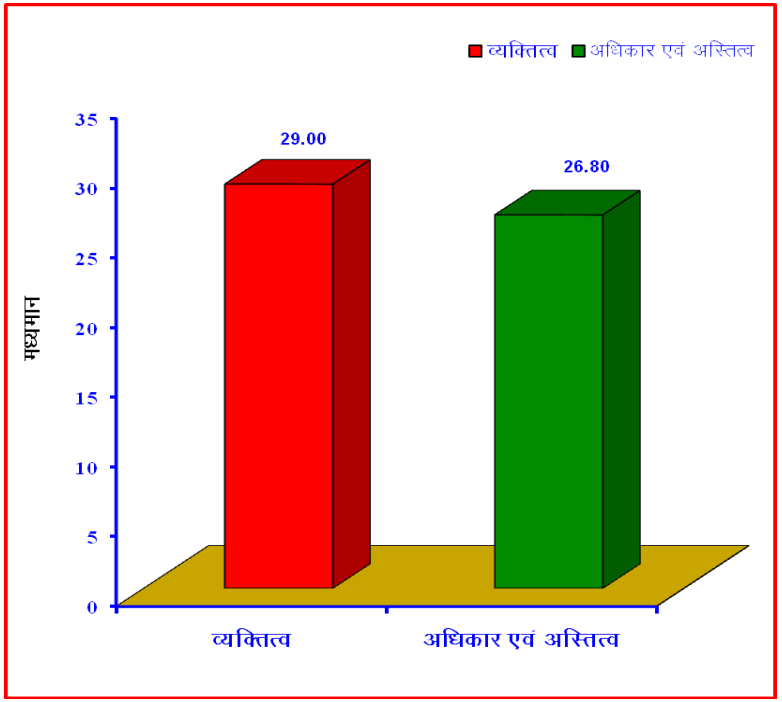

आरेख क्रमांक - 4.1 मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के प्रथम आयाम अधिकार एवं अस्तित्व के मध्य मध्यमान के अंतर को प्रदर्शित करता दण्ड आरेख

H03.2 : मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के द्वितीय आयाम स्वायत्ता एवं आत्मविश्वास/आत्मनिर्भरता के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक-4.4 मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के द्वितीय आयाम स्वायत्ता एवं आत्मविश्वास/आत्मनिर्भरता के मध्य सार्थक अंतर

श्रेणी	N	Mean	SD	SED	df	't'	सार्थकता स्तर df	विवेचना
व्यक्तित्व	600	29.003	8.0027	0.4106	1198	6.359	0.05=1.960	H03.2 अस्वीकृत
स्वायत्त एवं आत्मविश्वास/ आत्म निर्भरता	600	26.392	6.0907				0.01=2.576	

व्याख्या एवं विश्लेषण -

उपरोक्त सारणी द्वारा ज्ञात है कि मुस्लिम क्रिोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के द्वितीय आयाम स्वायत्ता एवं आत्मविश्वास/आत्म निर्भरता का प्राप्त 't' का प्राप्तांक 6.359 है, जो की df 1198 पर 't' का सारणीगत मान 0.05 स्तर पर 1.960 तथा 0.01 स्तर पर 2.576 है।

't' का सारणीगत मान दोनों स्तरों पर अधिक पाया गया, जो दोनों स्तरों पर सार्थक अंतर नहीं है।

अतः हमारी शून्य परिकल्पना क्रमांक - H03.2 अस्वीकृत होती है।

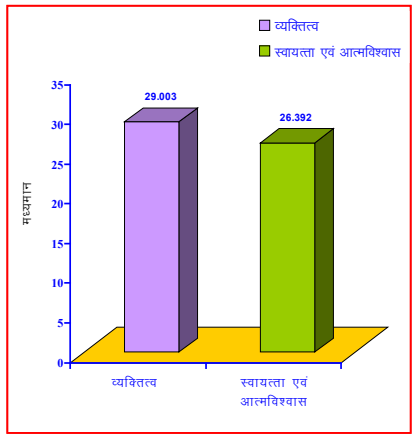

आरेख क्रमांक - 4.2 मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के द्वितीय आयाम स्वायत्ता एवं आत्मविश्वास/आत्मनिर्भरता के मध्यमान को प्रदर्शित करता दण्ड आरेख

H03.3 : मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के तृतीय आयाम निर्णय प्रक्रिया के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक-4.5 मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के तृतीय आयाम निर्णय प्रक्रिया के मध्य सार्थक अंतर

श्रेणी	N	Mean	SD	SED	df	't'	सार्थकता स्तर df	विवेचना
व्यक्तित्व	600	29.003	8.0027	0.4117	1198	6.3274	0.05=1.960	H03.3 अस्वीकृत
निर्णय प्रक्रिया	600	26.398	6.137				0.01=2.576	

व्याख्या एवं विश्लेषण -

उपरोक्त सारणी द्वारा ज्ञात हो कि मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका स़ाक्तिकरण के तृतीय आयाम निर्णय प्रक्रिया का प्राप्त 't' का प्राप्तांक 6.3274 है, जो की df 1198 पर 't' का सारणीगत मान 0.05 स्तर पर 1.960 तथा 0.01 स्तर पर 2.576 है।

't' का सारणीगत मान 0.05 तथा 0.01 स्तर से अधिक पाया गया है, जो सार्थक नहीं है।

अतः हमारी शून्य परिकल्पना क्रमांक - H03.3 अस्वीकृत होती है।

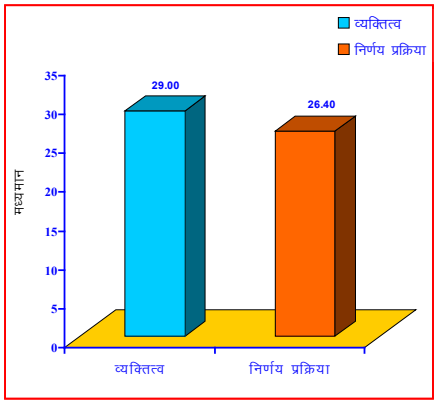

आरेख क्रमांक - 4.3 मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के तृतीय आयाम निर्णय प्रक्रिया के मध्यमान को प्रदर्शित करता दण्ड आरेख

$H0_{3.4}$: मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के चतुर्थ आयाम भागीदारी के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक-4.6 मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के चतुर्थ आयाम भागीदारी के मध्य सार्थक अंतर

श्रेणी	N	Mean	SD	SED	df	"t"	सार्थकता स्तर df	विवेचना
व्यक्तित्व	600	29.003	8.0027	0.413	1198	6.9077	0.05 = 1.960	H03.4 अस्वीकृत
भागीदारी	600	26.15	6.1893				0.01 = 2.576	

व्याख्या एवं विश्लेषण

उपरोक्त सारणी द्वारा ज्ञात हो है कि मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के चतुर्थ आयाम भागीदारी का प्राप्त 't' का प्राप्तांक 6.9077 है, जो की df 1198 पर 't' का सारणीगत मान 0.05 स्तर पर 1.960 तथा 0.01 स्तर पर 2.576 है।

't' का सारणीगत मान 0.05 तथा 0.01 स्तर से अधिक पाया गया है, जो सार्थक नहीं है।

अतः हमारी शून्य परिकल्पना क्रमांक - H03.4 अस्वीकृत होती है।

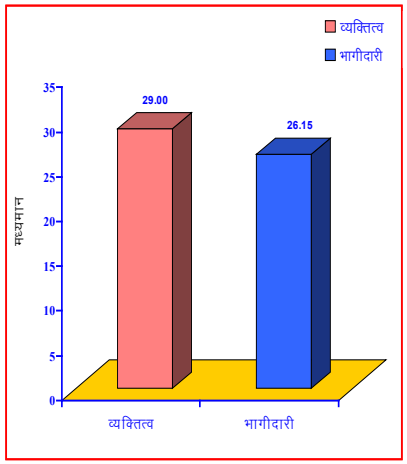

आरेख क्रमांक - 4.4 मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के चतुर्थ आयाम भागीदारी के मध्यमान को प्रदर्शित करता दण्ड आरेख

H03.5 : मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के पंचम आयाम क्षमता विकास के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक-4.7 मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के पंचम आयाम क्षमता विकास के मध्य सार्थक अंतर

श्रेणी	N	Mean	SD	SED	df	't'	सार्थकता स्तर df	विवेचना
व्यक्तित्व	600	29.003	8.0027	0.4136	1198	6.3733	0.05=1.960	H03.5 अस्वीकृत
क्षमता विकास	600	26.367	6.2126				0.01=2.576	

व्याख्या एवं विश्लेषण

उपरोक्त सारणी द्वारा ज्ञात है कि मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के पंचम आयाम क्षमता विकास का प्राप्त 't' का प्राप्तांक 6.3733 है जो की df 1198 पर 't' का सारणीगत मान 0.05 स्तर पर 1.960 तथा 0.01 स्तर पर 2.576 है।

't' का सारणीगत मान 0.05 तथा 0.01 स्तर से अधिक पाया गया है, जो सार्थक नहीं है।

अतः हमारी शून्य परिकल्पना क्रमांक - H03.5 अस्वीकृत होती है।

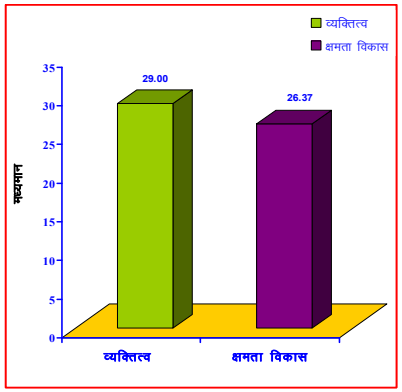

आरेख क्रमांक - 4.5 मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के पंचम आयाम क्षमता विकास के मध्यमान को प्रदर्शित करता दण्ड आरेख

H03.6 : मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के षष्ठम आयाम सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक-4.8 मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के षष्ठम आयाम सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता के मध्य सार्थक अंतर

श्रेणी	N	Mean	SD	SED	df	't'	सार्थकता स्तर df	विवेचना
व्यक्तित्व	600	29.003	8.0027	0.4185	1198	6.8237	0.05=1.960	H03.6 अस्वीकृत
सामाजिक राजनीतिक व कानूनी जागरूकता	600	26.147	6.4081				0.01=2.576	

व्याख्या एवं विश्लेषण

उपरोक्त सारणी द्वारा ज्ञात है कि मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के पंचम आयाम सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता का प्राप्त 't' का प्राप्तांक 6.8237 है, जो की df 1198 पर 't' का सारणीगत मान 0.05 स्तर पर 1.960 तथा 0.01 स्तर पर 2.576 है।

't' का सारणीगत मान 0.05 तथा 0.01 स्तर से अधिक पाया गया है, जो सार्थक नहीं है।

अतः हमारी शून्य परिकल्पना क्रमांक - H03.6 अस्वीकृत होती है।

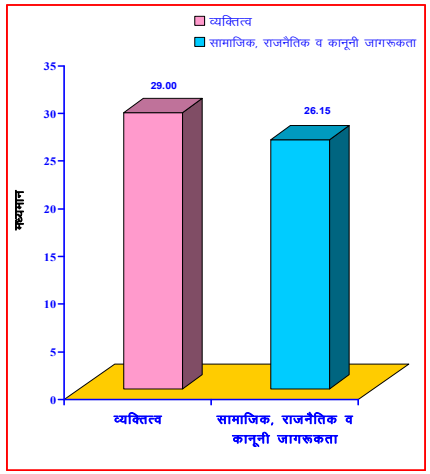

आरेख क्रमांक - 4.6 मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के षष्ठम आयाम सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता के मध्यमान को प्रदर्शित करता दण्ड आरेख

H03.7 : मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के सप्तम आयाम सूचना माध्यमों की उपयोगिता के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक-4.9 मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के सप्तम आयाम सूचना माध्यमों की उपयोगिता के मध्य सार्थक अंतर

श्रेणी	N	Mean	SD	SED	df	't'	सार्थकता स्तर df	विवेचना
व्यक्तित्व	600	29.003	8.0027	0.4128	1198	4.8522	0.05=1.960	H03.7 अस्वीकृत
सूचना माध्यमों की उपयोगिता	600	27	6.182				0.01=2.576	

व्याख्या एवं विश्लेषण

उपरोक्त सारणी द्वारा ज्ञात है कि मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के सप्तम आयाम सूचना माध्यमों की उपयोगिता का प्राप्त t का

प्राप्तांक 4.8522 है, जो की df 1198 पर t का सारणीगत मान 0.05 स्तर पर 1.960 तथा 0.01 स्तर पर 2.576 है।

t का सारणीगत मान 0.05 तथा 0.01 स्तर से अधिक पाया गया है, जो सार्थक नहीं है।

अतः हमारी शून्य परिकल्पना क्रमांक - H03.7 अस्वीकृत होती है।

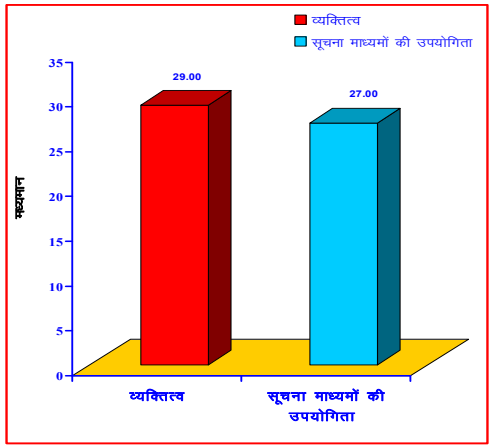

आरेख क्रमांक - 4.7 मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के सप्तम आयाम सूचना माध्यमों की उपयोगिता के मध्यमान को प्रदर्शित करता दण्ड आरेख

H04.1 : मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के प्रथम आयाम अधिकार एवं अस्तित्व के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक-4.10 मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के प्रथम आयाम अधिकार एवं अस्तित्व के मध्य सार्थक अंतर

श्रेणी	N	Mean	SD	SED	df	't'	सार्थकता स्तर df	विवेचना
समायोजन	600	27.635	8.1391	0.416	1198	2.012	0.05=1.960	H04-1 अस्वीकृत
अधिकार एवं अस्तित्व	600	26.798	6.1558				0.01=2.576	

व्याख्या एवं विश्लेषण

उपरोक्त सारणी द्वारा ज्ञात है कि मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के पंचम आयाम अधिकार एवं अस्तित्व का प्राप्त 't' का प्राप्तांक 2.012 है, जो की df 1198 पर 't' का सारणीगत मान 0.05 स्तर पर 1.960 तथा 0.01 स्तर पर 2.576 है।

't' का सारणीगत मान 0.05 तथा 0.01 स्तर से अधिक पाया गया है, जो सार्थक नहीं है।

अतः हमारी शून्य परिकल्पना क्रमांक - H04.1 अस्वीकृत होती है।

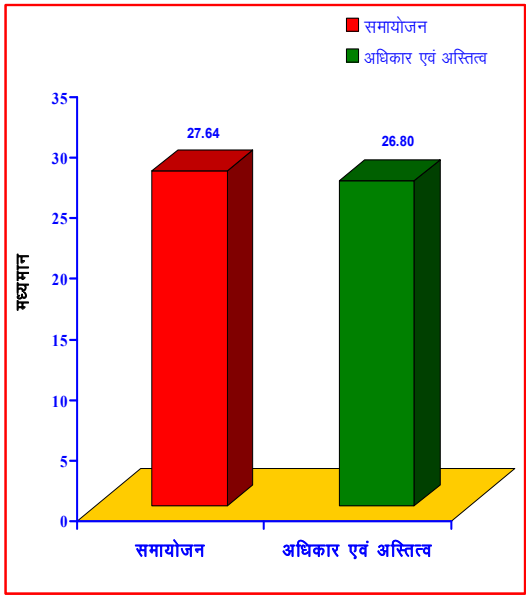

आरेख क्रमांक - 4.8 मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के प्रथम आयाम अधिकार एवं अस्तित्व के मध्यमान को प्रदर्शित करता दण्ड आरेख

H04.2 : मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के द्वितीय आयाम स्वायत्ता एवं आत्मविश्वास/आत्मनिर्भरता के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक-4.11 मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के द्वितीय आयाम स्वायत्ता एवं आत्मविश्वास/आत्मनिर्भरता के मध्य सार्थक अंतर

श्रेणी	N	Mean	SD	SED	df	't'	सार्थकता स्तर df	विवेचना
समायोजन	600	27.635	8.1391	0.415	1198	2.995	0.05=1.960	H04.2 अस्वीकृत
स्वायत्ता एवं आत्मविश्वास/ आत्म निर्भरता	600	26.392	6.0907				0.01=2.576	

व्याख्या एवं विश्लेषण -

उपरोक्त सारणी द्वारा ज्ञात है कि मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के द्वितीय आयाम स्वायत्ता एवं आत्मविश्वास/ आत्मनिर्भरता का प्राप्त 't' का प्राप्तांक 2.995 है, जो की df 1198 पर 't' का सारणीगत मान 0.05 स्तर पर 1.960 तथा 0.01 स्तर पर 2.576 है।

't' का सारणीगत मान 0.05 तथा 0.01 स्तर से अधिक पाया गया है, जो सार्थक नहीं है।

अतः हमारी शून्य परिकल्पना क्रमांक - H04.2 अस्वीकृत होती है।

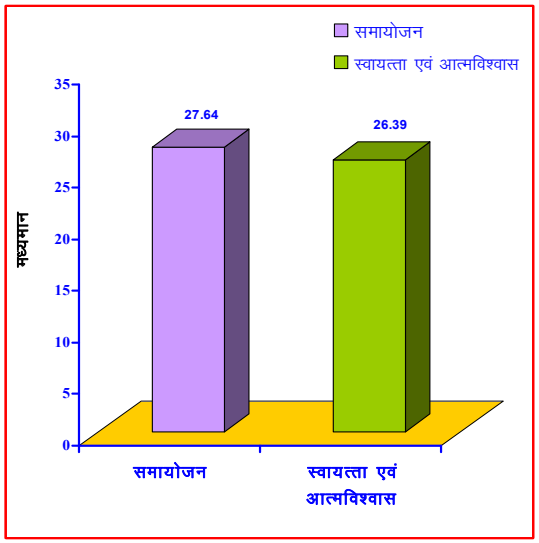

आरेख क्रमांक - 4.9 मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के द्वितीय आयाम स्वायत्ता एवं आत्मविश्वास/आत्मनिर्भरता के मध्यमान को प्रदर्शित करता दण्ड आरेख

H04.3 : मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के तृतीय आयाम निर्णय प्रक्रिया के मध्य सार्थक अतंर नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक-4.12 मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के तृतीय आयाम निर्णय प्रक्रिया के मध्य सार्थक अंतर

श्रेणी	N	Mean	SD	SED	df	't'	सार्थकता स्तर df	विवेचना
समायोजन	600	27.635	8.1391	0.415	1198	2.974	0.05=1.960	H04.3 अस्वीकृत
निर्णय प्रक्रिया	600	26.398	6.137				0.01=2.576	

व्याख्या एवं विश्लेषण -

उपरोक्त सारणी द्वारा ज्ञात है कि मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के तृतीय आयाम निर्णय प्रक्रिया का प्राप्त 't' का प्राप्तांक 2.974 है, जो की df 1198 पर 't' का सारणीगत मान 0.05 स्तर पर 1.960 तथा 0.01 स्तर पर 2.576 है।

't' का सारणीगत मान 0.05 तथा 0.01 स्तर से अधिक पाया गया है, जो सार्थक नहीं है।

अतः हमारी शून्य परिकल्पना क्रमांक - H04.3 अस्वीकृत होती है।

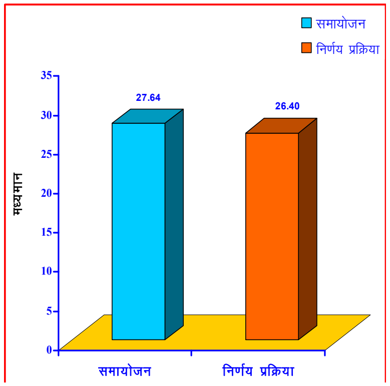

आरेख क्रमांक-4.10 मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के तृतीय आयाम निर्णय प्रक्रिया के मध्यमान को प्रदर्शित करता दण्ड आरेख

H04.4 : मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के चतुर्थ आयाम भागीदारी के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक-4.13 मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के चतुर्थ आयाम भागीदारी के मध्य सार्थक अंतर

श्रेणी	N	Mean	SD	SED	df	't'	सार्थकता स्तर df	विवेचना
समायोजन	600	27.635	8.1391	0.415	1198	3.561	0.05=1.960	H04.4 अस्वीकृत
भागीदारी	600	26.15	6.189				0.01=2.576	

व्याख्या एवं विश्लेषण

उपरोक्त सारणी द्वारा ज्ञात है कि मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के चतुर्थ आयाम भागीदारी का प्राप्त 't' का प्राप्तांक 3.561 है, जो की df 1198 पर 't' का सारणीगत मान 0.05 स्तर पर 1.960 तथा 0.01 स्तर पर 2.576 है।

't' का सारणीगत मान 0.05 तथा 0.01 स्तर से अधिक पाया गया है, जो सार्थक नहीं है।

अतः हमारी शून्य परिकल्पना क्रमांक - H04.4 अस्वीकृत होती है।

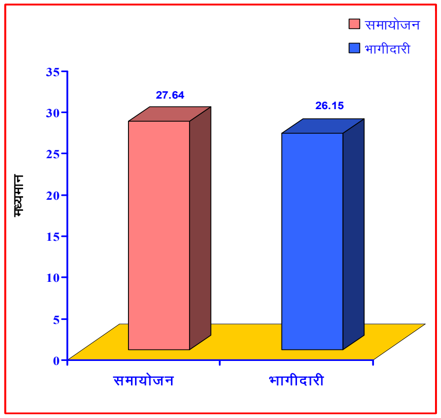

आरेख क्रमांक - 4.11 मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के चतुर्थ आयाम भागीदारी के मध्यमान को प्रदर्शित करता दण्ड आरेख

H04.5 : मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के पंचम आयाम क्षमता विकास के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक-4.14 मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के पंचम आयाम क्षमता विकास के मध्य सार्थक अंतर

श्रेणी	N	Mean	SD	SED	df	't'	सार्थकता स्तर df	विवेचना
समायोजन	600	27.635	8.1391	0.418	1198	3.033	0.05=1.960	H04.5 अस्वीकृत
क्षमता विकास	600	26.367	6.2126				0.01=2.576	

व्याख्या एवं विश्लेषण

उपरोक्त सारणी द्वारा ज्ञात है कि मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के पंचम आयाम क्षमता विकास का प्राप्त 't' का प्राप्तांक 3.033 है, जो की df 1198 पर 't' का सारणीगत मान 0.05 स्तर पर 1.960 तथा 0.01 स्तर पर 2.576 है।

't' का सारणीगत मान 0.05 तथा 0.01 स्तर से अधिक पाया गया है, जो सार्थक नहीं है।

अतः हमारी शून्य परिकल्पना क्रमांक - H04.5 अस्वीकृत होती है।

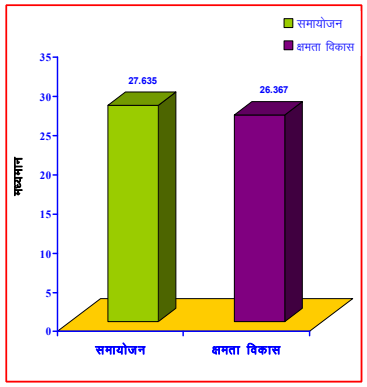

आरेख क्रमांक - 4.12 मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के पंचम आयाम क्षमता विकास के मध्यमान को प्रदर्शित करता दण्ड आरेख

H04.6 : मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के षष्ठम आयाम सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक-4.15 मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के षष्ठम आयाम सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता के मध्य सार्थक अंतर

श्रेणी	N	Mean	SD	SED	df	't'	सार्थकता स्तर df	विवेचना
समायोजन	600	27.635	8.1391	0.422	1198	3.526	0.05=1.960	H04.6 अस्वीकृत
सामाजिक राजनीतिक व कानूनी जागरूकता	600	26.147	6.4081				0.01=2.576	

व्याख्या एवं विश्लेषण

उपरोक्त सारणी द्वारा ज्ञात है कि मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के षष्ठम आयाम सामाजिक राजनीतिक व कानूनी जागरूकता का प्राप्त 't' का प्राप्तांक 3.526 है, जो की df 1198 पर 't' का सारणीगत मान 0.05 स्तर पर 1.960 तथा 0.01 स्तर पर 2.576 है।

't' का सारणीगत मान 0.05 तथा 0.01 स्तर से अधिक पाया गया है, जो सार्थक नहीं है।

अतः हमारी शून्य परिकल्पना क्रमांक - H04.6 अस्वीकृत होती है।

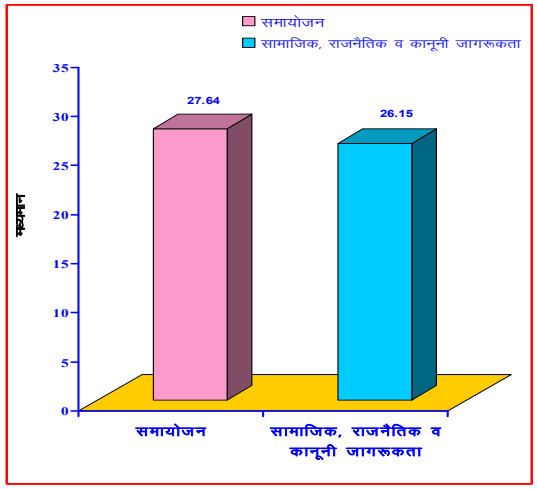

आरेख क्रमांक - 4.13 मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के षष्ठम आयाम सामाजिक राजनीतिक व कानूनी जागरूकता के मध्यमान को प्रदर्शित करता दण्ड आरेख

H04.7 : मुस्लिम किशोरियों के समायोजन एवं बालिका सशक्तिकरण के सप्तम आयाम सूचना माध्यमों की उपयोगिता के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक-4.16 मुस्लिम किशोरियों के समायोजन एवं बालिका सशक्तिकरण के सप्तम आयाम सूचना माध्यमों की उपयोगिता के मध्य सार्थक अंतर

श्रेणी	N	Mean	SD	SED	df	't'	सार्थकता स्तर df	विवेचना
समायोजन	600	27.635	8.1391	0.417	1198	1.523	0.05=1.960	H04.7 स्वीकृत
सूचना माध्यमों की उपयोगिता	600	27	6.182				0.01=2.576	

व्याख्या एवं विश्लेषण

उपरोक्त सारणी द्वारा ज्ञात है कि मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के सप्तम आयाम सूचना माध्यमों की उपयोगिता का प्राप्त 't' का प्राप्तांक 1.523 है, जो की df 1198 पर 't' का सारणीगत मान 0.05 स्तर पर 1.960 तथा 0.01 स्तर पर 2.576 है।

't' का सारणीगत मान 0.05 तथा 0.01 स्तर से अधिक पाया गया है, जो सार्थक नहीं है।

अतः हमारी शून्य परिकल्पना क्रमांक - H04.7 स्वीकृत होती है।

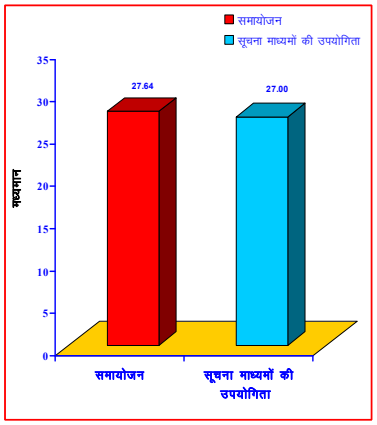

आरेख क्रमांक - 4.14 मुस्लिम किशोरियों के समायोजन एवं बालिका सशक्तिकरण के सप्तम आयाम सूचना माध्यमों की उपयोगिता के मध्यमान को प्रदर्शित करता दण्ड आरेख

H05 : मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व (अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी), पर बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के मध्य सार्थक आंतरिक क्रियात्मक प्रभाव नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक-4.17 मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व (अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी), पर बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के मध्य सार्थक आंतरिक क्रियात्मक प्रभाव

Source of Variation	df	SS	MS	'f'	सार्थकता स्तर df	विवेचना
Row A व्यक्तित्व (अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी)	1	1380.45	1380.45	37.74	0.05=3.84	H05 अस्वीकृत
					0.01=6.63	
Row B बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम	6	259.67	43.28	1.18	0.05=2.10	स्वीकृत
					0.01=2.80	

Interaction	6	79.44	13.24	0.36	0.05=2.10	स्वीकृत
					0.01=2.80	
Within	1618	59192.38				

व्याख्या एवं विश्लेषण

1. अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व (A) -

मुस्लिम किशोरियों के अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर मुख्य प्रभाव ज्ञात करने हेतु गणना द्वारा 'f' का मान 37.74 है, जो कि df 1/1618 के साथ दोनों ही स्तरों 0.05 स्तर पर 6.63 तथा 0.01 स्तर पर 3.84 से अधिक है, जो कि प्रर्द्गाित करता है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

2. महिला स्ताक्तिकरण के विभिन्न आयाम (B) -

उपरोक्त सारणी प्रदर्शित करता है कि महिला सशक्तिकरण का अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व पर मुख्य प्रभाव के लिए गणना द्वारा 'f' का मान 1.18 पाया गया, जो कि df 1/1618 के साथ दोनों ही स्तर 0.05=2.10 पर तथा 0.01=2.80 से कम है।

अतः महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों का अंतर्मुखी बहिर्मुखी क्ि्गाोरियों के व्यक्तित्व पर सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।

3. अंतःक्रियात्मक प्रभाव (A*B) -

उपरोक्त सारणी प्रदर्शित करता है कि महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों एवं मुस्लिम अंतर्मुखी बहिर्मुखी किशोरियों के व्यक्तित्व के मध्य अंतःक्रियात्मक प्रभाव हेतु 'f' का गणना द्वारा प्राप्त मान 0.36 है, जो कि df 1/1618 के साथ दोनों ही स्तरों 0.05 पर 2.10 तथा 0.01 स्तर पर 2.80 है, जो दोनों स्तरों से कम है।

अतः महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों का अंतर्मुखी बहिर्मुखी क्ि्गाोरियों के व्यक्तित्व पर सार्थक अंतर नहीं है।

अतः हमारी शून्य परिकल्पना क्रमांक - H05 स्वीकृत होती है।

H06 : मुस्लिम किशोरियों समायोजन (उच्च तथा निम्न), पर बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के मध्य सार्थक आंतरिक क्रियात्मक प्रभाव नहीं पाया जाएगा।

सारणी क्रमांक-4.18 मुस्लिम किशोरियों समायोजन (उच्च तथा निम्न), पर बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के मध्य सार्थक आंतरिक क्रियात्मक प्रभाव

Source of Variation	df	SS	MS	'f'	सार्थकता स्तर df	विवेचना
Row A व्यक्तित्व (अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी)	1	818.46	818.46	51.41	0.05=3.84	H06 अस्वीकृत
					0.01=6.63	
Row B बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम	6	357.54	59.59	1.56	0.05=2.10	स्वीकृत
					0.01=2.80	
Interaction	6	141.045	23.51	0.61	0.05=2.10	स्वीकृत
					0.01=2.80	
Within	4194	160354.12	36.23			

व्याख्या एवं विश्लेषण

1. समायोजन (उच्च तथा निम्न), (A) -

मुस्लिम क्ि्गाोरियों के अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर मुख्य प्रभाव ज्ञात करने हेतु गणना द्वारा 'f' का मान 21.41 है, जो कि df 1/4194 के साथ दोनों ही स्तरों 0.05 स्तर पर 6.63 तथा 0.01 स्तर पर 3.84 से अधिक है।

जो कि प्रदर्शित करता है कि समायोजन (उच्च तथा निम्न) का महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

2. महिला स्ताक्तिकरण के विभिन्न आयाम (B) -

उपरोक्त सारणी प्रदर्शित करता है कि महिला सशक्तिकरण का अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व पर मुख्य प्रभाव के लिए गणना द्वारा 'f' का मान 1.56 पाया गया, जो कि df 1/4194 के साथ दोनों ही स्तर 0.05=2.10 पर तथा 0.01=2.80 से कम है।

अतः महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों का समायोजन (उच्च तथा निम्न) पर सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।

3. अंतःक्रियात्मक प्रभाव (A*B) -

उपरोक्त सारणी प्रदर्शित करता है कि महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों एवं मुस्लिम अंतर्मुखी बहिर्मुखी किशोरियों के व्यक्तित्व के मध्य अंतःक्रियात्मक प्रभाव हेतु 'f' का गणना द्वारा प्राप्त मान 0.61 है, जो कि df 1/1618 के साथ दोनों ही स्तरों 0.05 पर 2.10 तथा 0.01 स्तर पर 2.80 है, जो दोनों स्तरों से कम है।

अतः महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों का समायोजन (उच्च तथा निम्न) पर सार्थक अंतर नहीं है।

अतः हमारी शून्य परिकल्पना क्रमांक - H06 स्वीकृत होती है।

H07 : ग्रामीण एवं शहरी मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व समायोजन एवं बालिका सशक्तिकरण के मध्य सार्थक आंतरिक क्रियात्मक प्रभाव नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक-4.19 ग्रामीण एवं शहरी मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व समायोजन एवं बालिका सशक्तिकरण के मध्य सार्थक आंतरिक क्रियात्मक प्रभाव

Source of Variation	df	SS	MS	'f'	सार्थकता स्तर df	विवेचना
Row A ग्रामीण एवं शहरी	1	660190.46	660190.46	117534.35	0.05=3.84 0.01=6.63	H07 अस्वीकृत
Row B व्यक्तित्व, समायोजन एवं बालिका सशक्तिकरण	2	5568.64	2784.32	991.39	0.05=2.10 0.01=2.80	अस्वीकृत
Interaction	2	9851685.52	4925842.76	876952.60	0.05=2.10 0.01=2.80	अस्वीकृत
Within	1797	10092.96	5.617			

व्याख्या एवं विश्लेषण

1. ग्रामीण एवं शहरी मुस्लिम क्रिोरियों (A) -

मुस्लिम किशोरियों के अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर मुख्य प्रभाव ज्ञात करने हेतु गणना द्वारा f का मान

117618.11 है, जो कि df 1/1798 के साथ दोनों ही स्तरों 0.05 स्तर पर 3.84 तथा 0.01 स्तर पर 6.630 से अधिक है।

जो कि प्रदर्शित करता है कि ग्रामीण एवं शहरी मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व समायोजन एवं बालिका सशक्तिकरण के मध्य सार्थक प्रभाव पड़ता है।

2. महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम (B) -

उपरोक्त सारणी प्रदर्शित करता है कि महिला सशक्तिकरण का अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व पर मुख्य प्रभाव के लिए गणना द्वारा 'f' का मान 496.05 पाया गया, जो कि df 1/1798 के साथ दोनों ही स्तर 0.05=2.10 पर तथा 0.01=2.80 से अधिक है।

जो कि प्रदर्शित करता है कि ग्रामीण एवं शहरी मुस्लिम क्रिोरियों के व्यक्तित्व समायोजन एवं बालिका सशक्तिकरण के मध्य सार्थक प्रभाव पड़ता है।

3. अंतःक्रियात्मक प्रभाव (A*B) -

उपरोक्त सारणी प्रदर्शित करता है कि महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों एवं मुस्लिम अंतर्मुखी बहिर्मुखी किशोरियों के व्यक्तित्व के मध्य अंतःक्रियात्मक प्रभाव हेतु 'f' का गणना द्वारा प्राप्त मान 877577.54 है, जो कि df 1/1798 के साथ दोनों ही स्तरों 0.05 पर 2.10 तथा 0.01 स्तर पर 2.80 है, जो दोनों स्तरों से अधिक है।

जो कि प्रदर्शित करता है कि ग्रामीण एवं शहरी मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व समायोजन एवं बालिका सशक्तिकरण के मध्य सार्थक प्रभाव पड़ता है।

अतः हमारी शून्य परिकल्पना क्रमांक - H07 स्वीकृत होती है।

अध्याय-5
निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 अध्ययन का निष्कर्ष

1. हमारी परिकल्पना के अनुसार मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व और बालिका सशक्तिकरण के मध्य सहसंबध पाया गया। मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के मध्य निम्न धनात्मक सहसंबध पाया गया है।
2. मुस्लिम किशोरियों के समायोजन एवं बालिका सशक्तिकरण के मध्य सहसंबध पाया गया। मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के मध्य निम्न धनात्मक सहसंबध है।
3. हमारी परिकल्पना के अनुसार मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के प्रथम आयाम अधिकार एवं अस्तित्व के मध्य सार्थक अंतर है।
4. हमारी परिकल्पना के अनुसार मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के द्वितीय आयाम स्वायत्ता एवं आत्मविश्वास/आत्मनिर्भरता के मध्य सार्थक अंतर है।
5. हमारी परिकल्पना के अनुसार मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के तृतीय निर्णय प्रक्रिया के मध्य सार्थक अंतर है।
6. हमारी परिकल्पना के अनुसार मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के चतुर्थ आयाम भागीदारी के मध्य सार्थक अंतर है।
7. हमारी परिकल्पना के अनुसार मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के पंचम आयाम क्षमता विकास के मध्य सार्थक अंतर है।

8. हमारी परिकल्पना के अनुसार मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के षष्ठम् आयाम सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता के मध्य सार्थक अंतर है।
9. हमारी परिकल्पना के अनुसार मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व पर बालिका सशक्तिकरण के सप्तम आयाम सूचना माध्यमों की उपयोगिता के मध्य सार्थक अंतर है।
10. हमारी परिकल्पना के अनुसार मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के प्रथम आयाम अधिकार एवं अस्तित्व के मध्य सार्थक अंतर है।
11. हमारी परिकल्पना के अनुसार मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के द्वितीय आयाम स्वायत्ता एवं आत्मविश्वास/आत्मनिर्भरता के मध्य सार्थक अंतर है।
12. हमारी परिकल्पना के अनुसार मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के तृतीय आयाम निर्णय प्रक्रिया के मध्य सार्थक अंतर है।
13. हमारी परिकल्पना के अनुसार मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के चतुर्थ आयाम भागीदारी के मध्य सार्थक अंतर है।
14. हमारी परिकल्पना के अनुसार मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के पंचम आयाम क्षमता विकास के मध्य सार्थक अंतर है।
15. हमारी परिकल्पना के अनुसार मुस्लिम किशोरियों के समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण के षष्ठम् आयाम सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता के मध्य सार्थक अंतर है।
16. हमारी परिकल्पना के अनुसार मुस्लिम किशोरियों के समायोजन एवं बालिका सशक्तिकरण के सप्तम आयाम सूचना माध्यमों की उपयोगिता के मध्य सार्थक अंतर नहीं है।
17. मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व (अर्न्तमुखी तथा बहिर्मुखी), पर बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के मध्य सार्थक आंतरिक क्रियात्मक प्रभाव नहीं पाया गया है।
18. मुस्लिम किशोरियों समायोजन (उच्च तथा निम्न) पर बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के मध्य सार्थक आंतरिक क्रियात्मक प्रभाव नहीं पाया गया है।

19. ग्रामीण एवं शहरी मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व समायोजन एवं बालिका सशक्तिकरण के मध्य सार्थक आंतरिक क्रियात्मक प्रभाव पाया गया है।

5.2 उपसंहार

प्रस्तुत अध्ययन मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं बालिका सशक्तिकरण के मध्य निम्न धनात्मक सहसंबंध पाया गया तात्पर्य है कि किशोरियों के व्यक्तित्व एवं सशक्तिकरण दोनों एक ही दिशा कि ओर बढ़ते हैं। अर्थात् किशोरियों का व्यक्तित्व अच्छा होगा तो वे सशक्त रहेगी और इसके विपरित व्यक्तित्व अच्छा नहीं होने पर सशक्तिकरण में भी कमी पायी जायेगी। प्रस्तुत अध्ययन में किशोरियों के व्यक्तित्व एवं सशक्तिकरण के प्रथम आयाम अधिकार एवं अस्तित्व के मध्य अंतर पाया गया। वर्तमान में सरकार द्वारा महिलाओं को समाज में अपने अस्तित्व के बनाए रखने हेतु बहुत से अधिकार दिये गये है। जैसे - महिलाओं को पिता/पति की संपत्ति में अधिकार शिक्षा, विवाह करना, तलाक लेना, शारीरिक दुर्व्यवहार से बचाव, गृहस्त जीवन में रहने और शोषण के विरूद्ध आदि निम्न अधिकार प्रदान किये गये हैं, जो कि किशोरियों के व्यक्तित्व को सीधे-सीधे प्रभावित करता है। यदि महिलाएँ उपरोक्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने अस्तित्व को बनाये रखती है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा परंतु इसके विपरित यदि किशोरियों को इन अधिकारों का ज्ञान ही न हो तो वह अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करेगी। इसी तरह बालिका सशक्तिकरण के द्वितीय आयाम स्वायत्ता एवं आत्मविश्वास एवं किशोरियों के व्यक्तित्व के मध्य सार्थक अंतर पाया गया। अर्थात् आत्मविश्वासी महिलाओं का अधिकार उन बालिकाओं की कमी है। इस दिशा में भी सरकार ने महिलाओं को अधिकार दिये है की वे स्वयं नौकरी, व्यवसाय, उद्योग आदि कर सकती है बिना किसी दबाव के।

प्रस्तुत अध्ययन में यह भी पाया गया कि बालिका के व्यक्तित्व व सशक्तिकरण के तृतीय आयाम निर्णय प्रक्रिया के मध्य अंतर पाया गया। अर्थात् जिन किशोरियों में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त न हो तो उनका व्यक्तित्व उतना विकसित नहीं होता जितना की स्वयं निर्णय लेने वाली बालिकाओं को निर्णय प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सृजनात्मकता को प्रदर्शित करती है, जिसकी वजह से व्यक्ति का व्यक्तित्व उजागर होता है। देखा जाए तो भारतीय

समाज पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें सारे अधिकार और स्वतंत्र निर्णय लेने का भी अधिकार पुरुषों को ही है, जिसके कारण महिलाएँ, बालिकाएँ सशक्त नहीं हो पाती है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं सशक्तिकरण के चतुर्थ आयाम भागीदारी में मध्य सार्थक अंतर पाया गया भागीदारी का अधिकार बालिकाओं के व्यक्तित्व को विकसित या अविकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है परंतु अध्ययन में अंतर पाया गया यदि देखा जाए तो अभी भी समाज में महिलाओं के द्वितीय स्थिति है और मेरा अध्ययन मुस्लिम बालिकाओं पर किया गया है। मुस्लिम समाज में बालिकाओं की स्थिति और दैयनीय है। प्रमुख कारण उनके सरियत द्वारा अपने नियम, कानून और जीवन निर्वाह करने के सरियतन तरिका जिसकी वजह से मुस्लिम बालिकाओं को स्वतंत्र रूप से पुरुषों के साथ हर कार्य को करने की भागीदारी नहीं होती है, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि पूर्व में चर्चा की जा चुकि है कि महिलाओं को पिता/पति की संपत्ति में अधिकार, शैक्षिक संगठनों में भागीदारी, समाज के कुरीति के विरूद्ध कार्य करने का अधिकार/भागीदारी प्राप्त है। ऐसी स्थिति में जो किशोरियों का उपरोक्त वर्णित अधिकारों का प्रयोग करती है। उनका व्यक्तित्व अधिक विकसित होता है। किशोरियों के व्यक्तित्व में भी सार्थक अंतर पाया गया अर्थात् जिन किशोरियों में अपनी क्षमता का विकास करने की शक्ति है। उनका व्यक्तित्व बेहतर होगा। इसी तरफ आगे देखें किशोरियों के व्यक्तित्व एवं सशक्तिकरण के षष्ठम् आयाम सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता के मध्य अंतर पाया गया अर्थात् समाज में व्याप्त बुराइयों की वजह से आज महिलाएँ अपने आप को चाह कर भी सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता होते हुए भी अपने आप को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती उनमें अपनी असुरक्षा का भय होता है, जो इन डरों को दूर कर हर क्षेत्र में जागरूक हो पाती है वह महिला सशक्त महिला के नाम से जानी जाती है। जैसे - प्रतिभा पाटिल, सानिया मिर्जा, इंदिरा गाँधी, कल्पना चाँवला, किरण बेदि आदि अन्य जो महिला होकर भी सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी रूप से जागरूक होकर समाज में एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की छाप छोड़ी। प्रस्तुत अध्ययन में मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं सशक्तिकरण के सप्तम् आयाम सूचना माध्यमों की उपयोगिता

के मध्य सार्थक अंतर पाया गया अर्थात् सूचना माध्यम एक ऐसा माध्यम है, जिसका प्रयोग जो किशोरियाँ करती है उनका व्यक्तित्व अच्छा होता है। वह हर क्षेत्र के सूचनाओं की वर्तमान जानकारी को ग्रहण कर अपने व्यक्तिव को अच्छा कर सशक्त कर पाती है।

इसी प्रकार आगे निष्कर्ष पाया गया कि मुस्लिम किशोरियों के समायोजन बालिका सशक्तिकरण के मध्य निम्न धनात्मक सहसंबंध पाया गया। अर्थात् समायोजन तथा सशक्तिकरण एक ही दिशा की ओर बढ़ते है। अतः हम कह सकते हैं कि मुस्लिम किशोरियाँ यदि किसी भी क्षेत्र में अपने आप को समायोजित कर सकती है तो वह अपने आप को सशक्त भी कर सकती है। अगले निष्कर्ष में हमने पाया कि मुस्लिम किशोरियों के समायोजन तथा बालिका सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम अधिकार एवं अस्तित्व स्वयत्ता आत्मविश्वास/आत्मनिर्भरता, निर्णय प्रक्रिया, भागीदारी, क्षमता विकास तथा सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता और समायोजन के मध्य सार्थक अंतर पाया गया, परंतु सूचना माध्यमों की उपयोगिता और मुस्लिम किशोरियों के समायोजन के मध्य अंत नहीं पाया गया। देखा जाए तो आज समाज में किशोरियों की स्थिति दयनीय है। यह स्थिति होने का प्रमुख कारण समाज में व्याप्त बुराइयाँ है। जिसके कारण महिलाएँ/किशोरियाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, जिसकी वजह से वह सरकारी अधिकारों का लाभ नहीं उठा पाति इन असुरक्षा की वजह से ही माता-पिता अपनी बालिकाओं को अकेले कहीं नहीं भेज पाते न शैक्षणिक संस्थाओं में न ही किसी अन्य क्षेत्रों में इसके साथ-साथ बहुत से सामाजिक नियम का कानून होते हैं। बहुत से पौराणिक प्रथाएँ विश्वास और संस्कृति जिसको मानना अनिवार्य हेाता है। इस वजह से भी आज बालिकाएँ स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाती। उन्हें खराब से खराब स्थिति में ही अपने आप को जीने के लिए समायोजित करना पड़ता है जिसकी वजह से उनके सशक्त होने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। उन्हें बस चार दिवारी के अंदर घुट-घुट के जीने के लिए परिवार व समाज बाध्य कर देता है। निष्कर्ष में हमने यह भी पाया कि सूचना माध्यमों का उपयोग और समायोजन में अंतर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि किशोरियों का जगह-जगह से सूचनाएँ प्राप्त होती है जिसके वजह से वह हर क्षेत्र में अपने आप को समयोजित कर लेती है। अतः कहीं न कहीं यह आपस से जुड़े है।

प्रस्तुत शोध शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं समायोजन पर बालिका सशक्तिकरण का अध्ययन किया गया, जिसमें निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि मुस्लिम किशोरियों के व्यक्तित्व एवं समायोजन करने की क्षमता जितनी अधिक होगी किशोरियाँ अपने आप को उतना ही सशक्त कर पायेगी यह तीनों आपस में जुड़े है। व्यक्तित्व, समायोजन और सशक्तिकरण परंतु इस अध्ययन में हमने पाया कि किसी भी महिला/किशोरियों के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था परिवार है। महिला/किशोरियों का पूरा जीवन, शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से परिवार को संपोषित करने और बनायें रखने में खर्च हो जाता है। ऊपर से पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रीति-रिवाजें तथा बंधन हर प्रकार से इतना होता है कि महिलाएँ स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य में अपनी भूमिका नहीं निभा पाति चूंकि मुस्लिम समाज में तो ये बंधने मुस्लिम किशोरियां तथा महिलाओं पर और अधिक होता है जिसमें शरियतन बंधन, पारिवारिक बंधन, सामाजिक बंधन और तो और अलग से मुस्लिम कानून, जिसका पालन करना हर एक मुसलमान को फर्ज/आवश्यकता होता है। मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ (कुरान) में भी देखें तो मुस्लिम समाज एक पुरुष प्रधान समाज होता है, जिसमें मुस्लिम किशोरियों को प्राथमिक शिक्षा स्वतंत्र रूप से दी जाति है परंतु उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें घर पर ही शिक्षा प्राप्त करना होता है। यदि घर पर संभव न हो तो उन्हें पर्दा करके आगे कि शिक्षा प्राप्त करती है उच्च शिक्षा अन्य समाजों कि तुलना में किशोरियों की स्थिति बहुत कम है देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में शिक्षा के प्रति माता-पिता जागरूक है पर ग्रामीण क्षेत्रों में यह जागरूकता कम पायी जाती है।

''ईश्वर की दृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों समान है और सदा समान रहेंगे। ईश्वर ने स्त्री की संरचना पुरुष के लिए और पुरुष की संरचना स्त्री के लिए ही की है।''

यहाँ महिलाओं किशोरियों का आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं कि महिलाएँ/किशोरियाँ वह सब गलत काम करने लग जाए। बल्कि दोनों एक-दूसरे की समझे और आगे बढ़ने में सहयोगी हों। महिलाएँ/बालिकाएँ योग्यता व क्षमता के विकास में पुरुषों से आगे आए। अतः सशक्तिकरण का प्रारंभ उस वैचारिक परिवर्तन पर आघात करके किया जाना चाहिए जो कि भेदभाव को बढ़ाते है। इसके लिए महिला-पुरुष

की समानता के विचारों की समाज में प्रसारित किया जाता चाहिए। महिलाओं/ बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य हो और शिक्षा के पाठ्यक्रमों में असमानता के अंशों को हटाया जाना भी आवश्यक है। दूसरी ओर किशोरियों को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाकर सशक्त किया जाए। विभिन्न सेवाओं एवं क्षेत्रों में आरक्षण और दूसरी सुविधाएँ देकर उन्हें आगे आने के प्रयासों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लागू की गई। विभिन्न योजनाओं की समीक्षा का बेहतर क्रियान्वयन की व्यवस्था शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हो। महिलाओं की स्थिति को सुधारने-संवारने के लिए अनेक संशोधन एवं उनके कानून बनाए गए लेकिन इसके ठीक से क्रियान्वयन नहीं होने से अप्रभावी है। अतएव उनमें संशोधन एवं उनके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी एजेंसियों विशेष कर पुलिस और प्रशासन के साथ न्यायपालिका को अधिक संवेदनशील बनाया जाना मौजूदा समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

इस शोध के द्वारा मुस्लिम किशोरियों को आगे आने के अवसर प्रदान किया जा सकता है। उन्हें सभी क्षेत्रों में सशक्त कर समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिला सकते हैं क्योंकि किसी भी देश का विकास उसमें रहने वाले स्त्री और पुरुषों के समान भागीदारी के द्वारा ही संभव होता है और इस अध्ययन में मुस्लिम समाज के किशोरियों को एक नई दिशा प्रदान करने की कोशिश की गई है।

5.3 सुझाव

1. महिला प्रतिनिधित्व को एकत्रित होकर इन संस्थाओं मे काम करना चाहिए। इन्हें महिलाओं से संबंधित मुददों पर मतभेद भुलाकर काम करना होगा। उन्हे लैंगिक भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा एवं बाल अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर एकजुटता का प्रर्दशन करना चाहिए।
2. निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं एवं पुरुषों की संतुलित भागिदारी के लिए आम राय बनाने हेतु जन-अभियान चलाया जाना चाहिए।
3. महिलाओं को विश्व के अन्य देशों के साथ दल बनाने चाहिए ताकि ये विभिन्न स्तरों पर सहभागिता दे सके।
4. महिलाओं को संगठित होकर विभिन्न स्तरों पर अपने नेटवर्क स्थापित करने चाहिए ताकि निर्णय, निर्माण एवं क्रियान्वयन में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सके।

5. महिलाओं को व्यवस्थित प्रशिक्षण एवं अभिनवीकरण की आवश्यकता है, ताकि महिलाएँ वर्तमान स्थितियों को बदलकर संसाधनों एवं सत्ता के प्रयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण को शीघ्र से संभव बना सके।
6. राजनीतिक दलों को भी महिला सहभागिता को बढ़ावा देने चाहिए। अपने संगठनों में उन्हें महिलाओं को अधिक से अधिक स्थान देना चाहिए।
7. धन एवं शक्ति पर निर्भर निर्वाचन प्रणाली को भी बदला जाना चाहिए। चुनावो में जातिवाद, अपराधिकरण, मतदान केंद्रों पर कब्जा आदि बुराइयों को दूर करना चाहिए।
8. केवल महिला आरक्षण ही महिला शसक्तिकरण को संभव नहीं बना सकता। महिला प्रतिनिधि शिक्षा, सूचना एवं ज्ञान के माध्यम से ही अपने कार्यों एवं दायित्वों को संभाल सकती है। इस संदर्भ में मीडिया भी अहम भूमिका निभा सकता है।
9. महिला सहभागिता अभियान को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के एक प्रमुख भाग के रूप मे ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाया जाना चाहिए।
10. महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन तथा अनुश्रवण नियमित अंतराल पर किया जाना आवश्यक है। कोई भी योजना तभी सार्थक है जब उसे वास्तविक धरातल पर लाया जाए।

5.4 भावी अध्ययन हेतु सुझाव

1. रोजगार के क्षेत्र में संलग्न एवं घरेलू महिलाओं के सशक्तिकरण का तुलनात्मक अध्ययन।
2. शिक्षण प्रभावशीलता का ग्रामीण एवं शहरी किशोरियों पर सशक्तिकरण के प्रभाव का अध्ययन।
3. घरेलू महिलायें तथा समाजसेवी महिलाओं की व्यक्तित्व एवं समायोजन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन।
4. सरकारी एवं निजी क्षेत्र में सेवारत महिलाओं की सशक्तिकरण का तुलनात्मक अध्ययन।
5. बिलासपुर शहर के उच्च स्तर के बालिकाओं का समायोजन स्तर पर सशक्तिकरण के प्रभाव का अध्ययन।

6. मुस्लिम बालिकाओं तथा हिन्दु बालिकाओं के व्यक्तित्व एवं समायोजन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन।
7. मुस्लिम बालिकाओं तथा अन्य समाज के छात्राओं के सशक्तिकरण का तुलनात्मक अध्ययन।
8. विकलांग एवं सामान्य छात्राओं के समायोजन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन।
9. बालिका शिक्षा के प्रति ग्रामीण क्षेत्र की महिला अभिभावकों के दृष्टीकोण का अध्ययन।
10. शहरी एवं ग्रामीण शालाओं के हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में बालक एवं बालिकाओं के सफल प्रदर्शन का समीक्षात्मक अध्ययन।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- Abdelmagid, M Mazen, Suffolk University School of management U.S.A. Journal of vocational Behavior, Volume 37 issue, 1 August 1990.
- Agrawal R. : "A Study of feeling of security in morally Developed and under developed Adolescents as related to their Self-concept and personality pattern", Ph.D. Psychology Agra 985, Forth Survey of Research in Education 1983-88 Volume -I
- Agu, stella July (2007) : "Gender Equality, Education and women Empowerment: The NIGERIAN Challenge." Multidisciplinary Journal of Research Development, volume 8, No. 2, July 2007.
- Ahmed, Nabi and Siddiqui, Mohd Abid (2006) : "Empowerment of socio-economically weaker sections through Education; Commitments and Challenges."
- Ali, Sophia J. (2011) : "Challenges facing women employees in career development: A focus on Kapsabet Municipality, Kenya".
- Altekar, A.S. : "Women in Hindu Civilisation."
- Ara, N. Parents : "Personality childrearing attitudes and their children's personality ", An inter co-relational Study. Ph.D. Psy. Bhagalpur U. 1986. Forth Survey of Research in Education, 1983-88, Volume –I.
- अथर्ववेद, 6/11 टीका
- आप्टे, प्रभा : भारतीय समाज में नारी
- आश्वलामम गृहसूत्र 3/8/11, टीका
- अनुच्छेद 243-घ संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम (1992).
- बैरागी, प्रीती (2009-2010) : ''बी.एड. प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों की समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन'', डॉ. सी.वी. रामन् विवविद्यालय कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) एम.एड.(छात्रा)।

- Begum, Mustiary (2006) : "Women Entrepreneurship in India; Challenges and Strategies.
- Bhagyalakshmi, S.: 'Women's Empowerment : Miles to Go', Yojana, August 2004, Vol. 48, pp. 38,41.
- Bharat, Dogra : "Women Self Help Groups", Kurukshetra, March 2002, Vol. 50, No. 5, pp. 40, 42.
- Bhatia, K. T. : "The Emotional personal and social problems of adjustment of adolescents", Under-India conditions with special reference to values of life. Ph.D. Edu. Bom. U. 1984, Forth Survey of Research in Education 1983-88 Volume –I.
- Bhattacharya, Smritikana (1992) : "The problems of scholastic backwardness of adolescent girl students in all around Calcutta in the University of Calcutta.
- Bhushan, L.T.: - "Personality factors and leadership prefecrece," Ph.D. Psy. Bhagalpur U. 1968. Forth Survey of Research in Education 1983-88 Volume –I
- Billy, Habert (June 2010): "Power at work: Understanding positionality and gender dynamies in the debetes of women's Empowerment"
- Bimlasen, G. : Women Power: The Changing Scenario, Better Books, Panchakula, 2007, pp.121"129
- Binda (2006) : ''संवेगात्मक बुद्धि के सृजनशीलता एवं कुसमायोजन (Maladjustment) पर पड़ने वाले प्रभाव को ज्ञात करने के लिए यह अध्ययन किया।''
- Bisaria, S. (1991) : "Need based vocationalisation of education for girls" from NCERT (ERIC Funded) Problem - The study addresses the problem of vocationalisation of education of girls and need to develop need-based vocational courses suited to the requirements of girls with different accomplishments.
- छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा प्रकाशित ''आधारशिला'' पत्रिका, पृ. क्र. 20, 28, 44, 46.
- चंदानी, मेहर गीता (2008-2009) : ''उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता पर उनके लिंग व शाला क्षेत्र के प्रभाव का अध्ययन (दुर्ग जिले के संदर्भ में) ''डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) एम.फिल. (छात्रा)।
- चैपरिंक, पिंग वे पेज (1989) -''ताइवान के कामकाजी एवं घरेलू महिलाओं के बच्चों का व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन''।
- D. H. Mahamood Khan and G. M. Dinesh, 'Role of Women in Panchayat RajInstitutions', Southern Economist, February 2010, Vol .48, No.20, pp.5"8.

- Das. Jonali, (2011) made a study on "women empowerment and tribal community".
- Das. Nin, (1991) studied about 'the problems of enrolling women in adult education centers in Jaipur Sub-Division under NAEP at Utkal University.
- Datta, Anil : Gender perspectives.
- Desai, Neera : Women in modern India.
- Despande. Savita P, (2001) studied "Status of educated schedule caste in their local socio-cultural life."
- Dhamija. Neelam, (2006),studied on "Women Empowerment through Education: Role of Universities."
- दैनिक समाचार पत्रिका ''पत्रिका'' के विशेष प्रति ''परिवार'' 5 मार्च 2014, पृ. 41.
- दैनिक समाचार पत्रिका ''दैनिक भास्कर'', 8 मार्च 2014, पृ. 10,11.
- दैनिक समाचार पत्रिका ''नवभारत'' के विशेष प्रति ''सुरूचि'', 5 मार्च 2014,पृ. 1,4,5.
- Eelavathy, 'SHG is a Cream Layer for Women's Social Status', Proceedings of National Level Symposium on Self Help Group : A Silent Revolution, Arulmigu Palaniandavar Arts College for Women, Palani, March 2004.
- Franke Patericia Wood. Nov. 2007.:"Female Secondary school education personality awareness in related stress." : Uni. Of So. Africa stu, No. 555-039-4.
- Fredrick Engels : "The origin of family, private property and the state."
- Fredrick Engels : The origin of family private property and the state.
- Fredrick, 'SHGs Gateway to Success for Rural Women Entrepreneurs', Kisan World, September 2005, Vol. 32, No. 9, p. 60.
- Ghurya, G.S. : Caste and race in India.
- Graham, Murphy Erin (Jan 2008): "Opening the black box : Women's Empowerment and innovative secondary education in Honduras." University of California, Brkeley, USA. (Vol. 20, No.1, January2008, 31-50.
- Gudaganavar, Nagaraj, and S. Gudaganavar Rajashri, 'Empowerment of Rural Women Through SHG', Southern Economist ,2008, Vol. 47, No. 19, pp.35"37
- GUPTA, T.P. (1985) - "A study of personality characteristics of Bright and dull children"., Ph.D. Edu. Luc. U. 1985. (Fouth survey, Vol-I, page no. 371)
- Gurew, Saneja : Feminist Knowledge

- Gurumoorthy, T. R. : 'Self Help Groups Empower Rural Women', Kurukshetra, February 2000, Vol. 48, No. 5, p. 36.
- गणेशन, के. योजना मासिक पत्रिका जून 2012 लोधि रोड, नई दिल्ली - 110020, पृ. 33,34.
- गोयल, सुनील ; संगीता - ''भारतीय समाज में नारी'', आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स जयपुर, 2003.
- गुप्ता, एस. पी. तथा गुप्ता, अल्का (2003) : ''उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान'', इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन.
- Harijeet Ahluwalia, 'Empowerment of Women : An Economic Agenda', Yojana, August 2000, Vol. 44, No. 8, p.33.
- Hazarika. Himadri & Devi Runusri, (2011)made a study on "Problems of Girl's education at secondary level under Sipajhar Block with special reference to Darrang District".
- Hertz, Rachel (2007) : "Mother's as educators: the empowerment of rural Muslim women in Israel and their role in advancing the literacy development of their children"The Uni of Haifa West Galilee Collage in Europ. 2007, Vol 1 No. 0,271-282,
- हेनरी, ई., गैरेट एवं वुडवर्थ - ''शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी'' कल्याणी पब्लिशर्स लुधियाना-1410081.
- http://amitkrgupta.jagranjunction.com महिला आरक्षण : महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम.
- http://hindi.webdunia.com स्त्रीगरिमा गौरव
- http://www.ugtabharat.com क्या है महिला सशक्तिकरण
- इन्द्र देव : भारतीय समाज
- पारस्कर गृह सूत्र : 1/2 टीका
- Jain, Ambika (1991) : "Analysis and evaluation of the animators training camp for the education and empowerment of rural women conducted by IIE, 1988-1989
- Janaki. D, (2006)in his study : " Empowerment of women through Education : 150 years of University Education in India
- Jantli, R.T. (1988) : "Relationship between teacher behaviour, purel personality and pupil growth outcome"., Ph.D. Education (Survey Book-V, Part 2, page 386.)
- Joshi, Sunita Thakur : Women and Socialisation.
- जैन, एम. (1990) ने समायोजन कुण्ठा तथा कामकाजी तथा घरेलू माताओं के बालकों के आकांक्षा स्तर की प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया।
- Kala, G. S. : 'Economic Empowerment of Women through Self Help Groups', Kisan World, November 2004, pp. 264 - 266.
- Karl Marilee : Women and Empowerment Participation and Decision-making, Zed Books Ltd., London, 1995.

- कुमार, राधा - स्त्री संघर्ष का इतिहास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002-
- कुलश्रेष्ठ, एस.पी. ''शिक्षा मनोविज्ञान'' आर.लाल. बुक डीपो, मेरठ.
- Kelkar, A. : Anthropological aspects of Women Bondage.
- Kelkar, A. : Anthropological aspects of women bondage.
- Khan, M.A.: "Deprivation on personality Adjustment (with special reference to Denitrified Tribes of U.P.) ," Ph.D. Psy. Agra U. p.1976. Forth Survey of Research in Education 1983-88 Volume –I
- Kulkarni, Vijay D. : 'Empowerment of Women through Self Help Groups', Ashwatha, Oct 2000" Jun 2001, Vol. 1, No. 4, pp. 32,36.
- Kumar, K.: - "Some personality correlates of academic adjustment"
- Malik, S.: - "personality differentials of Adolescent girls across socio-metric Status," Ph.D. Edu., Pan U. 1984. Forth Survey of Research in Education 1983-88 Volume –I
- Mc. Donal and Kean : Vedicindex I.P. 359-360.
- मकतबा, अलहसनात - ''कुरआन के सुरह अलबकरा में आयत नं. - 2, नवंबर 228 पुरुषों की महिलाओं से श्रेष्ठ माना है।'' सरसययद अहमद रोड, दरियागंज न्यू दिल्ली (2006).
- महा सभा प्रस्ताव 2263 दिनांक 7 नवंबर (1969).
- महतो, दशरथ (2010-2011) : ''रॉची जिले के स्नातक स्तर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन।'' डॉ. सी.वी. रामन् विवविद्यालय कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) एम.फिल. (छात्रा)।
- मित्तल, आर. ए., शर्मा, बी.एम., सक्सेना, बी.एम. - ''शैक्षिक अनुसंधान का पद्धतिशास्त्र'' आर. लाल बुक डीपो, मेरठ - 25001, पृ. 193-195.
- Misra, Indira : 'Towards Empowerment of women through Rural Entrepreneurship',Indian Journal of Public Administration, October 2008,Vol.43,No.54,p.933
- Mohammed, M. Sheik : 'Self Help Group for the Success of Women Entrepreneurs', Kisan World, March 2004, Vol. 31, No. 3, pp. 30-31.
- Mukherjee, Mukul, (2004)in his Article "women and works in the shadow of globalization in Indian" Journal of Gender Studies
- Mukhopadhyay, Haimanti (November 2008) : "The Role of Education in the Empowerment of women in a district of west Bangal India: Reflections on a survey of women". Journal of International women's studies Vol. 10, 2 November 2008.
- N'Drit, Assie- Lumumba Jun (2006): "Empowerment of women in higher Education in Africa: The role and mission of research". Research center Cornell University Ithaca, New York USA. Unesco form occasional Paper series paper no.11.

- NAIR, P.M. (1975) : "Personality characteristics of creative High school pupils"., Ph.D. Edu. Ker. U. (Third survey, page no. 383)
- NCSW Report : National Perspective Plan for Women, Government of India, Ministry of Human Resource Development, New Delhi, 2009, p.119.
- Ojha, R. : 'Self Help Groups and Rural Employment', Yojana, May 2001, Vol. 45, pp. 20,23.
- Ojha, R.K. : 'Self" Help Groups and Rural Employment', Yojana, May 2001, Vol. 45, p. 20.
- Pandey, Sushma & Singh, Ramya (2003) : "women empowerment and future orientation in family planning behavior."The researchers conducted
- Parande, Prema : 'Economic Empowerment of Women', Southern Economist, March 2005, Vol. 43, No. 21, p.7.
- Personality profiles of women in traditional and notational occupations"
- Ph.D. Bih. U. 1980. Forth Survey of Research in Education 1983-88 Volume –I
- परिवार में कन्या की प्रस्थिति
- पाटिल, विद्या (2010-2011) : ''किशोरावस्था के विद्यार्थियो की संवेगात्मक बुद्धि एवं समायोजन पर एक अध्ययन।'' डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) एम.फिल. (छात्रा)।
- Pillai, Jaya Kothari : Women Empowerment
- Pillai, Jayakothari : Women and Empowerment.
- Publishing House, New Delhi, 2006, p. 73.
- ऋग्वेद : 3/53/4 टीका
- ऋग्वेद : 6/173 टीका
- ऋग्वेद 1/67/3 टीका
- ऋग्वेद 7/4/8 टीका
- राजकिशोर : स्त्री के लिये जगह
- Rao, Usha J. : Women in a Developing Society, Ashish Publishing House, New Delhi,2007
- Report of Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development, 'Economi Empowerment of Women ',Yojana, August 2001, Vol. 45, p. 69.
- Sahu, A : A women's Liberation and Human Rights.
- Sakkunthalai, A. and Ramakrishnan : 'Socio" economic Empowerment of Women', Kisan World, July 2006, Vol. 33, No. 7, p. 31.
- शतपथ ब्राम्हण : 5/53/51 टीका

- शतपथ ब्राम्हण : 5/53/51, टीका
- शतपथ ब्राम्हण 14/3/25 टीका
- Sandhya, G. : 'Promoting Micro" entrepreneurshipf or Women's Development', Southern Economist, May 2006, Vol. 45, No. 1, p. 45.
- Sandhya, Rani G. R. & Suguna, B. (2003) : "Non-formal education-An instrument for the development of women."
- Sankaran, A. : 'Trendsand Problems of Rural Women Entrepreneurs in India;, Southern Economist, 2009,Vol.48,No.4,pp.11"12.
- Scatt, L.H. : "Parent Adolescent Adjustment, its measurement and significance" character and personality - X, 1941.
- Sehgal, Berendrapal Singh (1989) : Law, Woman and Population in India:
- Sharma, Santosh (2004) : Psuedo Gender Equality and the Empowerment of women,
- श्रीवास्तव, श्रीमती सुधारानी : ''महिलाओं के प्रति अपराध'', Commonwealth Public Dariyaganj, New Delhi, 2003.
- शर्मा, श्रीमती आर.के., दूबे, श्री कृष्ण - ''शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार'', राधा प्रकाशन मंदिर, आगरा 282002, पृ. 201-210, 239-248.
- शर्मा, सुभाष (2012) - ''भारतीय महिलाओं की दशा-आधार, प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड पंचकला हरियाणा.
- शर्मा, डॉ. प्रज्ञा - ''भारतीय समाज में नारी''.
- शर्मा, आर.के., पुरोहित, डॉ जेड.एन., त्यागी, डॉ. पी.एस. एवं सिंह, एच.पी. : ''उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक'' राधा प्रकाशन मंदिर प्रा. लि., आगरा 282002, पृ. 7.
- शेन्डे, डॉ. हरिदास रामजी - महिला अधिकार एवं शिक्षा, ग्रंथ विकास सी.-378, बर्फ खान राजा पार्क, जयपुर.
- शेन्डे, डॉ. हरिदास रामजी - नारी उत्पीड़न समस्या और समाधान, ग्रंथ विकास सी.-378 बर्फखाना राजा पार्क, जयपुर.
- Shobha, 'Problems of self "Employment of Women: AnAnalaysis', Southern Economist, 2008, Vol.47, No. 6, pp. 24-26.
- सिंह, अरविंद (2009-2010) : ''किशोरावस्था के विद्यार्थियो में नैराय का समायोजन पर प्रभाव का विश्लेषात्मक अध्ययन'', डॉ. सी.वी. रामन् विविद्यालय कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) एम.फिल. (छात्र)।
- Sohay, Sushma : Women and Empowerment
- Sorubarani, P. and G. Thenmozhi : 'Self Help Groups: Gateway to Women Empowerment', Cooperation, December 2004, pp. 10-12.
- Suguna, B. : "Empowerment of Rural Women through Self-Help Groups", Discovery.
- सुलैमान, डॉ. मोहम्मद - ''मनोविज्ञान, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों में सांख्यिकी'' मोतीलाल बनारसीदास द्वार पब्लिकेशन, दिल्ली 110007.

- Sunman, Krishn Kant, 'Women's Empowerment and Mutual Cooperation in the Family', Social Welfare, April 2001, Vol. 48, No. 12, p.3.
- तैत्तीय संहिता : 6/21/1, टीका
- Tandon, Snehlata : 'Self" Help New Mantra for Empowerment', Social World, October 2001, Vol. 48, No. 23, p. 30.
- ताम्रकार, मनीाा (2008-2009) : ''भिलाई नगर के विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आने वाले विशेष विद्यालय के बालकों के सामाजिक समायोजन का अध्ययन।'' डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) एम. फिल. (छात्र)।
- उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, आर.लाल. बुक डीपो, मेरठ, पृ. 550.
- Usha, P. (2007) : "Emotional Adjustment and family acceptance of the child : correlates for Achievement.", Education tracks, Vol. Co. No. 10.
- Velu, Suresh Kumar : 'Women Empowerment: Success through Self Help Groups', Kisan World, November 2005, Vol. 32, No. 11, p. 31.
- Waseem Syed, A. Ashraf and Ahmad Ayaz. (April 2012): " Muslim women Education and Empowerment in rural Aligarh (A Case Study)." International Journal of scientific and Research publications, volume 2, Issue 4, April 2012.
- wikipedia.org.in महिला सशक्तिकरण - स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका
- Wood Patricial Frauke (November 2007) : "Female secondary school educator's personality Awareness in relation to work related stress." The degree of master of Education with specialization in guidance and counseling (at the University of south Africa).
- Wood, Dhillip K. : "The influence of personality traits, pre college characteristics and co-curricular experiences on college out comes"., (www.myresearch.com).
- www.mediaforrights.org.in/women-rights/hindi-articles शिक्षा में छिपा महिला सशक्तिकरण
- योजना विकास को समर्पित मासिक पत्रिका (जून 2012) ISSN No. 0971-8397, पृ. 197.

♦♦♦